रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2004/आश्विन 7, 1926
No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2004/ASVINA 7, 1926

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या 1-सीए(5)/55/2004.—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया की परिषद् की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) तथा अंकेक्षित लेखा की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है।

55वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् को 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.), जिसकी स्थापना 1 जुलाई, 1949 को संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी, इस वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के 55वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। परिषद् इस सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की प्रशंसा करती है जो चार्टर्ड लेखाकर्म वृत्ति को आज समाज में प्राप्त है। यह सम्मान सदस्यों और छात्रों द्वारा सर्वथा प्रदर्शित उत्कृष्टता, स्वाधीनता और सत्यनिष्ठा से हासिल हुआ है।

रिपोर्ट में परिषद् और उसकी विभिन्न समितियों की महत्वपूर्ण कार्यकलापों को प्रमुखता से अंकित किया गया है। रिपोर्ट में, आयोजित की गई संगोष्ठियों/सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सदस्यों और छात्रों से संबंधित सुसंगत आंकड़ों एवं वर्ष 2003-2004 के संस्थान के लेखाओं को भी समावेश किया गया है। अगस्त, 2004 के मध्य तक के आई.सी.ए.आई. के महत्वपूर्ण कार्यकलापों और प्रमुख पहलुओं का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है।

1. परिषद्

अट्ठारहवीं परिषद्, जिसका गठन तीन वर्ष के लिए 5 फरवरी, 2001 को किया गया था, का कार्यकाल 4 फरवरी, 2004 को समाप्त हो गया।

उन्नीसवीं परिषद् का निर्वाचन 19 दिसम्बर को और जहां अपेक्षित हुआ 20 दिसम्बर, 2003 को भी सफलतापूर्वक किया गया। 24 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 6 सदस्यों से मिलकर बनी उन्नीसवीं परिषद् का गठन 5 फरवरी, 2004 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया। अट्ठारहवीं परिषद्, जिसने 4 फरवरी, 2004 तक कार्यभार सम्भाला और 5 फरवरी, 2004 को गठित उन्नीसवीं परिषद् की संरचना को अलग-अलग दर्शाया गया है।

परिषद्, इसके और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए अट्ठारहवीं परिषद् के सदस्यों, विशेष रूप से परिषद् से सेवानिवृत्त हो जाने वाले सदस्यों के द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए गहरा आभार और प्रशंसा व्यक्त करती है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम,1949 की धारा 17 के अनुसार वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन 5 फरवरी, 2004 को किया। तत्पश्चात्, अन्य बातों के साथ-साथ परिषद् और प्रादेशिक परिषदों का विद्यमान निर्वाचन पद्धति का पुनर्विलोकन करने और सभी मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों की आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के संबंध में समुचित सुधार सुझाने के लिए निर्वाचन सुधारों पर एक समिति गठित की गई। 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 132 बैठकें आयोजित की गई, जबकि 31 मार्च,

2003 को समाप्त वर्ष के दौरान 159 बैठकें की गई थीं ।

3. संपरीक्षक

श्री राजीव कुमार रस्तोगी, एफ.सी.ए. और श्री शशि कुमार, एफ.सी.ए. वर्ष 2003-04 के लिए आई.सी.ए.आई. के संयुक्त संपरीक्षक थे । परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है ।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्य - समिति

यह समिति छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और उनके पुनः स्थापन के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र के निर्गमन समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर छात्रों से संबंधित सब विषयों पर जिनमें उन्हें अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी, भी शामिल हैं, शाखाओं से सम्बद्ध विषयों, जिनमें नई-नई शाखाएं खोलना, नये चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों, लेखा रखने आदि विषयों पर भी यह समिति विचार करती है ।

समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं :-

- सदस्यों का अंशकालिक व्यवसाय ।
- आई.सी.ए.आई. के ब्रांड एम्बेसेडर की नियुक्ति और आई.सी.ए.आई.के लिए एक सलाहकार परिषद् बनाए जाने की बाबत प्रस्ताव ।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन ।
- विनियम 137(7)(ii) के अनुसार अस्थायी समिति के रूप में एक सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति गठित करने के लिए अनिवार्यतः सभी प्रादेशिक परिषदों को निदेश । (सी.पी.ई.सी. की सिफारिश पर आधारित)
- उद्योग में सदस्यों के लिए समिति द्वारा न्यूजलेटर का पुनः प्रकाशन (सी.एम.आई. की सिफारिश पर आधारित) ।
- नए मानदंडों के अधीन पुराने सी.पी.ई. अध्ययन केन्द्रों और सी.पी.ई. चेप्टरों को मान्यता प्रदान करना ।
- प्रबंध लेखाकर्म पाठ्यक्रम/निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम/कर प्रबंध पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाओं से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 की अनुसूची 'ग' 'घ' और 'ङ' के पैरा 5 का पुनरीक्षण (सी.पी.ई.सी. की सिफारिश पर आधारित) ।
- पश्चिमी क्षेत्र में, अकोला में प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा स्थापित करना ।
- उत्तरी क्षेत्र में, करनाल में प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा स्थापित करना ।
- मध्य प्रदेश में, जबलपुर में प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा स्थापित करना ।
- कुवैत में संस्थान का एक चेप्टर खोलना ।
- आर्टिकलों के रजिस्ट्रीकरण के लिए 31 दिसंबर, 2003 की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2004 करना तथा फाउंडेशन पाठ्यक्रम पास करने वाले छात्रों के लिए 250 घंटे के अनिवार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण को भी समाप्त करना ।
- विनियम 28(ख)(3) के अनुसार 5 प्रयासों की गणना करने के प्रयोजन के लिए मई, 2003 की परीक्षा की गणना न करने के लिए वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम II) के छात्रों की ओर से अनुरोध ।
- परिषद् स्थायी/अस्थायी समितियों, उपसमूहों/उप समितियों/अध्ययन समूहों आदि के दूर-सम्मेलनों/वीडियो-सम्मेलनों के माध्यम से होने वाली बैठकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ।
- साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम प्राप्त करने वाले शारीरिक रूप से निःशक्त छात्रों की फीस में छूट प्रदान करना ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने निम्नलिखित विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए/पहल की ।

- मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् में, ब्यावर में, एक निर्देश पुस्तकालय की स्थापना करना ।
- सी.पी.ई. दूर-सम्मेलन कार्यक्रम पुनः आरंभ करना ।
- विशेष सुरक्षा उपायों का प्रयोग करते हुए कानूनी प्रमाणपत्रों का मुद्रण ।

- दुबई के ज्ञान ग्राम (नालिज विलेज) में आई.सी.ए.आई. का एक विदेश कार्यालय की स्थापना ।
- आई.सी.ए.आई के सदस्यों और कर्मचारियों को कानूनी रूप से वैध आंकिक प्रमाणपत्र जारी करने और उनका प्रबंध करने के लिए आई.सी.ए.आई. की निजी/सार्वजनिक मुख्य संरचना संबंधी आवश्यकताएं ।
- वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आई.सी.ए.आई. के प्रकाशनों से पुर्नउत्पन्न की अनुज्ञा प्रदान करना ।
- विनियम 66/67 के अधीन जांच करने के लिए विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों/जांच की परिधि का पुनरीक्षण ।
- आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के लिए बीमा लाभ ।
- इन्टरप्राइज ई-मेल पद्धति का क्रियान्वयन ।
- मसकट, ओमान में आई.सी.ए.आई. के कार्यालय की स्थापना ।
- क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा न्यूजलेटर प्रकाशित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ।
- समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत आंकिक हस्ताक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित आंकित हस्ताक्षरों की इलैक्ट्रानिक रीति के माध्यम से सदस्यों और छात्रों से कतिपय फार्म/प्रार्थनापत्र (जहां साथ भेजी जाने वाली दस्तावेज(दस्तावेजों) का सत्यापन संस्थान द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं है) स्वीकार करना ।

4.2 परीक्षा समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल, वृत्तिक शिक्षा- II और वृत्तिक शिक्षा- I परीक्षाएं नवंबर, 2003 में दुबई और काठमांडु के अतिरिक्त 90 शहरों में क्रमशः 144,152 और 130 केन्द्रों पर आयोजित की गई और मई, 2004 में दुबई और काठमांडु के अतिरिक्त 90 शहरों में क्रमशः 141,155 और 138 केन्द्रों पर आयोजित की गई ।

नवंबर, 2003 में आयोजित फाइनल, वृत्तिक शिक्षा- II और वृत्तिक शिक्षा- I परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 31281,51453 और 13742 थी और मई, 2004 में क्रमशः 32318,52788 तथा 21350 थी ।

उपरोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान जून, सितंबर, दिसंबर, 2003 और मार्च, 2004 में सूचना पद्धति पर अर्हतोतर पाठ्यक्रम, सूचना प्रोद्योगिकी संपरीक्षा निर्धारण परीक्षाएं भी आयोजित की गई । साथ ही, निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग I) और कर प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग I) की परीक्षाओं के अलावा, जो मई, 2003 और मई, 2004 में छात्रों की परीक्षाओं के साथ आयोजित की गईं, प्रबंध लेखाकर्म पाठ्यक्रम (भाग I) की परीक्षाएं मई, 2003 और नवंबर, 2003 में आयोजित की गईं । बीमा और जोखिम प्रबंध में प्रथम अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन मई, 2004 में हुआ ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सभी अर्हतोतर पाठ्यक्रमों की परीक्षा संबंधी मामले परीक्षा समिति की अधिकारिता के भीतर लाए गए ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) वेबसाइट की सहायता से निम्नलिखित सुविधाएं जारी रहीं -

- ओ.एम.आर. प्रारूप में परीक्षा आवेदन-पत्र जारी रखे गए और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिए गए जिनमें उनके स्कैण्ड फोटो चित्र और नमूना हस्ताक्षर थे । इससे अभ्यर्थियों को अलग से पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रही ।
- परीक्षा आवेदन पत्र संस्थान के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं के अलावा, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराए गए । अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में उनके द्वारा बताए गए निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा को आगे बढ़ाया गया ।
- परीक्षाफल संस्थान की आई.वी.आर. प्रणाली पर उपलब्ध रहेंगे । परीक्षाफल और अंकों को वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है । वेबसाइट पर योग्यता सूची को भी परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही प्रदर्शित किया गया ।

- परीक्षाफल और अंक वेबसाइट के अलावा दिल्ली और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर साथ-साथ उपलब्ध रहेंगे ।
- संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं द्वारा परीक्षाफल और अंक डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही उपलब्ध कराई गई ।
- नवंबर, 2003 और मई, 2004 की परीक्षाओं के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा उनके ओ.एम.आर. /आई.सी.आर. परीक्षा फार्म में उपदर्शित निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके अंकों का विवरण ऑन लाइन मुद्रित करने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है ।
- घोषणा होने पर, परीक्षा फल का पता लगाने के लिए अग्रिम अनुरोध दर्ज करने की सुविधा जारी रखी गई और उसे दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा फल की घोषणा के तुरंत बाद ई-मेल से उनके परीक्षाफल उपलब्ध कराए गए ।
- मई, 2004 परीक्षा के दाखिला कार्ड के प्रश्नों को ई0 मेल के द्वारा विद्यार्थियों तक बढाया गया, इस सुविधा का प्रयोग पहली बार और 30,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने किया।
- मई, 2004 परीक्षा के परिणाम एस0एम0एस0 तरीके से पहली बार उपलब्ध कराए गए और यह बहुत बडी सफलता थी।

परीक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कुछ विदेशी संस्थाओं को बराबर परामर्श दिया जाता रहा । नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने आई.सी.ए.आई. की निरन्तर तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से फाउंडेशन और इन्टरमीडिएट परीक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित कीं । श्रीलंका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने आई.सी.ए.आई. के तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित कीं ।

4.3 अनुशासन समिति

यह समिति आई.सी.ए.आई. द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता का स्तर और मानक बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है । 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 की अवधि में उन सदस्यों के खिलाफ जिनके मामले प्रथम दृष्टतया राय पर परिषद् द्वारा उसके पास भेजे गए हैं, अनुशासनिक जांच करने के अपने कृत संकल्प उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए समिति ने देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 34 दिन तक 20 अवसरों पर अपनी बैठकें की । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने 84 मामलों में अपनी जांच पूरी की । इसमें वे भी शामिल थे जो परिषद् द्वारा पूर्व वर्षों में भेजे गए थे ।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

उत्कृष्टता हासिल करने और उसे स्थिर रखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने अपनी विभिन्न अस्थायी समितियों के माध्यम से तकनीकी अनुसंधान, वृत्तिक विकास सदस्यों की निरन्तर वृत्तिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर और अधिक जोर देना जारी रखा ।

परिषद् द्वारा स्थापित तकनीकी समितियों ने लेखांकन, संपरीक्षा और सम्बद्ध क्षेत्रों में अपना प्रयास जारी रखा ।

जबकि अनेक शोध कार्यकलाप हाथ में लिए गए/पहचाने गए, लेखांकन मानक, लेखांकन मानक व्याख्या और उद्घोषणा, संपरीक्षा मानक, विशेषज्ञ राय, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए आधार सामग्री पर अनेक प्रकाशन विभिन्न समितियों के माध्यम से निकाले गये । इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :-

5.1 लेखांकन मानक

देश में वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने की दृष्टि से लेखांकन मानक बनाने के लिए लेखांकन मानक बोर्ड (ए.एस.बी.) की स्थापना 21 अप्रैल, 1977 को की गई । ए.एस.बी. उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय लेखांकन मानक विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्प है जिससे कि साधारण प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय, पारदर्शक और तुलनात्मक सूचना की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके । ए.एस.बी., अपने उद्देश्यों को, बुनियादी तौर पर लेखांकन मानक विकसित करके और उनके उपयोग के संवर्धन तथा उन मानकों के अंगीकरण से प्राप्त करता है । मानक, संव्यवहारों और घटना-चक्रों संबंधित ऐसी मान्यता, माप, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं जो साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हों । कारगर मानक रिपोर्टिंग की भाषा को बोधगम्य और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, तुलना सम्भव करते हैं और भ्रम पैदा करने या छल कपट करने वालों के प्रयासों को निर्बाधित करते हैं । अस्तित्व में आने के पश्चात ए.एस.बी. ने उनतीस लेखांकन मानक जारी किए हैं । इसके अलावा इसने अनेक लेखांकन मानक

व्याख्या और उद्घोषणा भी जारी की हैं । वर्ष के दौरान, बोर्ड ने उच्च गुणवत्ता के लेखांकन मानक स्थापित करने और उनकी व्याख्या देने के अपने प्रयास, जहां भी अपेक्षित हुआ, जारी रखे हैं । वर्ष के दौरान ए.एस.बी. द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :-

5.1.1 नए लेखांकन मानक जारी किए गए

लेखांकन मानक (ए.एस.) 29, उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां जारी किया जा चुका है ।

5.1.2 लेखांकन मानकों के विवरणों की प्रस्तावना का पुनरीक्षण

सभी लेखांकन मानकों का इनके विवरणों की प्रस्तावना के संदर्भ में पढ़ा जाना अपेक्षित है । किसी भी लेखांकन मानक का उपयोग करने के लिए प्रस्तावना की विषय-वस्तु का ज्ञान पूर्व अपेक्षा है । लेखांकन मानकों के विवरण की पुनरीक्षित पूर्व प्रस्तावना जनवरी, 1979 में जारी की गई थी । 1979 से लेखांकन क्षेत्र में हुए विकास को दृष्टिगत करते हुए, प्रस्तावना का पुनरीक्षण आज्ञात्मक हो गया है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सभी सुसंगत विकसित बिन्दुओं को शामिल करके लेखांकन मानक विवरण की प्रस्तावना का पुनरीक्षण किया गया है ।

5.1.3 लेखांकन मानक व्याख्याएं जारी किया जाना

लेखांकन मानकों से उत्पन्न अनेक लेखांकन मामलों पर 22 लेखांकन मानक व्याख्याएं जारी की जा चुकी हैं । इन व्याख्याओं के जारी किए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि सुसंगत लेखांकन सिद्धांतों की व्याख्या इस रीति में हो कि वह सभी सम्बद्ध एककों को समान रूप से लागू हों ।

5.1.4 लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों को लेखांकन मानक लागू होना

गत वर्षों के दौरान अनेक लेखांकन मानकों के जारी किए जाने से समाज के बहुत से वर्गों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि लागत और उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों को वैसे ही लेखांकन मानक लागू नहीं किए जाने चाहिए, जो बड़े उद्यमों को किए जाते हैं । ए.एस.बी. ने इस पर विचार किया और इन लेखांकन मानकों को लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों को लागू करते समय उन्हें कतिपय लेखांकन मानकों से छूट/रियायत प्रदान करने का उपबंध किया ।

उपरोक्त के अलावा, ए.एस. 22, आय पर कर के लिए लेखांकन के कारगर क्रियान्वयन हेतु कतिपय अनिगमित उद्यमों को कुछ और समय दिए जाने की दृष्टि से, इसका लागू किया जाना 01.04.2003 के स्थान पर 01.04.2006 तक स्थगित किया गया है ।

5.1.5 लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण

ए.एस.बी. ने ऐसे मामलों में कतिपय लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण भी किया है जहां यह महसूस किया गया कि अंतर्वलित मामलों और बहुत से रूचिबद्ध समूहों से प्राप्त जानकारी के संबंध में परिवर्तित सोच को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित स्थिति अधिक समुचित है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित लेखांकन मानकों के सीमित पुनरीक्षण किए गए :

- लेखांकन मानक (ए.एस.)14, समामेलन के लिए लेखांकन
- लेखांकन मानक (ए.एस.)20, प्रति शेयर उपार्जन
- लेखांकन मानक (ए.एस.)25, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
- लेखांकन मानक (ए.एस.)26, अमूर्त आस्तियां ; और
- लेखांकन मानक (ए.एस.)27, संयुक्त वेंचरों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

5.1.6 उद्घोषणाएं जारी करना

सदस्यों और अन्य के द्वारा उठाए गए स्पष्टीकारक प्रकृति के मामलों पर विचार करने की दृष्टि से ए.एस.बी. ने विभिन्न लेखांकन मानकों से उत्पन्न लेखांकन मामलों पर उद्घोषणाएं जारी की हैं ।

5.1.7 अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों पर प्रतिक्रिया

ए.एस.बी. ने लेखांकन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए अनेक पहल की हैं । इनमें अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आई.ए.एस.बी.) ओर अंतरराष्ट्रीय लेखाकार प्ररिसंघ (आई.एफ.ए.सी.) द्वारा जारी विभिन्न अपावरण

प्रारूपों पर टिप्पणियां देना, आई.ए.एस.बी. द्वारा जारी नए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर प्रोजेक्ट लेना, आई.ए.एस.बी. द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों में किए गए पुनरीक्षणों पर विचार करना, ताकि उन पुनरीक्षणों को भारतीय लेखांकन मानकों में लागू करने पर विचार किया जा सके, शामिल हैं ।

5.1.8 लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) से विचार-विमर्श

ए.एस.बी. ने लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) द्वारा प्रस्तुत अनेक सुझावों पर विचार किया और इन सुझावों का निपटारा समुचित रीति में किया ।

5.1.9 विनियामक निकायों के साथ विचार-विमर्श

ए.एस.बी. ने समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) जैसे विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट अनेक लेखांकन मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं । वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला यह था कि आर.बी.आई. ने अपने परिपत्रों से आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखांकन मानकों को बैंकों से अपनाए जाने की अपेक्षा की थी ।

उपरोक्त के अलावा भारत से संबंधित लेखा और संपरीक्षा मानदण्ड और संहिता के अनुपालन पर रिपोर्ट (आर.ओ.एस.सी.) तैयार करने के लिए आई.सी.ए.आई. विश्व बैंक की सहायता करती है ।

5.1.10 प्रगति में परियोजनाएं

अनेक परियोजनाओं में, विशेषतः वित्तीय लिखतों, कर्मचारियों के फायदों और मूर्त स्थिर आस्तिकों के लिए लेखांकन के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है ।

5.1.11 लेखांकन मानकों का सार संग्रह

1 जुलाई, 2004 तक के लेखांकन मानकों के सार संग्रह का अद्यतन संस्करण तैयार किया जा रहा है और इसे सी.डी. के साथ शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है ।

5.2 संपरीक्षा मानक

समाज वृत्तियों में बहुत विश्वास रखती है भले ही वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी, औषधि या इंजीनियरी हो, जो कि अपनी-अपनी वृत्ति के सदस्यों द्वारा अपनी सर्वोतम योग्यता दिखाने, अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करने और उच्च नीति परक मानकों को अपनाने के अलावा ज्ञान तथा मानकों के एक दृढ़ और सुपरिभाषित एवं संहिताबद्ध निकाय से समर्थित है । यह कहना शायद अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जहां तक आई.सी.ए.आई के सदस्यों के प्रदर्शन मानकों और नीतिपरक मानकों का संबंध है, यह हमेशा सबसे आगे है । आई.सी.ए.आई ने अन्य समितियों और बोर्ड के अलावा संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड स्थापित किया है । बोर्ड का गठन, सितंबर, 1982 में अस्थायी समिति के तौर पर आई.सी.ए.आई. के एक स्वतंत्र तकनीकी अंग के रूप में किया गया था ।

5.2.1 मिशन और उद्देश्य

बोर्ड का सर्वप्रथम मिशन भारत में विद्यमान संपरीक्षा प्रेक्टिसों का पुनरीक्षण और संपरीक्षा तथा आश्वासन मानक जारी करना रहा है । संपरीक्षा और आश्वासन मानक संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोतम प्रेक्टिसों के संहिताबद्ध होने का प्रतिनिधित्व करता है । बोर्ड, संपरीक्षा से जुड़े मुद्दों पर, चाहे वे साधारण प्रकृति के हों या उद्योग विशिष्ट, मार्गदर्शक टिप्पण भी तैयार करता है । हाल ही में बोर्ड ने, संपरीक्षा तथा आश्वासन मानकों से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने का कार्य भी प्रारंभ किया है । आज की तारीख में, बोर्ड के पास चार विवरण, बत्तीस संपरीक्षा तथा आश्वासन मानक और चालीस से अधिक मार्गदर्शक टिप्पण हैं जिनमें चार उद्योग विशिष्ट मार्गदर्शक टिप्पण हैं ।

5.2.2 कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर वक्तव्य

कंपनी कार्य विभाग ने, जून, 2003 में पूर्व विनिर्माणकारी और अन्य कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1988 के स्थान पर कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 अधिसूचित किया । 2003 के आदेश में संपरीक्षकों के लिए कुछ नई रिपोर्टिंग अपेक्षाएं शामिल हैं । बोर्ड ने बेहतर तालमेल के साथ सदस्यों की सहायता करने की दृष्टि और कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के समुचित रूप में पूरा करने के लिए कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर वक्तव्य निकाला । उक्त वक्तव्य में, 2003 के आदेश की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन

और उदाहरण दिए गए हैं और साथ ही इसमें निर्देश सामग्री के साथ अनेक परिशिष्ट भी शामिल हैं ।

5.2.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक

वर्ष के दौरान बोर्ड के तीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक निकाले हैं, अर्थात् :-

- संपरीक्षा और आश्वासन मानक (ए.ए.एस.) 30, बाह्य पुष्टियां
- संपरीक्षा और आश्वासन मानक (ए.ए.एस.) 31, वित्तीय सूचना संकलित करने के लिए नियोजन
- संपरीक्षा और आश्वासन मानक (ए.ए.एस.) 32, वित्तीय सूचना के संबंध में करार पाई गई कार्यवाही करने के लिए नियोजन ।

5.2.4 मार्गदर्शक टिप्पण

बोर्ड ने, आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के फायदे के लिए कम्प्यूटर सहायताप्राप्त संपरीक्षा तकनीकों पर भी एक मार्गदर्शक टिप्पण जारी किया है ।

5.2.5 साधारण स्पष्टीकरण

बोर्ड ने निम्नलिखित साधारण स्पष्टीकरण (जी.सी.) जारी किए हैं :-

- संपरीक्षा और आश्वासन मानक पर जी.सी. 16, विद्यमान चिंता
- संपरीक्षा और आश्वासन मानक पर जी.सी. 26, संपरीक्षा नियोजन की शर्तें

5.2.6 संपरीक्षा उद्घोषणा हस्त पुस्तिका

बोर्ड ने संपरीक्षा उद्घोषणा की एक पुनरीक्षित हस्तपुस्तिका भी निकाली जिसमें संपरीक्षा पर विवरण का पाठ, संपरीक्षा और आश्वासन मानक और संपरीक्षा पर 1 जुलाई, 2003 को प्रवृत्त साधारण मार्गदर्शक टिप्पण अंर्तविष्ट हैं । हस्तपुस्तिका में संपरीक्षा पर विवरण का पाठ, संपरीक्षा और आश्वासन मानक और संपरीक्षा पर 1 जुलाई, 2003 को प्रवृत्त साधारण मार्गदर्शक टिप्पणों वाली काम्पेक्ट डिस्क (सी.डी.) भी है ।

5.2.7 प्रगति में परियोजनाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, बोर्ड ने बहुत सी महत्वकांक्षी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ (आई.एफ.ए.सी.) द्वारा जारी संपरीक्षा पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने के लिए विद्यमान संपरीक्षा और आश्वासन मानकों को पुनरीक्षण, अनेक साधारण किन्तु अधिक सुसंगत मार्गदर्शक टिप्पण निकालना । बोर्ड, अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए सी.ए.आर.ओ. 2003 से संबंधित बिन्दुओं और उन्हें क्रियान्वित करते समय उपयोगकर्ताओं की कठिनाइयों को लेकर एक पुस्तिका निकालने की भी योजना बना रहा है । साथ ही, बोर्ड ने बहुत से पिछले मार्गदर्शक टिप्पणों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है ।

सार्वभौमिक स्वीकार्यता और प्रतियोगिता आई.सी.ए.आई की वृद्धि और सफलता के चार्टर की हमेशा प्राथमिकता रही है । तदनुसार बोर्ड ने स्वयं संपरीक्षा पर विद्यमान अंतरराष्ट्रीय मानकों में किए गए महत्वपूर्ण पुनरीक्षणों और संपरीक्षा पर बहुत से नए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मानकों के जारी किए जाने को ध्यान में रखते हुए आई.एफ.ए.सी. द्वारा जारी संपरीक्षा पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ गति बनाए रखते हुए आई.सी.ए.आई. से जारी संपरीक्षा और आश्वासन मानकों के पुनरीक्षण की परियोजना प्रारम्भ कर दी है ।

5.2.8 अन्य क्रियाकलाप

5.2.8.1 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

गत वर्ष बोर्ड ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक सामान्य प्लेटफार्म से विचार करने के लिए तथा संपरीक्षा और बीमा उद्योग से संबंधित अन्य सुसंगत मुद्दों पर राय बांटने की दृष्टि से आई.आर.डी.ए. के साथ काम करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की थी । बोर्ड के प्रतिनिधियों ने आई.आर.डी.ए. के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की तथा बीमा कंपनियों के मामले में, बैंकों को लागू रीति के अनुसार दीर्घ फार्म संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह गठित किया गया है ।

5.3 अनुसंधान

आई.सी.ए.आई की अनुसंधान समिति, आई.सी.ए.आई. के सदस्यों को वृत्तिक रूचि के, विशेषतः लेखांकन और संपरीक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से स्थापित की गई है जिससे कि वृत्ति द्वारा प्रदत्त सेवाओं में उच्चतम परंपराओं और तकनीकी सक्षमता को

सुनिश्चित किया जा सके । समिति अपनी स्थापना के वर्ष, 1955 से इस उद्देश्य को प्राप्त करने और वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए प्रबल रूप से कार्य कर रही है । इस अभ्यास के भाग रूप में समिति, मार्गदर्शक टिप्पणों, अनुसंधान अध्ययन, विनिर्दिष्ट उद्योगों में लेखांकन और संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शक सिद्धांतों, विनिर्दिष्ट उद्योगों की बाबत आंतरिक संपरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांतों, मोनोग्रामों आदि के रूप में अनेक प्रकाशन निकाल चुकी है । समिति समय-समय पर इन प्रकाशनों का पुनरीक्षण भी करती रहती है जिससे कि इन्हें अद्यतन रखा जा सके ।

वर्ष के दौरान, समिति ने *गाइडेन्स नोट ऑन अकाउंटिंग फार इक्विटी इंडेक्स एण्ड इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स एण्ड आप्शन्स* तैयार किया जिसे आई.सी.ए.आई की परिषद् के प्राधिकार से जारी किया गया है । मार्गदर्शक टिप्पण इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स, इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स, इक्विटी इंडेक्स आप्शन्स और इक्विटी स्टॉक आप्शन्स के क्रेताओं और विक्रेताओं की बहियों में लेखांकन की सिफारिश करता है । उपरोक्त के अलावा, समिति ने *चिट फंड कारबार के लिए लेखांकन और संपरीक्षा* पर एक तकनीकी गाइड निकाली है । तकनीकी गाइड में चिट फंड कारबार में लगी एनटिटी के प्रक्रियात्मक पहलुओं के अलावा लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी विशिष्ट पहलुओं को शामिल किया गया है ।

उपरोक्त के अलावा, कतिपय अन्य पहलुओं के प्रारूप पूर्ण होने के अंतिम चरणों में हैं और इन विषयों के प्रकाशन शीघ्र ही निकाले जा रहे हैं । इन प्रकाशनों में अकाउंटिंग फार इम्पलायीज शेयर बेस्ड पेयमेंटस पर मार्गदर्शक टिप्पण शामिल है । अकाउंटिंग फार इम्पलायीज शेयर-बेस्ड पेयमेंटस कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा है । इस विषय पर मार्गदर्शक टिप्पण का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है और मार्गदर्शक टिप्पण, विभिन्न हितबद्ध समूहों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा ।

विद्यालयों में अधिक जवाबदेही लाने की दृष्टि से, समिति ने प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण निकालने का विनिश्चय किया है । उक्त मार्गदर्शक टिप्पण विद्यालयों के लिए एक लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग का ढांचा निर्धारित करेगा जो सुदृढ़ लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है और यह वित्तीय विवरणियों में क्रियाकलापों की शुद्ध और उचित दृश्य प्रस्तुत करेगा । समिति ने सरकार और आई.सी.ए.आई. लेखांकन मानकों द्वारा विनिश्चित टैरिफ नियतन पद्धति के फलस्वरूप पावर सेक्टर में अपनाए जा रहे लेखा व्यवहारों के विचलन पर भी विचार करने का विनिश्चय किया है । समिति ने इस विषय पर देश में विद्युत के उत्पादन और वितरण में लगे विनियामकों और उद्यमों से परामर्श करने के पश्चात् एक चर्चा-पत्र विकसित करने का विनिश्चय किया है ।

एक ही स्थान पर लेखांकन के पहलुओं पर सभी मार्गदर्शक टिप्पणों के निर्देश की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से, समिति ने वार्षिक आधार पर मार्गदर्शक टिप्पण - लेखांकन का सार-संग्रह प्रकाशित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है । इसी प्रक्रिया के अनुक्रम में, समिति ने मार्गदर्शक टिप्पण - लेखांकन (1 जुलाई, 2003 को यथा विद्यमान) का सार-संग्रह, काम्पेक्ट डिस्क के साथ जिसमें 1 जुलाई, 2003 तक जारी सभी मार्गदर्शक टिप्पण - लेखांकन शामिल किए गए हैं और जो उस तारीख को प्रवृत्त हैं, प्रकाशित किया है । मार्गदर्शक टिप्पण - लेखांकन (1 जुलाई, 2004 को यथा विद्यमान) का सार-संग्रह तैयार किया जा रहा है जिसके सार-संग्रह में अंर्तविष्ट सभी दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक प्रति वाली सी.डी. के साथ शीघ्र ही प्रकाशित किए जाने की संभावना है । ई-पुस्तकों के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने अनुसंधान प्रकाशनों की सी.डी. (1 जुलाई, 2003 को यथा विद्यमान) भी निकाली है । सी.डी. में हाल के वर्षों में जारी किए गए नौ अनुसंधान प्रकाशनों इलैक्ट्रानिक प्रति है ।

वित्तीय सूचना के प्रस्तुतिकरण में उत्कृष्टता को मान्यता देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए, आई.सी.ए.आई. अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आई.सी.ए.आई. पुरस्कार हेतु वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है (यह प्रतियोगिता पूर्व में सर्वोतम प्रस्तुत लेखा प्रतियोगिता के नाम से जानी जाती थी) । वर्ष 2002-03 के लिए प्रतियोगिता तीन प्रवर्गों में आयोजित की गई । प्रवर्ग I में गैर-वित्तीय सार्वजनिक और निजी सेक्टर के उद्यम शामिल थे ; प्रवर्ग II में सार्वजनिक, निजी और सहकारी सेक्टर की वित्तीय संस्थाएं शामिल थीं जैसे बैंक, बीमा

कंपनियां, एन.बी.एफ.सी. आदि और प्रवर्ग III में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं तथा न्यासों सहित लाभहीन संगठन शामिल थे । विभिन्न प्रवर्गों के एक सौ उन्नीस उद्यमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया । जजों के पैनल ने प्राप्त प्रविष्टियों पर विस्तार से विचार किया और मैसर्स इन्फोसिस टेक्नोलोजीज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं (31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए) को अनेक गैर-वित्तीय सार्वजनिक और निजी सेक्टर के उद्यमों से प्राप्त प्रविष्टियों में सर्वोत्तम न्यायनिर्णीत किया और तदनुसार उस कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए रजत शील्ड से पुरस्कृत किया । इस प्रवर्ग में अत्यंत सराहनीय लेखाओं के लिए ताम्र प्लेक डा. रेड्डी'ज लेबोरेटरीज लिमिटेड को दिया गया । शेष दो प्रवर्गों के लिए प्रतियोगिता में प्राप्त कोई भी प्रविष्टि मापदंड पूरा रकने में सफल नहीं हुई । अतः पैनल ने उन दो प्रवर्गों में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया । पैनल द्वारा विनिश्चित पुरस्कार नई दिल्ली में 21 जनवरी, 2004 को आयोजित आई.सी.ए.आई के एक विशेष समारोह में दिए गए ।

5.4 निगमित विधियां

वर्ष 2003-04 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दौर था । समिति द्वारा प्रारम्भ की गई अन्य योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुईं । समिति का नाम "निगमित विधि समिति" से बदलकर "निगमित और सम्बद्ध विधि समिति" कर दिया गया ताकि समिति की सत्य प्रकृति दर्शित हो सके और समिति की परिधि को बढ़ाया गया जिससे कि अधिक गतिविधियों को इसमें समयोजित किया जा सके । समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ किया और संशोधनों को अंतिम रूप दिया । कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में प्रस्तावित संशोधन अब परिषद् के विचाराधीन है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निगमित और सम्बद्ध विधियों से संबंधित अनेक समसामयिक विषयों पर बहुत से सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की गईं । समिति ने उस समय के कंपनी कार्य विभाग के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया ।

5.5 राजकोषीय विधियां

राजकोषीय विधि समिति ने पोस्ट बजट ज्ञापन- 2003 सरकार को प्रस्तुत किया । ज्ञापन में अंतर्विष्ट कुछ सुझाव वित्त विधेयक, 2003 के पारित होकर वित्त अधिनियम, 2003 बनते समय स्वीकार कर लिए गए । वर्ष 2004 के दो पूर्व बजट ज्ञापनों में से 1 जनवरी, 2004 में निवर्तमान सरकार द्वारा अंतरिम बजट के पुरःस्थापन के पहले प्रस्तुत किया गया और दूसरा मई, 2004 में नई सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने के पहले प्रस्तुत किया गया । संस्थान के अध्यक्ष, समिति के चेयरमैन और संस्थान के सचिव ने माननीय वित्त मंत्री से 12 अगस्त, 2004 को भेंट की और पोस्ट बजट ज्ञापन, 2004 प्रस्तुत किया ।

समिति ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के अधीन रिपोर्ट पर मार्गदर्शक टिप्पण पुनरीक्षित किया । समिति ने एक एतिहासिक प्रकाशन "डेप्रीसिएशन - अकाउंटिंग, टेक्सेशन एण्ड कंपनी लॉ इशूज - ए स्टडी" निकाला । यह प्रकशन लेखांकन, कराधान और कंपनी विधि के क्षेत्रों में अवक्षयण के अनेक पक्षों की एक आलोचनात्मक परीक्षा है ।

संस्थान के अध्यक्ष तथा समिति के चेयरमैन ने सी.बी.डी.टी के अध्यक्ष से भेंट कर महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जैसे - सेवाओं के बाह्य स्त्रोत होना, चार्टर्ड अकाउंटेंटों से विभाग को सहायता, प्रशिक्षण सत्रों/संयुक्त संगोष्ठियों का विभाग के ज्येष्ठ पदाधिकारियों के साथ संचालन । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समन्वयन के साथ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों को ई-रिटर्न इन्टरमीडियरीज के रूप में शामिल किया जाए । इस दिशा में पर्याप्त उपलब्धि हासिल हुई है ।

समिति ने चैन्नई में कराधान पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित की । साथ ही, इसने एस.आई.आर.सी. की मंगलौर शाखा के सहयोग से मंगलौर में राजकोषीय और सम्बद्ध विधियों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया । डब्ल्यू.आई.आर.सी. की अहमदाबाद शाखा के सहयोग से राजकोषीय विधि समिति और निगमित विधि समिति ने संयुक्त रूप से अहमदाबाद में राजकोषीय और निगमित विधियों पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया ।

5.6 वित्तीय बाजार और निवेशकर्ता संरक्षण

वित्तीय बाजार और निवेशकर्ता संरक्षण अनिवार्यतः विश्वास के आधार पर बनते हैं जो अब विनियामक प्राधिकरणों और निगमित एनटिटी की मुख्य सोच बन गए हैं । बाजार, संस्थाएं और निगमित एनटिटियों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी छवि दर्शाने के लिए अनुकूल उपायों के रूप में निगमित शासन से उम्मीद लगाएं । भावी सहस्त्राब्दि के लिए मुख्य प्रयास निगमित शासन पर सर्वोत्तम सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं की एक संहिता स्थापित करना हे । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन और दृष्टि को प्राथमिक रूप से निगमित शासन और निवेशकर्ता संरक्षण के मूल विषय पर संकेन्द्रित किया है । इस संकेन्द्रित पहल और अपेक्षित कार्य-योजना को अग्रसर करने के लिए समिति, अनेक बाजार विनियामकों के साथ साकारात्मक और सक्रिय विचार-विमर्श करने पर विचार कर रही है ताकि वह उन्हें अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान कर सके । निगमित शासन पर अनुसंधान अध्ययन, सदस्यों के लिए वित्तीय सलाहकार सेवाओं पर सर्टिफाइड/मोडुलर/रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और देश के विभिन्न भागों में निवेशकर्ता जागरूकता अभियान चलाना समिति की पहलों के अन्य केन्द्र बिन्दु हैं ।

5.6.1 सरकारी विनियामक प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श

समिति, बाजार विनियामकों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और कंपनी कार्य मंत्रालय के साथ सक्रियात्मक भूमिका निभाने पर विचार कर रही है । विनियामकों की प्रत्याशाओं की पहचान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इन अभ्यासों की सहायता से समिति की आशा है कि आम तौर पर वृत्ति में समाज संबंधी प्रत्याशा दूरी कम होगी ।

5.7 विशेषज्ञ राय

लेखांकन और संपरीक्षा के सिद्धांतों और संबंद्ध क्षेत्रों वाले विषयों पर संस्थान से सदस्यों की आशंकाओं का उत्तर देने के उद्देश्य से विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है ।

गत वर्षों में, आई.सी.ए.आई. ने अनेक लेखांकन मानक, संपरीक्षा और आश्वासन मानक एवं मार्गदर्शक टिप्पण जारी किए हैं । इन उद्घोषणाओं के जारी किए जाने के, बढ़ती हुई रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण अपेक्षाओं तथा गतिशील माहौल, जिसमें एक सदस्य अपने वृत्तिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है, के फलस्वरूप विशेषज्ञ सलाहकार समिति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि यह विभिन्न विषयों पर आई.सी.ए.आई. के सदस्यों की ऐसी शंकाओं का समाधान करती है जिनमें लेखांकन मानक, संपरीक्षा और आश्वासन मानक, मार्गदर्शक टिप्पणों आदि द्वारा प्रतिपादित अनेक सिद्धांतों की व्याख्या और क्रियान्वयन से जुड़े प्रश्न होते हैं । वर्ष के दौरान 24 शंकाओं पर राय अन्तिम रूप दिया जो कि विभिन्न विषयों जैसे विदेशी मुद्रा संव्यवहार के लिए लेखांकन, खंड रिपोर्टिंग, राजस्व स्वीकृति, सामान-सूची का मूल्यांकन, समामेलन से उत्पन्न रिजर्व, प्रतिभूतिकरण संव्यवहार, उधार लागत और अमूर्त आस्तियों से संबंधित थे । समिति की राय, वृत्ति के सदस्यों के लिए उन क्षेत्रों में सिद्धांत अधिकथित करके जिनके संबंध में अभी तक कोई अधिप्रमाणित उद्घोषणाएं जारी नहीं की गई हैं, अपनी वृत्तिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी सहायक सिद्ध होता है ।

वर्ष के दौरान अंतिम रायों को मत संग्रह के एक खंड में प्रकाशित किया जाता है । अभी तक, जनवरी, 2003 तक समिति द्वारा अंतिम रायों से युक्त मत संग्रह के 22 खंड बिक्री के लिए जारी किए जा चुके हैं । फरवरी, 2003 और जनवरी, 2004 के बीच समिति द्वारा अंतिम राय से युक्ति मत संग्रह के खंड 23 को संकलित किया जा रहा है ।

समिति की राय, समिति की राय को दर्शाती है न कि अनिवार्य रूप से परिषद् की राय को । ये राय शंकाकर्ता द्वारा उठाई गई शंकाओं के तथ्यों और परिस्थितियों, लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों और प्रैक्टिस तथा उस तारीख को, जिसको समिति विशिष्ट राय को अंतिम रूप देती है, लागू सुसंगत विधि पर आधारित होती है । राय को अंतिम रूप देते समय, समिति सम्बद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय गतिविधियों को ही ध्यान में नहीं रखती अपितु विषय पर उभरते विचारों सहित सुसंगत अंतरराष्ट्रीय साहित्य को भी ध्यान में रखती है ।

समिति द्वारा अंतिम रूप से दी गई कुछ रायों को अधिकांश सदस्यों की जानकारी के लिए संस्थान की पत्रिका चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जा रहा है और आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है ।

5.8 अनवरत वृत्तिक शिक्षा

5.8.1 सामान्यावलोकन

रिपोर्टिंग अवधि, आई.सी.ए.आई. के विश्व के केवल सर्वोत्तम चार्टर्ड अकाउंटेंटों के तुलनीय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की प्रास्थिति को बनाए रखने के प्रयासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । संस्थान ने अनवरत वृत्तिक शिक्षा पर एक वक्तव्य द्वारा 1 जनवरी, 2003 से व्यवसाय करने वाले सदस्यों के लिए अनवरत वृत्तिक शिक्षा (सी.पी.ई.) को आज्ञापक बनाने के बाद एक वर्ष पूरा कर लिया है । वृत्तिक सेवाओं के उच्च मानक बनाए रखने के लिए अनवरत वृत्तिक शिक्षा समिति ने सदस्यों की सहायता करने के लिए प्रत्येक संभव पहल की है और उसे क्रियान्वित किया है ।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रेक्टिसों के अनुसार सी.पी.ई. पर विवरण को ऐसे पुनरीक्षित किया गया है जिससे कि :-

- प्रेक्टिस वाले सभी सदस्यों (कतिपय अपवादों सहित) द्वारा कलेंडर वर्ष 2004 के दौरान कम से कम 15 घंटे और कलैंडर वर्ष 2005 के दौरान कम से कम 20 घंटे अपने क्रेडिट में अभिप्राप्त करना अपेक्षित हो ।
- उद्योग में सेवारत या प्रेक्टिस से भिन्न कार्यों में लगे सभी सदस्यों द्वारा कलैंडर वर्ष, 2004 के दौरान कम से कम 15 घंटे अपने क्रेडिट में अभिप्राप्त करने की सिफारिश की जाती है और कलैंडर वर्ष, 2005 के दौरान उनके द्वारा कम से कम 10 घंटे अपने क्रेडिट में अभिप्राप्त करना अपेक्षित हो ।
- सी.पी.ई. क्रेडिट सीखने के क्रियाकलाप में वस्तुतः व्यतीत किए गए समय के समतुल्य प्रदान किया जाएगा (कम से कम दो घंटे के अधीन रहते हुए) ।

5.8.2 सी.पी.ई. कार्यक्रम परिदान का संवर्धन

समिति ने देशभर में सी.पी.ई. अध्ययन केन्द्रों, सी.पी.ई. चेप्टरों और सी.पी.ई. अध्ययन समूहों के स्थापन द्वारा सी.पी.ई. कार्यक्रम परिदान अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए पहल की है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समिति ने भारत में क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न आने वाले स्थानों पर सी.पी.ई. अध्ययन समूह बनाने और उनके कार्यकरण के संबंध में मापदंड जारी किए हैं जिससे कि सुदूर स्थानों और भौगोलिक रूप से एकान्त क्षेत्रों में रहने वाले सदस्य ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से सी.पी.ई. दूर-सम्मेलन कार्यक्रमों में भाग लेकर सी.पी.ई. क्रेडिट घंटे अर्जित कर सकें ।

5.8.3 पी.ओ.यू. को सशक्त बनाना

सी.पी.ई.पी.ओ.यू. शामिल किए जाने वाले विषयों में एकरूपता बनाए रखने और आइ.सी.ए.आई. से संपर्क किए बिना सी.पी.ई. क्रेडिट घंटे अवधारित करने के लिए समर्थ बनाने के दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सम्यक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् सी.पी.ई. कलैंडर जारी कर दिया गया है । इसमें न केवल प्रेक्टिस वाले सदस्यों बल्कि सेवारत् सदस्यों के व्यावहारित सुसंगत विषयों को भी शामिल किया गया है । महानगरों, बड़े शहरों और दूर-दराज एवं सुदूर स्थानों में रहने वाले सदस्यों की सी.पी.ई. अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है । समसामयिक और भावी महत्व के विषयों को शामिल किया गया है जिससे कि सी.पी.ई. कलैंडर आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के सभी वर्गों के लिए उपयोगी हो ।

पूर्व वर्षों से भांति, सी.पी.ई. कलैंडर को दो भागों में विभाजित किया गया है अर्थात् - आज्ञापक विषय और वैकल्पिक विषय ! आई.सी.ए.आई. के एक हजार से अधिक सदस्यों वाली सी.पी.ई.पी.ओ.यू. से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्रत्येक तिमाही में आज्ञापक और वैकल्पिक विषयों में से कम से कम दो-दो विषयों का संचालन करे । एक हजार से कम सदस्यों वाली सी.पी.ई. पी.ओ.यू. से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्रत्येक तिमाही में आज्ञापक और वैकल्पिक विषयों में कम से कम एक-एक विषय का संचालन करे ।

5.8.4 सी.पी.ई. कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखना

समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ सी.पी.ई. पी.ओ.यू. द्वारा आयोजित किए जाने वाले सी.पी.ई. कार्यक्रमों की गुणवत्ता को मानिटर करने के लिए क्षेत्रीय सी.पी.ई. मानिटरिंग समितियां बनाई हैं । जैसा कि सी.पी.ई. एडवाइजरी औन मानिटर्स एण्ड सुपरवाइजर्स के अंतर्गत अपेक्षित है, ऊपर कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानिटर और सुपरवाइजर नामनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं ।

क्वालिटी सी.पी.ई. कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, समिति ने "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" कार्यक्रम के दूसरे बैच के प्रशिक्षण का आयोजन किया । इस बार के कार्यक्रम में आई.सी.ए.आई. के उत्तरी मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के सदस्यों ने भाग लिए । इस पहल का एक उद्देश्य यह भी है कि संपूर्ण देश में सी.पी.ई. स्त्रोत व्यक्ति आधार विकसित किया जाए जिससे कि सदस्य आई.सी.ए.आई. की पी.ओ.यू. द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से क्वालिटी शिक्षा प्राप्त कर सकें । समिति का विचार निकट भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक संख्या में आयोजित करने का है जिससे कि संपूर्ण भारत में सी.पी.ई. स्त्रोत व्यक्ति आधार को बढ़ावा दिया जा सके ।

5.8.5 सी.पी.ई. मोड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति ने पहली बार सी.पी.ई. मोड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम की संकल्पना को प्रारम्भ किया है । सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं से अनुरोध किया गया है कि वे सी.पी.ई. कलैंडर में दिए गए किसी भी एक विषय पर अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक सी.पी.ई. मोडुलर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें । ये कार्यक्रम, भाग लेने वालों की संख्या पर निर्बंधन के साथ उनके सीखने के अनुभव को समृद्ध करने की दृष्टि से प्रारम्भ किए गए हैं । इस संबंध में समुचित मार्गदर्शक दिया जा चुका है ।

5.8.6 प्रबंध और लेखांकन अनुसंधान

लेखांकन, संपरीक्षा, प्रबंध, अर्थशास्त्र और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समिति ने तिमाही अनुसंधान पत्रिका "मेनेजमेंट एण्ड अकाउंटिंग रिसर्च" को प्रकाशित करना जारी रखा है । पत्रिका में भारत और विदेश दोनों से विशेषज्ञों के तकनीकी योगदानों को शामिल किया जाता है । समिति ने इस पत्रिका के लिए विशेषज्ञों द्वारा क्वालिटी योगदान आकर्षित करने की दृष्टि से लेखकों और पुनरीक्षकों को संदेय मानदेय के पुनरीक्षण के लिए व्यवस्था की है ।

5.8.7 केन्द्रीय सी.पी.ई. डाटा बेस

समिति ने व्यष्टिक सदस्यों के अभिलेख पर प्रविष्टि में सी.पी.ई. क्रेडिट समाविष्ट करने और उसके अनुरक्षण के लिए कदम उठाए हैं । आई.सी.ए.आई की वरचुअल इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट के साथ-साथ सदस्यों द्वारा उपस्थित सी.पी.ई. क्रेडिट और सी.पी.ई. कार्यक्रमों के ब्यौरों का आन लाइन सत्यापन को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

5.8.8 1 जनवरी, 2006 तक न्यूनतम सी.पी.ई. क्रेडिट पर आई.एफ.ए.सी. की अपेक्षाएं पूरी करने हेतु आई.सी.ए.आई. को समर्थ बनाने के लिए कार्य योजना

1 जनवरी, 2006 तक न्यूनतम सी.पी.ई. क्रेडिट पर आई.एफ.ए.सी. की अपेक्षाएं पूरी करने हेतु आई.सी.ए.आई. को समर्थ बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है । इस संबंध में अपनाई जाने वाली युक्तियों को पृथक किया गया है ।

5.8.9 सी.पी.ई. समिति की अन्य पहल

सी.पी.ई. समिति निम्नलिखित युक्तिगत पहलुओं पर कार्य कर रही है :

- आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के लिए उच्च विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन ।
- कर्मचारिवृंद और आई.सी.ए.आई. सदस्यों के लिए अनवरत वृत्तिक शिक्षा की परियोजित गुणवत्ता और प्रमाण के साथ आनुपातिक भौतिक अवसंरचना का समयबद्ध विकास जिससे कि आई.सी.ए.आई. अधिक कारगर रूप से अपने सदस्यों की सेवा करने में समर्थ हो ।
- अधिक इन-हाउस कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का आयोजन ताकि उद्योगों में सदस्य सी.पी.ई. अपेक्षाओं को पूरा कर सकें ।
- अन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टीविटीज पर सी.पी.ई. एडवाइजरी का जारी किया जाना ।
- उद्योग में सदस्यों के संगठन स्तर वाले सी.पी.ई. अध्ययन केन्द्र बनाने और उनके कार्यकरण के मापदंड ।
- सी.पी.ई. जागरूकता अभियान का संचालन ।
- सी.पी.ई. पृष्ठभूमि सामग्रियों का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन ।

5.9 वृत्तिक विकास समिति

वृत्तिक समिति ने अपना मिशन पूरा करने की दिशा में यात्रा जारी रखी है अर्थात् कारबार संसार, व्यापार और वाणिज्य, सेवा, अवसंरचना शासन के विभिन्न सेक्टरों और संपूर्ण समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक प्रतिभा और कौशल के उपयोग के लिए अवसर खोजना प्राप्त करना, विकसित करना, सुनिश्चित करना और उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि ये संभावनाएं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उनकी सम्यक वृत्तिक योग्यताओं और विशेषज्ञताओं के अनुरूप समान रूप से उपलब्ध हों । इस मिशन को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास के भाग रूप में समिति अनेक विनियामक/पैनलित करने वाले प्राधिकरणों तथा वृत्ति की सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से निरंतर विचार-विमर्श कर रही है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान वृत्तिक विकास समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए पैनलित करने वाले प्राधिकरणों/वृत्ति की सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के साथ अपने संवाद जारी रखे कि वृत्ति के समस्त सदस्यों को न्यायसंगत अवसर उपलब्ध हों । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा प्राप्त/किए गए उपलब्धियां/प्रयास नीचे दी गई हैं :-

- वर्ष 2003-04 से बैंकों की कानूनी संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा पारिश्रमिक में वृद्धि, इसमें कार्य की मात्रा और परिमाण में वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि सम्मिलित है ।
- बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा पर एक केन्द्रीय उप समिति का गठन ।
- बैंकों की संपरीक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक से चर्चा ।
- भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के कार्यालय में सदस्यों के प्रत्यक्ष हित के अनेक मुद्दों का अनुसरण किया गया ।
- सैद्धांतिक रूप से नाबार्ड कार्य समूह वर्ष 2003-2004 से अपनी केन्द्रीय कानूनी संपरीक्षा तथा अपने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और उनकी शाखाओं की शाखा संपरीक्षा के लिए 20 प्रतिशत तक संपरीक्षा फीस बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है ।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं आर.बी.आई. सहित सात वित्तीय संस्थाओं की संपरीक्षा फीस में 40% से 45% तक वृद्धि करने की सिफारिश की है ।
- मूल्य वर्धित कर प्रारम्भ करने के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अभ्यावेदन भेजे जा रहे हैं ।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर बैंकों/चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और आर.बी.आई के कानूनी संपरीक्षकों के पैनलित करने के पुनरीक्षित मानदंडों की घोषणा की है ।
- आई.एस.ए. अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों का एक पैनल समस्त पब्लिक सेक्टर बैंकों, निजी सेक्टर बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सहकारी बैंकों और उद्यमों एवं विदेशी बैंकों को प्रस्तुत किया गया ।
- स्टॉक दलालों के निरीक्षण/संपरीक्षा के चार्टर्ड अकाउंटेंटों के पैनलीकरण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड साथ बैठकें की गईं ।
- वर्ष 2003-2004 के लिए बैंक शाखा पैनल आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट पर पहली बार उपलब्ध कराया गया ।
- इस वर्ष पहली बार वर्ष 2003-2004 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षाओं की आबंटन स्थिति से संबंधित जानकारी भी आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई ।
- वर्ष 2004-2005 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षा हेतु संपरीक्षकों के पैनलीकरण के लिए आवेदन पत्र पहली बार ऑन लाइन आमंत्रित किए गए और वित्तीय विवरण तथा आय-कर विवरणी संलग्न किए जाने को समाप्त किया गया ।

उपरोक्त के अलावा, समिति निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है :-

- सभी उपलब्ध और संभावित अवसरों की खोज और उपयोग ताकि आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के लिए वृत्तिक विकास और वृद्धि के नए अवसर सुनिश्चित किए जा सकें ।

- वृत्ति प्रभावित करने वाले मामलों पर उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना
- ऐसे सभी विषयों पर, जो समिति के मुख्य मिशन से संबंधित है, पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना ।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विकसित संभाव्य क्षेत्रों के संबंध में उन्हें दिए जाने वाले मार्गदर्शन की रीति और प्ररूप अवधारित करना ।
- ऐसे निकायों और अभिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने सहित ऐसे संपर्क स्थापित करना जो संपूर्ण मिशन सफल बनाने में सहायक हों ।
- वृत्ति के सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के साथ संसूचना प्रक्रिया में सुधार लाना जिससे कि वृत्ति के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के अनुरूप वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर प्राप्त हों ।
- आई.सी.ए.आई. सदस्यों के कौशल और योग्यता में सुधार में विनिर्दिष्ट सहायता देने के लिए उपायों और साधनों पर विचार करना (प्राथमिकतः यह आई.सी.ए.आई. की दूसरी समितियों को सिफारिशों के रूप में होंगी) ।
- अंततः किंतु अल्पतम नहीं, यह सुनिश्चित करना कि वृत्तिक विकास के विद्यमान अवसरों को न्याय संगत और वृद्धि उन्मुख स्तरों पर पूर्णतया उपयोग और अनुरक्षित किया जाए ।

समिति का यह दृढ़ विश्वास है कि "हम केवल वह प्राप्त करते हैं जिसकी योजना बनाते हैं" । इस विश्वास के अनुसरण में और इसके उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति व्यवसाय के नए क्षेत्रों की पहचान और पोषण को प्राथमिकता दे रही है और इसे वर्ष 2004-2005 से वृत्तिक विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को केन्द्रित क्षेत्र के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

- सूचना-प्रोद्योगिकी परामर्श
- ई.आर.पी. कार्यान्वयन समर्थन
- मिनी ई.आर.पी. कार्यान्वयन समर्थन
- जोखिम प्रबंध अध्ययन
- निगमित कानूनी संपरीक्षा/आंतरिक संपरीक्षा
- प्रबंध परामर्श
- आई.टी.युक्ति/प्रतिभूति/आई.एस. संपरीक्षा
- प्रणाली अध्ययन और बी.पी.आर.
- निगमित/बैंकों के लिए बी.पी.ओ. प्रचलन
- मूल्यांकन/सम्यक् कर्मिष्ठता
- निगमित वित्त
- अनुपालन संपरीक्षा
- अप्रत्यक्ष कर - परामर्श
- साफ्टवेयर पैकेज कार्यान्वयन सेवाएं
- बीमा
- अनुपालन संपरीक्षा
- आय-कर/बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/उत्पाद शुल्क
- कर संपरीक्षा
- तकनीकी समर्थन/विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान - एफ.ई.एम.ए./सूचना प्रोद्योगिकी/आई.एस.संपरीक्षा / प्रतिभूति/जोखिम प्रबंध/बीमा
- लेखांकन और मुनीमी सेवाएं
- ए.टी.एम. नियंत्रण पुनरीक्षण

समिति अपने इस दायित्व के प्रति भी सचेत हैं कि वह वृत्तिक अवसरों के नए पहलुओं से संबंधित क्षेत्रों में सदस्यों को शिक्षित करे । इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्यक्रम/संगोष्ठियां आयोजित किए :-

-- निर्यात आयात नीति और प्रक्रिया एवं चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका
-- लघु लेखांकन फर्मों की पुनः इंजीनियरी

समिति का अनेक दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम/संगोष्ठियां आयोजित करते रहने का प्रस्ताव है जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :-

-- पारस्परिक निधियों की संपरीक्षा
-- स्टाक दलालों की संपरीक्षा
-- टेलीकॉम सेक्टर की संपरीक्षा
-- नगरपालिकाओं, जिनके अन्तर्गत उपांतरित संभूति प्रणाली में लेखाओं का संपरिवर्तन है, की संपरीक्षा
-- मूल्य वर्धित कर की संपरीक्षा
-- बैंक निदेशकों का सम्मेलन

5.10 पीयर रिव्यू बोर्ड

आई.सी.ए.आई. द्वारा गठित पीयर रिव्यू बोर्ड ने पीयर रिव्यू प्रक्रिया को गति प्रदान की, भारत में लेखाकर्म वृत्ति के इतिहास में एक नए युग की घोषणा की तथा आई.सी.ए.आई. सदस्यों द्वारा किए गए स्पष्ट कृत्यों की गुणवत्ता को निर्देशित किया । इस संबंध में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नानुसार है :-

- अक्तूबर 2003 और अगस्त, 2004 के मध्य बोर्ड के पैनल में समीक्षकों के लिए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । कार्यक्रमों में कुल 718 समीक्षकों ने भाग लिया जिनका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

तारीख	स्थान	भाग लेने वाले समीक्षकों की संख्या
22 अक्तूबर, 2003	नई दिल्ली	39
2 नवंबर, 2003	जयपुर	43
8 नवंबर, 2003	चैन्नई	52
10 नवंबर, 2003	हैदराबाद	44
14 नवंबर, 2003	कोलकाता	36
23 नवंबर, 2003	बंगलौर	39
28 नवंबर, 2003	मुम्बई	48
29 नवंबर, 2003	पुणे	21
01 दिसंबर, 2003	अहमदाबाद	85
14 दिसंबर, 2003	नागपुर	33
12 जनवरी, 2004	कानपुर	38
13 फरवरी, 2004	इन्दौर	35
26 मार्च, 2004	लुधियाना	41
4 जून, 2004	नई दिल्ली	57
30 जुलाई, 2004	मुम्बई	62
	कुल	718

- समीक्षकों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया गया है और पैनल पर समीक्षकों की कुल संख्या 1527 है ।
- चरण I के अधीन विशेषतः विकसित साफ्टवेयर द्वारा कम्प्यूटरीकृत यदृच्छित चयन के माध्यम से समीक्षा हेतु 241 प्रेक्टिस यूनिटें चयनित की गई ।
- पीयर रिव्यू के चरण I के अंतर्गत आने वाली 987 प्रेक्टिस यूनिटों के डाटाबेस में से चयनित 241 प्रेक्टिस यूनिटें, चयन की तारीख को स्थिर कर दी गई ।
- 241 प्रेक्टिस यूनिटों को समीक्षा के लिए उनके चयन की सूचना देते हुए पत्र भेजे गए और बाद में 3 समीक्षकों के नाम भेजे गए ।
- अगस्त, 2004 के मध्य तक 187 समीक्षकों से समीक्षा किए जाने के स्वीकृति पत्र प्राप्त हुए ।
- 5 प्रेक्टिस यूनिटों को, समीक्षकों से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट और बोर्ड द्वारा विचार कर लिए जाने के आधार पर पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र दिए गए ।
- 20 और अंतिम रिपोर्टस प्राप्त हो गई हैं और पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र जारी करने के लिए इन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

सी.पी.ई समिति के तत्वावधान में पीयर रिव्यू पर दूर-सम्मेलन कार्यक्रम दिसंबर, 2003 में आयोजित किया गया ।

एफ.ए.क्यू. पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया ।

5.11 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

5.11.1 कैम्पस साक्षात्कार

सितंबर, 1995 में शुरू कैंपस साक्षात्कार नियोजन संगठनों (पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित हैं) और ऐसे नव अर्हित सदस्यों, जो उद्योग में अपना पोस्ट अर्हता कैरियर बनाने में रूचि रखते हों, दोनों से प्रचुर मात्रा में प्रतिक्रिया बराबर मिलती रही है । वर्ष के दौरान, नियोजकों के 148 दलों ने लगभग 4,648 युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बायोडाटा का परिशीलन किया । इस स्कीम की अच्छी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित

आई.सी.ए.आई. ने उद्योग में सदस्यों के लिए अपनी उद्योग में सदस्यों के लिए समिति के माध्यम से युवा सदस्यों के लिए अधिक विश्वास के साथ साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष जाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न साक्षात्कार केन्द्रों पर अभिनवीकरण कार्यक्रम आयोजित किए । इसके अतिरिक्त "साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करें" "साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का प्रश्न बैंक" की दो पुस्तिकाएं कैंपस साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके उपयोग के लिए भेजी गई ।

5.12 सूचना प्रोद्योगिकी

5.12.1 1 अप्रैल, 2003 और 31 मार्च, 2004 के बीच आई.एस.ए. रजिस्ट्रीकरण/ई.टी.पास/ए.टी.पास की संख्या

यह अनुभूति की गई कि बढ़ते हुए अवसरों का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका संपरीक्षा और लेखांकन में परम्परावादी दक्षता की टेक्नोलाजी आधारित विश्वस्त कौशल परिवर्तित कर देता है इसलिए इसने बड़ी संख्या में आई.एस.ए. पाठ्यक्रम में भाग लेकर के अद्यतन ज्ञान चाहने वाले आई.सी.ए.आई. के सदस्यों को प्रेरित किया है । आई.एस.ए. पात्रता परीक्षण (ई.टी.) और निर्धारण परीक्षण (ए.टी.) का संचालन प्रत्येक तिमाही होता है । निम्नलिखित तालिका आई.एस.ए. रजिस्ट्रीकरण/ई.टी.पास/ए.टी.पास की स्थिति को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संक्षेप में दर्शाती है :-

विशिष्टियां	आई.एस.ए. रजिस्ट्रीकरण	ई.टी. पास	ए.टी. पास
31.3.2003 को	9450	3998	1977
1.4.2003 से 31.3.2004 के बीच	6237	4903	3180
31.3.2004 को	15687	8901	5157
1.4.2004 और 14.8.2004 के बीच	1579	1350	2185
14.8.2004 को कुल संख्या	17266	10251	7342

5.12.2 आई.एस.ए. स्त्रोत व्यक्ति/फेकल्टी अधिवेशन

आई.एस.ए. पाठ्यक्रम, आई.एस.ए. पाठ्यक्रम विवरण और अद्यतन सामग्री के पुनरीक्षण एवं अधिक व्यावहारिक अर्न्तवस्तु शामिल करने के लिए एक फेकल्टी अधिवेशन आयोजित किया गया ।

5.12.3 सूचना प्रोद्योगिकी हारमनी न्यूजलेटर - प्रोद्योगिकी पर आई.सी.ए.आई. की आवाज

जनवरी, 2003 से प्रारम्भ सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी समिति "सूचना प्रोद्योगिकी हारमनी न्यूजलेटर - 2003" निकाल रही है जिसे विषय-वस्तु, डिजाइन, व्यवहार और विचार विषयक उच्च स्तरीय विषयों पर लेखों के लिए बहुत सराहा गया है । आई.एस.ए. पोर्टल पर www.isaicai.org में उपलब्ध आई.टी हारमनी की विषय-वस्तु निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

मास	विषय-वस्तु
मई, 2003	डाटा वेयर हाउसिंग
जून, 2003	वाइरस
जुलाई, 2003	ई-गवर्नेंस
अगस्त, 2003	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
सितंबर, 2003	लिगेसी सिस्टम
अक्तूबर, 2003	सिक्योरिटी पालिसी
दिसंबर, 2003	पोस्ट इम्पलीमेंटेशन आडिट्स
मार्च, 2004	आई.टी. मेनेजमेंट
अप्रैल, 2004	आइडेंटिटी मेनेजमेंट
मई, 2004	सरबेन्स ओक्सले एंड रिबिल्डिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट
जून, 2004	कनवरजेंस
जुलाई, 2004	बिजनेस कन्टीन्युटी प्लानिंग

सम्बद्ध विषयक और समसामायिक विषयों के अलावा न्यूजलेटर में शामिल अन्य मुख्य विशेषताएं हैं - सरकार में नेताओं से साक्षात्कार, कारोबार प्रोद्योगिकी संस्थान ।

5.12.4 ई-लर्निंग पद्धति के माध्यम से आन लाइन प्रेक्टिस परीक्षण (ओ.एल.पी.टी.) और अनुसंधानात्मक आन लाइन अध्ययन सामग्री (आर.ओ.एस.एम.) की दोहरी सेवाएं

समिति ने आन लाइन प्रेक्टिस परीक्षण (ओ.एल.पी.टी.) सुविधा प्रदान करने के लिए 24/7/365 आधार पर (हर समय) आन लाइन सुविधा की व्यवस्था है जिससे कि सदस्य अपने ज्ञान के स्तर पर पहुंचकर, आई.एस.ए.ई.टी और ए.टी. परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों के प्रकार और स्तर का अपावरण प्राप्त कर सकें । इस सेवा का दूसरा महत्वपूर्ण घटक अनुसंधानात्मक आन लाइन अध्ययन सामग्री (आर.ओ.एस.एम.) है । यह न केवल आई.एस.ए. अभ्यर्थियों के बोध के स्तर की जांच करता है बल्कि मुख्य धारणा को बेहतर ढ़ंग से समझने के लिए उस विषय पर एक पृष्ठीय पुनरीक्षण सामग्री प्रदान करता

है । यह सेवा आई.एस.ए. पोर्टल पर www.isaicai.org से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्राप्त की जा सकती है ।

5.12.5 सी.ए.ए.टी. पाठ्यक्रम

आई.सी.ए.आई. द्वारा आयोजित कम्प्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा तकनीकी पाठ्यक्रम कम्प्यूटर पर उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है । रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए निम्नलिखित तालिका में पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण और उसके पूरा होने की स्थिति दर्शायी गई हैं :-

31.3.2004 को भाग लेने वालों की संख्या	1450
1.4.2004 से 14 अगस्त, 2004 के बीच भाग लेने वालों की संख्या	1890
केन्द्रों की संख्या जहां 31.3.2004 तक पाठ्यक्रम का संचालन किया गया	51
सी.ए.ए.टी.पाठ्यक्रम पूर्ण प्रमाणपत्रों की संख्या जो 14 अगस्त, 2004 तक जारी किए गए	697

5.12.6 श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्यों के लिए आई.एस.ए. पाठ्यक्रम

एक महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय पहल के रूप में, आई.सी.ए.आई ने श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.एस.एल.) के सदस्यों के फायदे के लिए एक आई.एस.ए. पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं । वर्ष, 2003 में दो बैचों के लिए आयोजन किया गया । तीसरा बैच अगस्त, 2004 में आना है । एम.ओ.यू. के भाग के रूप में, आई.सी.ए.आई. ने परीक्षण द्वारा वृत्तिक प्रशिक्षण/ पाठ्यक्रम सामग्री / प्रेक्टिस परीक्षण/अंतिम निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए पाठ्यक्रम सहायता विस्तारित की है । पाठ्यक्रम को अधिक अभिस्वीकृति मिलने के परिणामस्वरूप नए बैच आ रहे हैं ।

5.12.7 प्रूफ आफ कन्सेप्ट लेबोरेट्री (पी.ओ.सी.एल.)/सूचना प्रोद्योगिकी में उत्कृष्टता के केन्द्र (सी.ई.आई.टी)

आई.एस.ए. अभ्यर्थियों को अपेक्षित अपावरण द्वारा आई.एस. संपरीक्षा को व्यावहारिक अपावरण प्रदान करने के लिए चैन्नई में पी.ओ.सी.एल./सी.ई.आई.टी केन्द्रों की एक पायलेट परियोजना प्रारम्भ की जा रही है । मुम्बई और दिल्ली में भी पी.ओ.सी.एल./सी.ई.आई.टी. केन्द्रों के जनवरी, 2005 तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है ।

5.12.8 व्यावहारिक प्रशिक्षण

संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था पर अधिक बल दिया जा रहा है जिससे कि व्यावहारिक अंर्तवस्तु प्रदान की जा सके और सी.ए.ए.टी औजारों के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा सके ।

5.13 आरम्भ किए गए लोक संपर्क क्रियाकलाप

संस्थान के दृष्टिकोण और भारत में लेखांकन वृत्ति की शक्ति और समसामयिक मुद्दों पर संस्थान के परिप्रेश्य एवं साथ ही वृत्ति के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए रीति को अग्रसर करने के लिए एक सक्रियात्मक युक्ति अपनाई गई जैसा कि नीचे उपदर्शित है :-

- संस्थान के लोक संपर्क क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए दो वर्ष के अंतराल के बाद लोक संपर्क समिति का पुनर्गठन किया गया है ।
- संस्थान ने इसके लोक संपर्क संबंधी कार्य को संभालने के लिए एक लोक संपर्क अभिकरण की नियुक्ति की है ।
- कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए परिषद् के सदस्यों को भी प्रेस में वक्तव्य देने के लिए अनुज्ञात किया गया है ।
- मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों और देश के अनेक दूसरे शहरों में पहल करने/की जाने वाली पहल, नीतियां और कार्यक्रम तथा वृत्ति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी इलैक्ट्रानिक मीडिया सहित प्रेस सम्मेलन किए गए । इसमें वृत्ति के समक्ष आने वाले मुद्दों पर प्रसिद्ध पत्रकारों के साथ और टी.वी. चैनलों पर आमने-सामने अध्यक्ष की बैठक भी सम्मिलित है ।
- विशिष्ट पत्रकारों, प्रेस और इलैक्ट्रानिक मीडिया, सांसदों, सरकारी पदाधिकारीगण, दृष्टिकोण स्पष्ट करने वाले विनियामकों के साथ संकेन्द्रित विचार-विमर्श किए गए

तथा वृत्ति से संबंधित राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर संस्थान द्वारा पहल की जा रही है ।

- संस्थान और सदस्यों के बीच उनके पुनर्निवेशन के लिए संसूचना संपर्क विकसित करने की दृष्टि से, संस्थान, इसके प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वृत्ति से संबंधित समसामयिक मुद्दों के लिए सार्वजनिक वाद-विवाद पर बल दिया गया ।
- राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों में संरचनात्मक लेखों और प्रेस के साथ प्रभावी बैठकों के माध्यम से सी.ए. पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देना ।
- संपूर्ण देश में संस्थान के समाचारों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए प्रेस डाटाबेस का निर्माण किया गया ।
- सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों के विकास के लिए सक्रिय पहल की गई, वृत्ति की सकारात्मक पहचान बनाई गई, सी.ए. छात्रों के लिए कैरियर संभावनाओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं को प्रमुख सामचारपत्रों और पत्रिकाओं जिसमें खालिज टाइम्स आफ दुबई भी सम्मिलित है, में विज्ञापन के माध्यम से विशिष्टिता प्रदान की गई ।
- वृत्तिक और सामाजिक तौर पर संस्थान की छवि के संनिर्माण का प्रस्ताव किया गया और टी.वी. चैनलों पर एपिसोड्स के माध्यम से साधारण जागरूकता पैदा करने का इरादा है ।
- संस्थान के कार्यालय में तथा इंटरनेट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों के प्रत्युत्तर की क्वालिटी को सुदृढ़ बनाया गया तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया गया और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए पत्रिकाओं और छात्रों के न्यूज लेटर के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई ।
- आई.सी.ए.आई. स्तर पर महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी और प्रसारण के लिए आई.सी.ए.आई. पत्रिका तिमाही प्रकाशित की जा रही है ।
- संस्थान के वेबसाइट को फेस-लिफ्ट (मुख उपचार या बाह्यरूप संस्कार) दिया गया और इसे अधिक ज्ञानवर्धक और अनुकूल रूप से उपयोगी बनाया गया । फोटो गैलरी और महत्वपूर्ण भाषणों के लिए नया अनुभाग शुरू किया गया ।
- विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठकें की गई ।
- भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकें की गई ।

5.13.1 मीडिया विषय

- बिरला आडिटोरियम, जयपूर में 11 से 13 मार्च में "रिडिफाइनिंग द अकाउंटेंसी प्रोफेशन : ए मेजर्ड रेस्पोन्स टू ग्लोबल चैलेंज" की अंर्तवस्तु पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री मदनलाल खुराना ने किया । सम्मेलन में देश भर से लगभग 2700 व्यक्तियों के अलावा कम से कम 45 देशों के लगभग 150 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया । इनमें आई.एफ.ए.सी. के अध्यक्ष, एस.ए.एफ.ए. के अध्यक्ष, कन्फेडरेशन आफ एशियन एण्ड पेसिफिक अकाउंटेंटस (सी.ए.पी.ए.) के अध्यक्ष, विभिन्न देशों में प्रादेशिक लेखांकन निकायों के अध्यक्ष, यू.एस.ए., कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फ्रांस और अन्य देशों से लेखांकन निकायों के प्रधान, जिनमें दक्षिण एशिया के निकाय, सेबी, आई.आर.डी.ए., सी.बी.डी.टी., बैंक आफ बड़ौदा, एस.बी.आई. लाइफ इन्श्योरेंस, उप.सी एण्ड ए.जी., श्री तेजेन्द्र खन्ना, श्री सुबीर राहा, श्री सतीश सेठ जैसे बड़े उद्योगपति, शामिल हैं । दूसरे शब्दों में, वे सब जो विश्व में लेखांकन संपरीक्षा, नीति शास्त्र में अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने की जवादेही से सहबद्ध हैं, जयपुर में इकट्ठे हुए ।
- 1 जुलाई, 2004 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया जिसका उद्घाटन माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री हंसराज

भारद्वाज ने किया । कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री श्री के.रहमान खान ने समारोह की शोभा बढ़ाई ।

- आई.सी.ए.आई. के 54वें वार्षिक समारोह का आयोजन, जिसका उद्घाटन बोर्ड के अध्यक्ष तथा इन्फोसी टेक्नालोजी लि0 के. मुख्य मेन्टर श्री एन.आर. नारायणमूर्ति ने किया ।
- 24 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में आई.सी.ए.आई. और फिक्की ने संयुक्त रूप से लेखांकन मानक और सी.ए.आर.ओ., 2003 पर राष्ट्रीय सभा आयोजित की ।
- संस्थान ने वर्ष 2002-03 के लिए "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आई.सी.ए.आई. पुरस्कार" दिए जाने के लिए एक समारोह आयोजित किया । माननीय श्री देवानन्द कोंनर, विद्युत और विधि मंत्री, असम सरकार ने विजयी घोषित किए गए संगठनों के प्रतिनिधियों को पुरस्कार दिए ।
- संस्थान ने मुम्बई में पूंजी बाजार पर एक लेक्चर मीटिंग का आयोजन किया । तत्कालीन वित्त राज्यमंत्री माननीय श्री आनन्दराव अदसुल मुख्य अतिथि थे ।
- संस्थान ने राजकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) भारत और विश्व बैंक के सहयोग से "स्टेंडर्ड सेटिंग इन गर्वन्मेंट अकाउंट्स" पर एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सिम्पोजियम की नई दिल्ली में दिसम्बर, 2003 में मेज़बानी भी की ।
- सिम्पोजियम में अन्तरराष्ट्रीय लेखांकन संगठनों और राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों से विशेषज्ञों ने भाग लिया ।
- संस्थान के सदस्यों के लिए समूह संरक्षण समाधान प्रदान करने के लिए संस्थान की चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याणकारी निधि (सी.ए.बी.एफ.) और बिरला सन लाइफ इन्श्योरेन्स (बी.एस.एल.आई.) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए ।
- क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए पी.आर. सपोर्ट प्रदान करना ।
- संस्थान की पी.आर. नीति को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य प्रगति पर है ।

5.13.2 अन्तरराष्ट्रीय

- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के ही समय पर भारत को पहली बार बोर्ड आफ इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंटस् (आई.एफ.ए.सी.) की बैठक की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसे जयपुर में 10-12 मार्च, 2004 को आयोजित किया गया । आई.एफ.ए.सी. के अधिकारियों की बैठक की मेजबानी भी संस्थान द्वारा की गई ।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और आई.एफ.ए.सी. की बैठकों के समय पर ही, आई.सी.ए.आई. ने समिति की बैठकों और साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (एस.ए.एफ.ए.) की सभा की बैठक, दक्षिण एशिया में अकाउंटिंग स्टेंड्र्डस सेटर्स की बैठक और इन्टरनेशनल रिजनल अकाउंटिंग बाडीज की बैठक की मेजबानी की । जो जयपुर में 10-11 मार्च, 2004 को हुई ।
- 3-5 नवंबर, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित सी.ए.पी.ए. की बैठक की मेजबानी संस्थान द्वारा की गई । भारत को यह आदर लगभग दो दशकों के बाद प्राप्त हुआ क्योंकि इसके पूर्व सी.ए.पी.ए. का सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में हुआ था ।
- संस्थान ने 26-28 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंटस (एस.ए.एफ.ए.) की ईवेन्ट्स की मेजबानी की । इन ईवेन्ट्स के ही समय, संस्थान ने इन्टीग्रेटेड फाइनेन्शियल सेक्टर इन द सार्क रिजन पर दो दिवसीय साफा सम्मेलन आयोजित किया, जिसे माननीय श्री के. रहमान खान, उपसभापति, राज्य सभा, माननीय श्री प्रेम

चन्द गुप्ता, कंपनी कार्य मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) के राज्य मंत्री और श्री एम.एम. के. सरदाना, सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय ने सुशोभित किया ।

- दिसंबर, 2003 में, मस्कट में मीटिंग द चेलैंजेज पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ओमान में रहने वाले लगभग 200 चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भाग लिया । मुख्य अतिथि महामहिम सैयद अब्दुल्ला बिन हमद अल बुसैदी ने आई.सी.ए.आई. को ऐसे और सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया । उन्होंने यह सुझाव दिया कि संस्थान ओमान के युवाओं के प्रशिक्षण और वृत्तिक विकास को अग्रसर करने के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ सहयोग कर सकता है ।
- सार्क चार्टर दिवस के अवसर पर, संस्थान ने श्री राम कालेज आफ कॉमर्स (एस.आर.सी.सी.) के सहयोग से "दे केन्कन टॉक्स - ए सक्सेज फार डेवलपिंग कन्ट्रीज" पर एक अन्तर महाविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के दस से अधिक महाविद्यालयों के लगभग बीस छात्रों ने भाग लिया ।
- द इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एण्ड वेल्स तथा न्यूजीलैंड की इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उनकी सदस्यता को आसान कर दिया है ।
- ऐसे अन्य देशों के संस्थानों के साथ बैठकें आयोजित की गईं जिनके साथ आई.सी.ए.आई. ने पारस्परिक सहयोग और अर्हताओं की मान्यता के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं ।

३.१४ व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति संकल्पनावाद, सूत्रीकरण, बातचीत, कार्यान्वयन, व्यापार से संबंधित प्रतितोष विधि जिसमें विशिष्ट रूप से माल और सेवाओं में व्यापार भी सम्मिलित है, तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, जिसमें साधारणतया राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय रूप से दोनों विश्व व्यापार संगठन प्रणाली भी सम्मिलित है, से संबंधित सभी विषयों में सुविज्ञता और प्राधिकार स्थापित करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए उसके लक्ष्य को प्राप्त करने और आई.सी.ए.आई. की सदस्यता के बीच इन विषयों में ऐसे साधनों और युक्तियों के माध्यम से, जो अधिक प्रभावकारी समझे जाते हों, विशेषज्ञता के आधार को सृजित और बढ़ाने के लिए गठित की गई थी जिससे कि इस संबंध में निश्चित और अनिश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं, चिन्ता और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति 2001 में सृजित किए जाने के बाद से भारत के आर्थिक विकस की प्रक्रिया की दिशा में योगदान करते हुए जारी पहलों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त कौशल वाले वृत्तिकों को विकसित करने के लिए आवश्यक जागरूकता, शिक्षा सृजित करने और उसके लिए आधार तैयार करने के लिए कार्य कर रही है ।

वर्तमान में, समिति नए विश्व व्यापार वातावरण और इस प्रमुख सेक्टर के शाखा-विस्तार में होने वाले परिवर्तनो के मूल्यांकन की ईच्छा कर रही है जिससे कि नई विश्व व्यापार व्यवस्था द्वारा सृजित अन्तर का लाभ उठाने के लिए आई.सी.ए.आई. के सदस्य पर्याप्त रूप से लैस किया जाए । इस प्रयोजन के लिए कि भारतीय वृत्तिक, परिवर्तन की उस हवा से अलग-थलग न पड़ जाएं, जो हमारे आस पास बहुत तेज गति से चल रही है, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर अधिक बल दिया है :-

- विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में संस्थान के सदस्यों की सामर्थ्य वृद्धि ।
- भारतीय वृत्तिकों से सेवाओं का निर्यात विस्तृत करने के लिए साधनों की पहचान और छान-बीन ।
- विश्व व्यापार संगठन के अधीन वृत्तिक अवसरों का सृजन ।
- अनेक साधनों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार ।
- विश्व व्यापार संगठन में समुचित स्तर पर लिए जाने के लिए सरकार को तकनीकी निवेश प्रदान करके विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अधीन भारतीय वृत्तिकों के लिए लेवल प्लेयिंग फील्ड की व्यवस्था ।

5.14.1 अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम

आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के बीच विशेषज्ञताप्राप्त कौशल विकसित करने की दिशा में सक्रियात्मक कदम उठाते हुए, न केवल यह की विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए बल्कि परिणामस्वरूप उत्पन्न अवसरों से लाभान्वित होने के लिए भी व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति ने आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के लिए अहतोत्तर पाठ्यक्रम के रूप में "अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन" पर यह कार्य-क्षेत्र प्रारंभ करने की संकल्पना की थी । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को सुसंग क्षेत्रों में पूर्ण जानकारी प्रदान करना है ताकि उन्हें नए वृत्तिक अवसर प्राप्त हो सकें । पाठ्यक्रम चार्टर्ड अकाउंटेटों के केरियर को नइ दिशा प्रदान करेगा क्योंकि इसका उद्देश्य सदस्यों को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान करना है जिससे कि वे नए आयामों और वास्तविकताओं के लिए स्वयं को योग्य बनाएं । केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिलने पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम भारत के राजपत्र के द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

वर्ष के दौरान, समिति ने अनेक डब्ल्यू.टी.ओ. करार, डब्ल्यू.टी.ओ. के कार्यकरण तथा देशीय और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधि और पर्यावरण में अभ्यर्थियों के समुच्चय सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के विभिन्न पेपरों के लिए अर्थपूर्ण अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु बढ़े जोश से प्रयास किए । समिति ने पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व प्रारम्भिक तैयारियों की दिशा में अनेक पहलें की थी । बड़ी पहल के रूप में पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, जैसाकि पाठ्यक्रम की स्कीम में अनुध्यात है, देने के लिए अनेक वाणिज्यिक, औद्योगिक, राजकीय और अन्य संगठनों/प्राधिकरणों के साथ गठ-जोड़ करने की संभावना का पता लगाना था । अन्य पहलों में पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय तौर पर ख्यातिप्राप्त फैकल्टी/अवसंरचना के साथ सहबद्ध करके इसे विभिन्न चरणों में सहज बनाना है । चूंकि समिति के प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं, इसलिए अक्तूबर, 2004 में संस्थान के सदस्यता के लिए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु मंच तैयार है ।

5.14.2 ज्ञान-साझेदारी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने एक व्यापक ज्ञान-साझेदारी पृष्ठ विकसित किया है जिसे आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट पर लिंक "के.एम." के अंतर्गत दर्शाया गया है । यह पृष्ठ डब्ल्यू.टी.ओ. की बुनियादी समझ और परिवर्तनशील क्षेत्र की अद्यतन जानकारी प्रदान करता है जिससे कि संबंधित पणधारी विश्व व्यापार में तेजी से होने वाली गतिविधियों से पूर्ण रूप से परिचित रहें । इसके अलावा डब्ल्यू.टी.ओ. के क्षेत्र में जानकारी के एक बड़े कुंड के कारण, यह पृष्ठ एक बड़े स्त्रोत प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है ।

5.14.3 डब्ल्यू.टी.ओ. - अन्वेषक - डब्ल्यू.टी.ओ. विषयों पर अद्यतन तकनीकी जानकारी

समिति द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन के अनेक अंक डब्ल्यू.टी.ओ. विषयों पर अद्यतन अर्थपूर्ण तकनीकी जारकारी प्रदान कर रहे हैं । वर्ष के दौरान प्रकाशन क्षेत्र में की गई एक बड़ी पहल माल तथा सेवा सेक्टरों में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वातावरण के पोस्ट केन्कुन दृश्य-विधान के निर्धारण की बाबत थी । प्रकाशन का यह पोस्ट केन्कुन केन्द्रीत विशेष अंक था जिसमेकं तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार के केन्कुन के अनुभव के बारे में एक अनन्य लेख भी छपा था ।

ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान के व्यापक प्रचार के लिए प्रकाशन के अनेक अंकों को आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है । वर्तमान में, प्रकाशन को दोष रहित बनाकर समिति ने उसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करने का भी विनिश्चय किया है ।

5.14.4 डब्ल्यू.टी.ओ. तकनीकी डेस्क

समिति ने वर्ष के दौरान, भारत में लेखांकन वृत्ति और इससे उत्पन्न वृत्तिक संभावनाओं के साथ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी शंकाओं का समाधान प्रदान करने के लिए एक डब्ल्यू.टी.ओ. तकनीकी डेस्क स्थापित की है ।

5.14.5 सरकार को तकनीकी निवेश का उपबंध

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, डब्ल्यू.टी.ओ. के अधीन जारी बातचीत के दौरान वृत्तिक सेवा सेक्टर से साधारणतया और लेखांकन वृत्ति से विशिष्टतया संबंधित अनेक मामलों पर आई.सी.ए.आई. ने सरकार को अपनी तकनीकी सहायता/निवेश देना जारी रखा ।

5.14.6 डब्ल्यू.टी.ओ. के अधीन सदस्यों के लिए वृत्तिक संभावनाएं सृजित करने की ईप्सा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने अक्षेपण और सहबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें निदेशालय द्वारा अपेक्षित प्रतिपादन आवेदन पत्र प्रलेखीकरण के अधीन प्रमाणन और अन्य कार्य के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी । समिति इस दिशा में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास कर रही है ।

5.15 बीमा संबंधी समिति

- समिति ने आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के फायदे के लिए अप्रैल, 2003 में बीमा और जोखिम प्रबंध में, एक अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है । विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ जीवन और साधारण बीमा के सिद्धान्त और प्रेक्टिस, बीमा लेखांकन और प्रबंध, विनियामक ढांचा, आस्ति और दायित्व प्रबंध, सॉल्वेन्सी मार्जिन, अनेक साधारण और जीवन बीमा उत्पादों से संबंधित तकनीकी पहलू, जोखिम प्रबंध उपाय, बीमा कारबार के प्रबंधन में सूचना प्रोद्योगिकी औजारों का उपयोजन एवं उत्पाद विनिर्मिती और सहायक क्षेत्रों पर नियंत्रण तथा युक्तियों का विस्तरण शामिल है । यह पाठ्यक्रम इस प्रकार से अनुमोदित किया गया है जिससे कि सदस्यों को बीमा उद्योग के बारे में उपयुक्त जानकारी हासिल हो सके ।
- समिति ने जून, 2003 में बीमा सेक्टर पर एक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय बीमा कंपनियों और बीमा मध्यवर्तियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा मुख्य वित्तीय अधिकारियों, आई.आर.डी.ए. के अध्यक्ष और सदस्यों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों ने भाग लिया । संपूर्ण देश में, बीमा सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए बुनियादी तौर पर केन्द्रित वृत्तिक संभावनाओं की पहचान करने के लिए बीमा संबंधित विषयों पर बहुत सी संगोष्ठियां आयोजित कीं ।
- उद्योग और आई.सी.ए.आई. से संबंधित मुद्दों पर समिति ने आई.आर.डी.ए. के साथ निकट संपर्क बनाए रखा ।
- उद्योग विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता पाठ्यक्रम होने के कारण, सहभागिता की दृष्टि से पाठ्यक्रम को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया । पाठ्यक्रम के लिए 31 मार्च, 2004 तक और मध्य अगस्त, 2004 तक क्रमशः 1947 और 2289 सदस्यों का नामांकन हुआ । क्षेत्रवार अभ्यर्थियों का क्षेत्रवार पृथक्करण निम्नानुसार है :-

क्षेत्र	31 मार्च, 2004 को	मध्य अगस्त, 2004 को
पश्चिमी	299	374
दक्षिणी	858	923
मध्य	171	409
पूर्वी	336	248
उत्तरी	283	335
योग	1947	2289

- आई.सी.ए.आई.द्वारा विकसित अनुपूरक पाठ्यक्रम सामग्री, मई और नवंबर, 2004 के बैचों के लिए पात्र 2105 अभ्यर्थियों को वितरित कर दी गई है ।
- प्रथम बैच के लिए (मई, 2004) 31 जुलाई, 2003 तक रजिस्ट्रीकृत 1392 सदस्यों के लिए पात्रता परीक्षण नवंबर, 2003 और जनवरी, 2004 के बीच संचालित किए गए ।
- अब आगे, अभ्यर्थी ई.टी.पी. डाक स्कीम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे । ई.टी.पी का मूल्यांकन बाह्य रीति से हो चुका है ।
- प्रथम तकनीकी परीक्षा 17 और 20 मई, 2004 के बीच आयोजित की गइ जिसमें

416 अभ्यर्थियों ने भाग लिया । प्रथम तकनीकी परीक्षा में 90 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए ।

- मई, 2004 बैच के लिए आई.आई. आई.एफ., हैदराबाद के सहयोग से डी.आई.आर.एम अभ्यर्थियों के लिए क्रेश/संपर्क पाठ्यक्रम प्रायोगिक आधार पर हैदराबाद, विजयवाड़ा और बंगलौर में आयोजित किए गए ।
- बीमा वृत्तिकों के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट केन्द्रित ज्ञान पोर्टल (ज्ञान i) 23 सितंबर, 2003 से प्रारम्भ कर दिया गया है । इसमें समाचार अनुभाग, समसामयिक भागफल, पाठ्यक्रम जानकारी/ उद्घोषणाएं, प्रेस कक्ष और न्यूज लेटर दिए गए हैं । यह बीमा सेक्टर से सहबद्ध प्रेक्टिस और सेवा में सदस्यों, और उन सदस्यों के लिए लाभकारी है जो डी.आई.आर.एम. पाठ्यक्रम कर रहे हों ।
- बीमा कंपनियों के निवेश कार्यकरण के निरीक्षण पर तकनीकी गाइड का पाठ विचाराधीन है ।
- समिति ने सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण आई.आर.डी.ए. को बहुत से अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं । अधिक संख्या में अवसर प्रेक्टिस और सेवा में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए विभिन्न मार्ग प्रशस्त्र करते हैं । जहां प्रेक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रवेश युक्ति और युक्तिगत योजना जैसी सेवाओं की प्रस्थापना करके अमूल्य सिद्ध हो सकते हैं, वहीं सेवारत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए भी उच्च वृद्धि उन्मुख केरियर के अवसर हैं ।

5.15.1 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारको के लिए माड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

बीमा संबंधी समिति, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए माड्यूलर प्रशक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी विचार कर रही है जिसके लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने माड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संकल्पना पर अपना ध्यान केन्द्रित किया हुआ है और निकट भविष्य में वह पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेगी । पाठ्यक्रम में बीमा सर्वेक्षण विभागों के व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं से संबंधित वृत्तिक अध्ययन और प्रशिक्षण सम्मिलित हैं जिसके लिए इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सेवाएं दे सकते हैं । पाठ्यक्रम, आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के लिए अनेक वृत्तिक अवसर पैदा करेगा और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा करने पर सदस्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से सर्वेक्षक और हानि निर्धारिक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं ।

6. अन्तरराष्ट्रीय पहल

- श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.एस.एल.) के साथ 18 से 24 जून, 2003 तक के एक छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आई.सी.ए.एस.एल. के 9 छात्रों ने भाग लिया । इन छात्रों ने चैन्नई में 16वें अखिल भारतीय सी.ए. छात्र सम्मेलन में भी भाग लिया ।
- 9-10 अगस्त, 2003 के दौरान श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.एस.एल.) के साथ "अशांत समय में प्रबंध" अंर्तवस्तु पर एक सम्मेलन का आयोजन बैंगलौर किया गया, जिसमें श्रीलंका के वाणिज्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री माननीय श्री रवि करूणानायक, जो सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, ने नेटवर्किंग अमोंग्स्ट अकाउंटिंग फर्म्स इन इन्डिया एंड श्रीलंका पर एक तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया, श्री अजीम प्रेमजी, अध्यक्ष विपरो कारपोरेशन ने उद्घाटन भाषण दिया जबकि एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम. के अध्यक्ष श्री सोम मित्तल ने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण प्रस्तुत किया । सम्मेलन के विदाई सत्र के मुख्य अतिथि भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) के अध्यक्ष श्री प्रदीप बैजल थे ।
- आई.सी.ए.आई. ने नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर, 2003 तक कन्फेडरेशन आफ एशियन एंड पेसिफिक अकाउंटेंट्स

(सी.ए.पी.ए.) की उप समिति बैठकों, एक्सकोम/बोर्ड बैठक, वार्षिक साधारण बैठक और समस्त सदस्य बैठक की मेजबानी की जिनमें 12 देशों के 26 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । उक्त बैठक के साथ ही साथ चाइनीज इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइट पब्लिक अकाउंटेंट्स (सी.आई.सी.पी.ए.), द इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइट पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ सिंगापुर (आई.सी.पी.ए.एस.) और सी.पी.ए. आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडलों से परस्पर हित के क्षेत्र में साधारणतया और अर्हताओं के मध्य समता स्थापित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को अग्रसर करने की बाबत विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया ।

- अपनी ब्रांड साम्य को सार्वभौमिक बनाने की पहल के साथ ही साथ आई.सी.ए.आई. ने दुबई के ज्ञान ग्राम (नॉलिज विलेज) में अपना एक शाखा कार्यालय खोला है जो खाड़ी क्षेत्र और विश्व भर में चार्टर्ड लेखाकर्म वृत्ति के संवर्धन के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा । इस कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केन्द्रीय विद्युत मंत्री और तब के अध्यक्ष, भारत सरकार के इन्टर लिंकिंग आफ रिवर्स प्रोजेक्ट ने किया । उद्घाटन के पश्चात् किए गए कार्यक्रम को यू.ए.ई. के वित्त और उद्योग राज्यमंत्री श्री डा. मोहम्मद खलफान बिन खरबाश और दुबई में भारत के महा कौंसल श्री यश सिन्हा ने भी सुशोभित किया ।
- नवंबर, 2003 में चीन के प्रतिनिधिमंडल के भारत आगमन के दौरान चाइनीज इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक अकाउंटेंट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें दो संस्थानों के मध्य पारस्परिक हित और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई है । उक्त समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप इस वर्ष के अन्त में पूंजी बाजार विनिमय, बैंकिंग और बीमा उद्योग, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली से संबंधित अध्ययन के लिए एक अध्ययन भ्रमण 2004 के अगले भाग में किए जाने की संभावना है ।
- संस्थान ने भारतीय दूतावास के तत्वाधान में 4-5 दिसंबर, 2003 के दौरान मीटिंग द चैलेंजेज पर एक सम्मेलन का आयोजन किया । कार्यक्रम को राज्य संपरीक्षा संस्थान के अध्यक्ष महामहिम अब्दुल्ला बिन हमद अल बुसेदी ने सुशोभित किया । कार्यक्रम में ओमान में भारत के राजदूत श्री तलमीज अहमद, मस्कट सेक्योरिटीज मार्किट के अध्यक्ष श्री हमूद संगोर अल जदजाली तथा गर्वमेंट स्टेटेड आडिट इंस्टीट्यूशन के कार्यपालक अध्यक्ष श्री नजर अल रवाही और वित्त मंत्रालय में उप सचिव महामहिम श्री दरवेश इस्माईल अल बलूशी ने भाग लिया । कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इसमें संस्थान की गतिविधियों को उजागर किया गया ।
- स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन के उपाध्यक्ष महामहिम नासिर एच. अल रवाही की अध्यक्षता में ओमान का एक प्रतिनिधि मंडल दिसंबर, 2003 में संस्थान आया और विचार-विमर्श का केन्द्र बिन्दु लेखाकर्म वृत्ति के संस्थानीकरण की दिशा में सहयोग क्षेत्रों की पहचान तथा अनुसंधान मामलों में तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन थे ।
- संस्थान द्वारा ओमान में लेखाकर्म वृत्ति के संस्थानीकरण के कार्य को लिए जाने के संबंध में सक्रिय विचार-विमर्श ओमान के स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष के साथ जारी है और प्रथम चरण के प्रयास रूप में ओमान में एक शाखा कार्यालय स्थापित किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिसके लिए स्टेट आडिट इंस्टीट्यूशन से संस्थान के प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए अनुरोध किया गया है ।
- लेखाकर्म और सम्बद्ध सेवाओं में व्यापार पर ब्यौरे इकट्ठे करने के लिए लेखाकर्म सेक्टर में सेवाओं के आयात-निर्यात के लिए प्रयोजन संहिता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित की गई हैं ।
- आई.सी.ए.आई. ने जयपुर में 9-10 मार्च, 2004 के दौरान इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स, यू.एस.ए. के बोर्ड की बैठकों की मेजबानी की ।

- आई.सी.ए.आई. ने जयपुर में 10-11 मार्च, 2004 के दौरान साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स की समिति बैठकों और सभा की मेजबानी की ।
- 11-13 मार्च, 2004 के दौरान जयपुर में " रिडिफाइनिंग द अकाउंटेंसी प्रोफेशन : ए मेजर्ड रेस्पोन्स टू ग्लोबल चैलेंज" पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 2700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री मदन लाल खुराना ने किया जबकि इसके विदाई सत्र की शोभा सांसद श्री के. रेहमान खान ने बढ़ाई । सम्मेलन को विनियामकों, सेबी के अध्यक्ष श्री जी.एन. बाजपेयी, आई.आर.डी.ए. के अध्यक्ष श्री सी.एस.राव, आंध्र प्रदेश सरकार के वित्तीय सलाहकार श्री एन. रंगाचारी और डी.सी.ए. के संयुक्त सचिव श्री जितेश खोसला के विशेष अभिभाषणों ने सुशोभित किया । सम्मेलन के लिए यह एक ऐतिहासिक महत्व का क्षण था क्योंकि इसे आई.एफ.ए.सी. के अध्यक्ष श्री रेने रिकोल, वर्ल्ड बैंक आफ इंडिया के कन्ट्री डायरेक्टर श्री माइकल कार्टर, आई.ए.ए.एस.बी. के अध्यक्ष श्री जोन कैल्लस, कारबार में वृत्तिक लेखाकारों पर आई.एफ.ए.सी. समिति के अध्यक्ष श्री बिल कोन्नेल, संयुक्त राज्य और कनाडा के जी.एफ.ओ.ए. के निदेशक श्री स्टीफन ग्रोथियर, आई.एफ.ए.सी. के मुख्य कार्यपालक श्री इयान बाल और दक्षिण अफ्रीका के श्री इग्नेशियस शूले ने संबोधित किया । ओ.एन.जी.सी. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुबीर राहा, एन.ए.सी.ए.एस. के अध्यक्ष श्री वाई एच. मालेगम, बी.एस.ई.एस. के उपाध्यक्ष श्री सतीश सेठ और रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज के अध्यक्ष श्री तजिन्द्र खन्ना ने भी सम्मेलन को संबोधित किया ।
- कार्यक्रम में विदेश में वृत्तिक अवसरों पर अन्तराल सत्र भी रखे गए थे जिनमें एस.ए.एफ.ए. क्षेत्र की सदस्य संस्थाओं, सिंगापुर, चीन और कीनिया, दुबई, यू.ए.ई., यू.के. के इन्स्टीट्यूट के चैप्टर से सदस्य निकायों ने बढ़ते हुए वृत्तिक संभावनाओं पर चर्चा की ।
- आई.सी.ए.आई. ने सिंगापुर के इन्स्टीट्यूट आफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट्स और पब्लिक अकाउंटेंट्स बोर्ड के साथ भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर चल रही बातचीत में भाग लिया ताकि पारस्परिक मान्यताप्राप्त करार किए जाने के लिए संवाद प्रारम्भ किया जा सके । दोनों संस्थान, अपनी ओर से शिक्षा, प्रशिक्षण, सी.पी.ई. और अन्य अपेक्षाओं से संबंधित पारस्परिक मूल्यांकन पर विचार कर रहे हैं ।
- बहुपक्षीय अभिकरणों, विशेषतः विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के माध्यम से उपलब्ध वृत्तिक अवसरों के ब्यौरे आई.सी.ए.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिए गए हैं जिससे कि सदस्यों को ऐसे उभरते अवसरों से अवगत कराया जा सके ।
- आई.सी.ए.आई. के अध्यक्ष श्री सुनील गोयल का चयन कन्फेडरेशन आफ एशिया एण्ड पेसिफिक अकाउंटेंटस (सी.ए.पी.ए.) के बोर्ड में कर लिया गया है ।
- यह विनिश्चय किया गया है कि आई.सी.ए.आई. छात्रों को साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंटस (साफा) के अन्य निकायों के पात्र सदस्यों से तीन मास की अधिकतम अवधि तक का आर्टिकल प्रशिक्षण लेने के लिए अनुज्ञात किया जाए । इस प्रयोजन के लिए, सदस्य निकाय का कोई भी छात्र किसी दूसरे साफा सदस्य निकाय से प्रशिक्षण ले सकता है और देश के बाहर इस प्रकार लिया गया प्रशिक्षण, सदस्य बनने के लिए ऐसे छात्र द्वारा अपने कानून के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण के समतुल्य समझा जाएगा । यह विनिश्चय संबंधित सदस्य निकायों द्वारा अपने-अपने अधिनियम/विनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने के पश्चात लागू होगा ।
- साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंटस (साफा) के सदस्य निकायों को विहित शर्तों के अधीन रहते हुए आई.सी.ए.आई. के प्रकाशन, सी.डी., आडियो/विडियो केसेट आदि को उनके लिए स्वमित्व लिए बिना

पुनः मुद्रण/उत्पादन और बिक्री की सामान्य अनुज्ञा प्रदान की गई है ।

- आई.सी.ए.आई. ने इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका केन्द्र बिन्दु लेखांकन, संपरीक्षण और आश्वासन मानक सी.पी.ई. रचना तंत्र और सम्बद्ध तन्त्र स्थापित और क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी सहायता देना है ।
- संपरीक्षा पाठ्यक्रम पर सूचना प्रणाली, विशेषतः वृत्तिक प्रशिक्षण, पृष्ठ भूमि सामग्री, अनुसंधान सुविधा, आन लाइन अध्ययन सामग्री, आन लाइन व्यावहारिक परीक्षण और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में संचालन के लिए श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
- समिति, इंग्लैण्ड तथा वेल्स, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया के आई.सी.ए., कनाडियन इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सी.पी.ए. आस्ट्रेलिया, ए.आई.सी.पी.ए. यू.एस.ए. के साथ अर्हता की मान्यता के लिए बातचीत अग्रसर करना जारी रखे हुए हैं ।
- बरमिंघम के महामहिम लॉर्ड मेयर ने फरवरी, 2004 में अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आई.सी.ए.आई. का दौरा किया और पारस्परिक सहयोग के संभाव्य क्षेत्रों पर द्विपक्षीय चर्चा की गई ।

7 अन्य गतिविधियां

7.1 मानव संसाधन विकास

7.1.1 मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आई.सी.ए.आई. ने अपने सदस्यों और छात्रों एवं अन्य सम्बद्ध जन साधारण को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों/विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ताकि ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो और व्यवहार संबंधी परिवर्तन आएं :

- कर्मचारियों की समग्र दक्षता और मनोबल में सुधार, संपर्क, मानव संसाधन बोध और संसूचना, अन्तर-वैयक्तिक संबंध, नेतृत्व प्रेरणा आदि जैसे क्षेत्रों में संस्थान के अधिकारियों और स्टाफ के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षणकार्यक्रम/ कार्यशालाएं ।
- मझोले स्तर के अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर कार्यशाला ।
- संस्थान के शीर्ष कार्यपालकों के लिए संगठन उत्कृष्टता पर कार्यक्रम ।
- निचली श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल शिष्टाचार पर कार्यशाला ।
- इलैक्ट्रिशियन्स और जी.टी.एम. के लिए संस्थान से अलग ट्रेडमेनशिप प्रशिक्षण ।
- सभी स्तरों के कर्मचारियों को शामिल करते हुए नियमित गहन कम्प्यूटर पाठ्यक्रम जो एम.एस. आफिस, एल.ए.एन, डब्ल्यू.ए.एन. तथा वर्चुअल इन्स्टीट्यूट प्रोजेक्ट (वी.आई.पी.) पर है ।
- अनेक स्थानों पर अधिकारियों के लिए चरणबद्ध रूप में 'वी.आईपी.' पर उपयोगकर्ता स्वीकृति प्रशिक्षण ।
- दैनिक जीवन में योग का उपयोग करने और शारीरिक समस्याओं और प्रबंध दबाव के लिए योग थेरापी से संबंधित कार्यक्रम ।
- आई.सी.ए.आई. कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध और संवाद कौशल पर कार्यशाला ।
- निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिससे कि वे मुख्य धारा केरियर सीढ़ी पर चढ़ सकें ।

इस प्रकार नियमित संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो 13,826 घंटों से भी अधिक समय का है, मुख्यालय और प्रादेशिक कार्यालय स्तरों पर आयोजित किए गए ।

7.1.2 मानव संसाधन - कल्याणकारी उपाय

आई.सी.ए.आई. ने सदैव इस बात को मान्यता दी है कि मानव संसाधन इसकी पूर्व की तमाम सफलताओं की सबसे महत्वपूर्ण आस्ति है और इसका यह भी दृढ़ विश्वास है कि यह आस्ति आने वाले समय की सभी कठिनाइयों का समाधान है और यह आई.सी.ए.आई. को एक "मार्गदर्शक तारा" बनाएगी । इसने कर्मचारियों को न केवल विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों की व्यवस्था की है अपितु पूर्व

कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचाया है जैसे कि न्यूनतम पेंशन की वृद्धि ।

7.2 सदस्यों और छात्रों की सेवाओं में सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग

सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए साहसी समाधान केन्द्र बिन्दु रहा है । आई.सी.ए.आई. का विश्वास है कि भावी बढ़ोतरी संवेग प्रधान रूप से आई.टी. चलित होगा । अतः प्रोद्योगिकी चलित धारणा में आई.टी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है । बाजार और प्रोद्योगिकी चलित धारणा पर जोर दिया जाना चाहिए । वर्चुअल इन्स्टीट्यूट पहल का उद्देश्य ई-रेगुलेशन कन्सेप्ट्स को प्रारम्भ करना है ।

- वर्चुअल इन्स्टीट्यूट वेब इन्टरफेस और केन्द्रीय डाटाबेस सहित एक साहसी व्यापक प्रणाली है, जिससे छात्रों, सदस्यों और फर्म की जानकारी को सुकर बनाने वाले अभिलेखों को तथा बैठक एवं कार्य प्रवाह प्रबंध को सुदृढ़ बनाया जा सकता है ।
- इस प्रणाली का नेटवर्क देश भर में उपलब्ध है जिससे आन लाइन एम.आइ.एस. पैदा किए जा सकते हैं । प्रणाली आई.सी.ए.आई. की सेवाओं को सदस्यों और छात्रों की दहलीज पर ले जाती है और इस प्रकार यह 24 X 7 X 365 सेवा के साथ गृह संस्था/ हर जगह-हर समय बन जाता है । भारतीय अकैडेमिक सेक्टर में यह अपनी तरह की प्रथम सेवा है ।
- प्रणाली के तीन चरण हैं और यह एक ई.आर.पी. वास्तुकला (ओरिओन) पर निर्मित है । प्रथम चरण में एकीकृत केन्द्रीकृत प्रणाली (कोर बैंकिंग सॉलूशन की भांति) स्थापित किया जाता है जिससे सभी प्रादेशिक कार्यालय, प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं ऑन लाइन पर एकीकृत डाटाबेस सहित जुड़ जाते हैं और तुरन्त सुदृढ़ीकरण मुद्दे पर कार्य करते हैं । यह चरण दक्षिणी क्षेत्र में जुलाई, 2004 में उत्पादित किया जा चुका है । बचे हुए क्षेत्रों के डाटा के स्थानापन्न का कार्य प्रगति पर है और अक्तूबर, 2004 के अन्त तक बाकी बचे हुए क्षेत्रों में प्रथम चरण उत्पादित किया जाएगा ।
- द्वितीय चरण आई.सी.ए.आई. के कार्यकरण में दहलीज पर सेवाएं प्रदान करके (गृह/इन्टरनेट बैंकिंग के समान) पेराडाइम शिफ्ट लाएगा ।
- तीसरे चरण में, सभी सहायक/शेष कार्य कम्प्यूटरीकृत हो जाएंगे और यह पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हो जाएगा । ज्ञान प्रचार और विनियामक समिति कार्यकरण के लिए बैठक और ज्ञान प्रबंध पोर्टल होगा । नई प्रणाली का कार्यकरण, विद्यमान प्रणालियों के कार्यकरण जोड़कर और इसमें वृद्धि करके प्राप्त की गई है ।
- डाटा केन्द्र (मुख्य और डी.आर. स्थल) स्तर 3 मानक, सरवर फार्म विद हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के रूप में अवसंरचना, आई.सी.ए.आई. के लिए निगमित नेटवर्क और एक साहसी ई-मेल प्रणाली अस्तित्व में आ चुके हैं । प्रणाली में मास डाटा पर कार्यवाही करने के लिए ओ.सी.आर./आई.सी.आर इन्टरफेस और अनिवाय वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सदस्यों की उपस्थिति की जांच करने हेतु स्मार्ट कार्ड इंटरफेस हैं ।
- वर्ष के दौरान संदाय प्रवेश द्वार/इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली (ई.सी.एस.) संस्थापित कर दिए हैं जिससे कि सदस्य फीस का संदाय ऑन लाइन कर सकें । उप सी.ए. तंत्र के अधीन पी.के.आई. और आंकिक हस्ताक्षर पहल ने अपने प्रचालनों को आंकिक बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है । आई.सी.ए.आई. ऐसा पहला संस्थान है जिसने उप-प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में आंकिक प्रमाणपत्र जारी करने की क्षमता प्राप्त की है ।
- प्रोद्योगिकी का चयन उद्योग मानकों के अनुरूप किया गया है और विश्व स्तरीय समाधान क्रियान्वित किए गए हैं । आई.सी.ए.आई. प्रायोजित बेनरों और विज्ञापन बेनरों द्वारा अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन की धारणाएं प्रारम्भ कर रहा है ।

आई.सी.ए.आई. देश में वित्तीय और लेखांकन समुदाय हेतु आई.टी. समर्थित वेब सेवाओं के लिए निर्देश साइट के रूप में एक खुले मानक पर आधारित वेब सर्विसेज विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है । आई.सी.ए.आई. अपनी पहली प्रयोगशाला, जो सूर्य प्रोद्योगिकी पर केन्द्रित होगी, चैन्नई में आरम्भ कर रहा है । आई.सी.ए.आई. के सदस्य और छात्रों को बड़ी साफ्टवेयर प्रोद्योगिकी पर वेब आधारित प्रशिक्षण पाठ्य विवरण दिया जाएगा । आई.सी.ए.आई., आई.बी.एम., एच.पी. और माइक्रोसाफ्ट केन्द्रित प्रयोगशालाएं देशभर के अनेक केन्द्रों पर विकसित करने की प्रक्रिया में है । प्रस्तावित प्रयोगशालाएं, आई.सी.ए.आई. /लेखांकन वृत्ति की भावी आवश्यकताओं के लिए उद्भवन और परीक्षण/विकास केन्द्र होंगे ।

7.3 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति का गठन वर्ष 2001-02 में परिषद् द्वारा किया गया था जिसमें अन्य के अतिरिक्त स्वीकृत उद्देश्य थे - वित्तीय सूचना की सच्ची और सही प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए इसकी बाबत आई.सी.ए.आई. की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन पद्धति का अवलोकन, प्राथमिक रूप से लेखांकन नीतियों को अपनाए जाने पर जोर देते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणों की परिषद् को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व समीक्षा, लेखांकन मानक और लागू विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन तथा समाधान आदि, आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता को आंकना और आंकड़ा सुरक्षा, सत्यनिष्ठा की क्षमता तथा वित्तीय और जोखिम प्रबंध नीतियां ।

समिति ने अपने निर्देश निबंधनों के ढ़ांचे के भीतर कार्य करना जारी रखा और आई.सी.ए.आई. और इसके अंगों के कार्यकरण को वर्णित करने वाली विवेक और उपयुक्तता मुखी शासन प्रक्रियाओं के अनुपालन पर अधिक जोर दिया और इस प्रयोजन के लिए इसने प्रबंध मंडल के साथ संस्थान के संपरीक्षकों की संपरीक्षा के पूर्व और बाद में कारण सहित चर्चा को सुगम बनाया । यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू किया गया । जिससे कि प्रादेशिक सार पर कार्य कर रही संपरीक्षा समिति का भरपूर योगदान हो ।

वर्ष के दौरान, समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए कार्ययोजना के अनुसरण में कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया और आई.सी.ए.आई. के विभिन्न कार्यस्थलों में प्रादेशिक संपरीक्षा समिति की बैठकें करके उनके क्रियाकलापों की समीक्षा की तथा पद्धति में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश की जिससे उनकी प्रक्रियात्मक क्षमता बढ़ाई जा सके और वे स्वतंत्र मुद्दों, जिनमें सूचना, सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के मुद्दे भी हैं, को पहचाना जा सके ।

7.4 वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड

7.4.1 यह वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (बोर्ड) के कार्यकरण का दूसरा वर्ष है । आई.सी.ए.आई. की परिषद् ने बोर्ड का गठन यथासंभव सीमा तक अवधारणा करने की दृष्टि से कतिपय उद्यमों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने के लिए किया था :

- वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने और प्रस्तुतिकरण में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ अनुपालन ;
- उद्यम से सुसंगत विनियामक निकायों, कानून और नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं के साथ अनुपालन ; और
- उद्यम और संपरीक्षक की रिपोर्टिंग का बाध्यता के साथ अनुपालन

7.4.2 प्रथम वर्ष की भांति, यह वर्ष भी निःसंदेह बोर्ड के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष था । वर्ष के दौरान बोर्ड ने भारत में 500 अग्रणी कंपनियों (वार्षिक आवर्त के आधार पर चयनित) जिनमें 31 मार्च, 2003 के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कारबार करने वाली बैंकिंग, बीमा और पारस्परिक निधि कंपनियां शामिल थीं, के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की ईप्सा की थी । ऊपर उल्लिखित 500 कंपनियों में से कतिपय कंपनियों के वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है ।

7.4.3 ऊपर उल्लिखित समीक्षा, इस प्रयोजन के लिए बनाए गए पैनल में से चयनित तकनीकी समीक्षकों द्वारा की गई है । तकनीकी समीक्षकों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्टों पर, इस प्रयोजन के लिए गठित वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा समूह द्वारा भी विचार किया गया है । इन समीक्षाकों के परिणाम, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त बोर्ड को मूल्यवान निवेश और अनुभव प्रदान करता है जिससे उसकी दक्षता और

प्रभावकारिता में वृद्धि हो । समीक्षा के परिणाम ऐसे मुद्दों को भी उजागर कर सकते हैं जिनके संबंध में आई.सी.ए.आई. से स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन अपेक्षित हो ।

7.4.4 बोर्ड कतिपय विनियामकों से नामांकनों ईप्सा करने पर भी विचार कर रहा है । उसने यह महसूस किया है कि विनियामकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति बोड के दक्ष और कारगर कार्यकरण में तथा इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में लाभदायक होगी । अनुध्यात संरचना, बोर्ड को कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पथभ्रष्ट कंपनियों के विरूद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सुगम बनाएगा ।

7.4.5 बोर्ड ने कतिपय उद्यमों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों में अनियमितताओं के आधार पर कतिपय समीक्षाएं स्वतः प्रारम्भ कर दी हैं ।

7.5 शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति (सी.आर.ई.टी.)

7.5.1 चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्ति निरन्तर सबसे अधिक सफल और महत्वपूर्ण वृत्ति रही है । चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने देश की आर्थिक व्यवस्था और स्थायित्व को बनाए रखने की मुख्य भूमिका निभाना जारी रखा है । आई.सी.ए.आई. की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की, पूर्व में इसकी सफलता की, केन्द्रीय भूमिका रही है । इसने यह सुनिश्चित करके अर्हता के मूल्य की रक्षा की है कि केवल वे जो योग्यता और क्षमता के उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हैं, सदस्य बन सकते हैं । व्यापक और उचित रूप से यह विश्वास किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जो वर्षों के लगातार परिश्रम से विकसित होता है । आई.सी.ए.आई. शिक्षा, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रक्रिया से हमने बहुत कुछ पाया है ।

7.5.2 "चार्टर्ड अकाउंटेंट" शीर्ष को जो आदर पिछले पांच से अधिक दशकों से निरन्तर मिल रहा है वह बहुत बड़ी अकेली उपलब्धि है और जो शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली प्रतिक्रियाशील का प्रतीक है । आई.सी.ए.आई. की प्रतिक्रियाशीलता परिषद् द्वारा ली जाने वाली आनाधिक समीक्षा अभ्यास से स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है ।

7.5.3 आई.सी.ए.आई. की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की आवाधिक समीक्षा बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में आवश्यक है यदि लेखाकर्म वृत्ति को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है । तदनुसार, आई.सी.ए.आई., नीति के रूप में, अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की प्रकृति, अंतर्वस्तु और क्षमता की आवाधिक समीक्षा करता रहता है ।

7.5.4 नीति के रूप में, शिक्षा और प्रशिक्षण की आवाधिक समीक्षा के लिए आई.सी.ए.आई. की परिषद् ने शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति (सी.आर.ई.टी) गठित की थी ।

7.5.5 अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों की प्रस्तावना के अनुसार " लेखांकन शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव का उद्देश्य सक्षम वृत्तिक अकाउंटेंट पैदा करना है जो अपने जीवन भर उस वृत्ति और समाज को सकारात्मक योगदान देने में समर्थ हो जिसमें वे कार्य करते हैं । बढ़ते हुए परिवर्तनों के वातावरण, जिनका सामना लेखाकार करते हैं, यह आवश्यक है कि लेखाकार सीखने और वृत्तिक सक्षमता बनाए रखने की अभिवृत्ति विकसित करें ।" सी.आर.ई.टी. इस व्यापक उद्देश्य से सचेत है अर्थात सक्षम वृत्तिक लेखाकार पैदा करना और तदनुसार इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न भागों को एक आदर्श संयोजन में कार्यान्वित करना । इस अभ्यास के पीछे उद्देश्य आई.सी.ए.आई. शिक्षा को सुसंगत अद्यतन बनाए रखना ताकि समाज की आकंक्षाएं सतत आधार पर पूरी हों और आई.सी.ए.आई. अर्हता का मूल्य सुरक्षित हो ।

7.5.6 समिति ने शिक्षा और प्रशिक्षण में नई स्कीम बनाने के पूर्व शिक्षा और प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली शक्तियों और कमजोरियों का वस्तुपूरक रूप में पता लगाने के लिए एक बहुपक्षीय युक्ति अपनाई । इस प्रणाली-विज्ञान के घटक निम्नानुसार हैं :-

- प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलुओं पर संकल्पना पत्र तैयार करने के लिए अलग-अलग अध्ययन समूह नियुक्त करना और निम्नलिखित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम में आशायित परिवर्तन करने पर विचार करना :
  - प्रवेश के समय अपेक्षाएं
  - सैद्धान्तिक शिक्षा और पाठ्य विवरण
  - औद्योगिक प्रशिक्षण सहित व्यावहारिक प्रशिक्षण

- परीक्षा प्रणाली
- अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम/सी.पी.ई. अपेक्षाएं

- प्रश्नावालियां डिजाइन करके उन्हें वृत्ति से सम्बद्ध समाज के पांच अभिज्ञेय खंडों को भेजना अर्थात सदस्य, छात्र, वृत्तिक सेवाओं के उपयोगकर्ता, विद्याविद और विनियामक
- प्रश्नावलियों के उत्तरों का सांख्यकीय सारणीयन के अनुसार विश्लेषण - प्रश्नवार तथा मुद्दे-वार भी
- व्यक्तियों के किसी चयनित प्रवर्ग के साथ संवाद - जैसे विनियामक, चेम्बर्स आफ कामर्स आदि
- आई.एफ.ए.सी. की उद्घोषणाओं के विशिष्ट निर्देश के साथ लेखाकर्म शिक्षा में अन्तरराष्ट्रीय रूजहानों का अध्ययन

7.6 आंतरिक संपरीक्षा समिति

7.6.1 मिशन

वर्ष के दौरान पहली बार गठित आंतरिक संपरीक्षा समिति का मिशन, जैसा कि इसके निर्देश निबंधनों में परिभाषित किया गया है, "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के आधिपत्य को संवर्धक, समाज में इससे संबंधित आंतरिक संपरीक्षा और अन्य पहलुओं के संबंध में ज्ञान के स्त्रोत और प्रबंधक के रूप में मजबूत बनाना है जिससे कि इसके सदस्य उद्योग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं अधिक कारगर और दक्ष रूप में देने में समर्थ हों तथा पश्चातवर्ती को अपने नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सशक्त करके अपनी शासन प्रक्रिया को सशक्त और सुव्यवस्थित करने में सहायता दे सकें ।"

7.6.2 उद्देश्य

समिति के उद्देश्य इसके निर्देश निबंधनों में परिभाषित किए गए हैं । समिति का बुनियादी उद्देश्य भारत में विद्यमान आंतरिक संपरीक्षा की प्रेक्टिस की समीक्षा करना और आंतरिक संपरीक्षा पर मानक विकसित करना है ताकि वे आई.सी.ए.आई. की परिषद् के प्राधिकार से जारी किए जा सकें ।

7.6.3 निर्देश निबंधनों को अंतिम रूप दिया जाना

वर्ष के दौरान समिति ने अपने निर्देश निबंधनों को अंतिम रूप दिया जिनमें समिति के मिशन और उद्देश्यों को शामिल करते हुए समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य की परिधि अवधारित करने और इसके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों पर ध्यान दिया गया है ।

7.6.4 आंतरिक संपरीक्षा पर मानक और मार्गदर्शक टिप्पणों की प्रस्तावना

वर्ष के दौरान समिति ने आंतरिक संपरीक्षा पर प्रस्तावित मानक और मार्गदर्शक टिप्पणों की प्रस्तावना पर विचार किया । प्रस्तावित प्रस्तावना का आशय प्रमुख मुद्दों की बुनियाद और मानक के रूप में सहायता करना है, जैसे - आंतरिक संपरीक्षा समिति का कार्य-क्षेत्र और कृत्य, "आंतरिक संपरीक्षा" पद की परिभाषा, आंतरिक संपरीक्षा पर मानक और मार्गदर्शक टिप्पण बनाने और जारी करने की प्रक्रिया, आंतरिक संपरीक्षा को मानक और मार्गदर्शक टिप्पणों के अननुसरण की विवक्षाएं, इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणों आदि के निर्देश से प्रकटन, मानकों को प्रभावी बनाने की तारीख आदि, प्रस्तावित प्रस्तावना का अपावरण प्रारूप सदस्यों और जनता की टिप्पणी के लिए जारी कर दिया गया है ।

7.6.5 आंतरिक संपरीक्षा पर मोड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति कोडईकनाल, तमिलनाडु में आंतरिक संपरीक्षा पर एक मोड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है ।

7.6.6 ज्ञान-पृष्ठ

वर्ष के दौरान समिति ने आई.सी.ए.आई. के वेबसाइट पर अपना ज्ञान-पृष्ठ भी उपलब्ध कराया है । वर्तमान में, ज्ञान-पृष्ठ के अंर्तगत निर्देश निबंधन, समिति की बाबत बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रस्तावित प्रस्तावना का अपावरण प्रारूप आदि शामिल हैं । समिति शीघ्र ही अपने ज्ञान-पृष्ठ के विस्तार को व्यापक बनाएगी ।

7.6.7 बार-बार पूछे गए प्रश्न

समिति ने अपने बारे में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) की भी पहचान की और इन्हें आई.सी.ए.आई. की कतिपय समितियों/बोर्ड की बाबत बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों वाली लोक संपर्क विभाग की पुस्तिका में शामिल किया जाएगा । ये एफ.ए.क्यू. आई.सी.ए.आई. के वेबसाइट पर समिति के ज्ञान-पृष्ठ में भी उपलब्ध हैं ।

8 *अन्य विषय*

8.1 आई.सी.ए.आई. का वार्षिक समारोह

आई.सी.ए.आई.का 54वां वार्षिक समारोह 4 फरवरी, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया । श्री एन.आर. नारायणमूर्ति, बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य मेंटर, इन्फोसिस टेक्नोलोजी लि0, मुख्य अतिथि थे । समारोह में आई.सी.ए.आई. द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार और मेडल और आई.सी.ए.आई. की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड और प्रशंसा पत्र वितरित किए गए । समारोह में उच्च सरकारी अधिकारियों, आई.सी.ए.आई. के सदस्यों, छात्रों, आई.सी.ए.आई. के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आमंत्रितों की बड़ी संख्या ने भाग लिया । मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड अकाउंटेंटस वृत्ति पर प्रशंसा के फूलों की बारिश की ।

8.2 *चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स दिवस*

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स दिवस की याद में 1 जुलाई, 2004 को नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया । केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री माननीय श्री हंसराज भारद्वाज मुख्य अतिथि थे । कंपनी कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता और तत्कालीन केन्द्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री माननीय श्री के. रहमान खान ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई और विशेष अभिभाषण दिए । इसके अलावा अनेक स्थानों पर शाखाओं ने भी स्थानीय रूप से भव्य रूप में समारोह आयोजित किए ।

8.3 *चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में संशोधन*

क - चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 में संशोधन

जैसा कि गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था, आई.सी.ए.आई. की परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 के संशोधन संबंधी कार्यसमूह की सिफारिशों को अंतिम रूप देकर उन्हें केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ 3 अगस्त, 2002 को प्रस्तुत कर दिया था । इस दौरान केन्द्रीय सरकार ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विधेयक, दिसंबर, 2003 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया था जिसे बाद में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है । आई.सी.ए.आई. की उक्त विधेयक पर प्रतिक्रिया पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है । जून, 2004 में आयोजित आई.सी.ए.आई. की परिषद् की बैठक में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 और उनके अधीन बनाए गए विनियमों के संशोधन के लिए कार्य-समूह का पुनर्गठन किया गया, जो ऐसे संशोधनों पर विचार करेगा जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विधेयक, 2003 के अंतिम परिणाम से उत्पन्न या अन्यथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में किए जाने अपेक्षित हैं और जहां पर समुचित हो, उनकी सिफारिश करेगा ।

ख. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में संशोधन

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधन

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विनियम, 2004 में कतिपय संशोधनों को अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया है जिससे कि आई.सी.ए.आई. निम्नलिखित नए अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने में समर्थ हो गया हे :

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हतोतर पाठ्यक्रम

(ii) प्रस्तावित संशोधन

आई.सी.ए.आई. की परिषद् ने केन्द्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन/अनुमोदन किए जाने का प्रस्ताव किया है :

- बीमा और जोखिम प्रबंध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम से संबंधित अनुसूची 'छ' - अनुग्रहण सूत्र और निओमान तथ्य लागू करना जिससे कि उक्त उपबंध अन्य अर्हतोत्तर पाठ्यक्रमों के उपबंध के समान हो जाए (पैरा 6) ।
- प्रबंध लेखाकर्म में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम, निगमित प्रबंध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम और कर प्रबंध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम से संबंधित क्रमशः अनुसूची 'ग', 'घ' और 'ङ' -- प्रबंध लेखाकम पाठ्यक्रम/निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम/कर प्रबंध पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाओं परिवर्तन (पैरा 5) ।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम से संबंधित अनुसूची

'ज' -- उक्त पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कतिपय संशोधन ।

- प्रेक्टिस में सदस्यों को, प्रतिशतता के आधार पर, फीस लेने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए विनियम 192 ।
- वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा I)और वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) के सफल अभ्यर्थियों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रारूप ।
- विनियम 38क (5) - नए पाठ्यविवरण वाले समूह में ऐसे अभ्यर्थियों को नवंबर, 2006 परीक्षा तक और उसे शामिल करते हुए तीन वर्ष की और छूट जिन्होंने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1964 की अनुसूची 'खख' (1 जनवरी, 1985 से दो समूह स्कीम लागू) के पैरा 3 या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 3 के अनुसार एक समूह उत्तीर्ण कर लिया है और जिन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 3क के अधीन उनके द्वारा उत्तीर्ण सुसंगत समूह में छूट प्रदान की गई थी ।
- परिषद् की बैठकों और कार्यवाहियो से संबंधित अध्याय 8 - दूर-सम्मेलन/वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से परिषद्, स्थायी/अस्थायी समितियो, उप-समूहों/उप-समितियों, अध्ययन समूहों आदि की बैठकों का संचालन ।
- विनियम 6 और 9 -- प्रवेश फीस, फैलो फीस, प्रेक्टिस प्रमाणपत्र फीस और पुनःस्थापन फीस में वृद्धि ।

8.4 पूर्व अध्यक्षों की बैठक

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विधेयक, 2003 के राज्य सभा में प्रस्तावना किए जाने के अनुसरण में और उक्त विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के महत्व पर विचार करने के लिए भी यह सबसे अधिक समुचित समझा गया कि इस संबंध में आई.सी.ए.आई. के पूर्व अध्यक्षों की बुद्धिमानी और लम्बे अनुभव का लाभ उठाया जाए । तदनुसार, 12 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में आई.सी.ए.आई. के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव तथा पूर्व अध्यक्षों के बीच एक बैठक आयोजित की गई ।

उक्त बैठक में, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विधेयक, 2003 में अंतर्विष्ट कुछ विनिर्दिष्ट मुद्दों/प्रस्तावों पर बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए । अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विनिश्चित किया गया कि बैठक में किए गए विचार-विमर्श पर आधारित एक मुद्दा-पत्र तैयार करके उसे पूर्व अध्यक्षों को परिचालित किया जाए ताकि वे इस मामले पर अपने स्तर समुचित रूप से कार्यवाही करने में समर्थ हो ।

8.5 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय आई.सी.ए.आई. के सदस्यों, छात्रों और विभिन्न संकलित लेखों की एक सूची के साथ पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचारपत्र और संदर्भ सुविधाएं प्रदान करता है । इनकी एक सूची प्रत्येक मास आई.सी.ए.आई. की पत्रिका में "अकाउंटेंटस ब्राउशर" संदर्भ के अधीन प्रकाशित की जाती है । संदर्भ सेवा अनुसंधानकर्ताओं, स्कालरों और विशेष मामले के रूप में पी.ई. I/पी.ई. II पाठ्यक्रम के छात्रों को भी प्रदान की जाती है । आई.सी.ए.आई. के नौएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय में भी केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं । मुख्यालयों पर विभिन्न निदेशालयों को नामित पुस्तकालय भी प्रदान किए गए हैं । डेलनेट के माध्यम से पुस्तकालय की नेटवर्किंग, भारत में और विदेश में क्रियात्मक है और पुस्तकालय सामग्री, जिसके अंतर्गत पुस्तकें, पत्रिकाएं, आर्टिकलों, सदस्यों का अभिलेख है, का कम्प्यूटरीकरण किया गया है जो पूछताछ पर तथा वेब मोड्यूल - "Mail.icai-org." पर उपलब्ध है । 10,000 से अधिक आर्टिकल का भंडारण आधार जिसके अंतर्गत आई.सीं.ए.आई. की पत्रिका "चार्टर्ड अकाउंटेंटस" के आर्टिकलो हैं, भी पुस्तकालय साफ्टवेयर में उपलब्ध हैं ।

उपरोक्त के अलावा, पुस्तकालय सेवाएं देशभर के प्रादेशिक केन्द्रों और शाखाओं में भी प्रदान की जाती हैं । विभिन्न प्रादेशिक पुस्तकालयों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय डाटाबेस से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । पुस्तकालय, केन्द्रीय और प्रादेशिक पुस्तकालयों तथा अन्य सम्बद्ध स्थानों में सदस्यों और फैकल्टियों के निर्देश के लिए आई.ए.एस.बी., आई.एफ.ए.सी., ए.आई.सी.पी.ए., आई.सी.ए.ई. एण्ड डब्ल्यू तथा अन्य अन्तरराष्ट्रीय

वृत्तिक निकायों से महत्वपूर्ण प्रकाशन डाउनलोड कर रहा है या प्राप्त कर रहा है ।

8.6 संपादक मंडल

संपादक मंडल ने, आज के सार्वभौमिकीय जेट युग में सदस्यों को अनेक पहलुओं, क्षेत्रों और वृत्ति की चुनौतियों की अद्यतन जानकारी देने के मिशन को अग्रसर करते हुए, "द चार्टर्ड अकाउंटेंट" पत्रिका के माध्यम से अनेक प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं ।

सदस्यों की प्रमुख सक्षमताओं को विकसित करने तथा उन्हें अद्यतन जानकारी से अवगत कराने को ध्यान में रखते हुए यह पत्रिका और महत्वपूर्ण तथा बेहतर हो गई है - चाहे वह डिजाइनिंग हो, प्रस्तुतिकरण हो, गुणवत्ता अन्तर्वस्तु या प्रमुख विशेषताएं ।

उच्च वृत्तिक मानकों के साथ समस्त अवधि के दौरान पत्रिका को अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं यदि प्रशंसापत्रों की संख्या इसकी कसौटी हे । लगभग 1,60,000 के मासिक वितरण आंकड़ों के साथ, पत्रिका को अब केवल वृत्तिकों द्वारा ही नहीं बल्कि व्यापार जगत में भी एक बड़े वर्ग द्वारा पढ़ा जा रहा है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संपादक मंडल की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

- जुलाई, 2004 का अंक, "बजट 2004" के विषय पर एक विशेष अंक के रूप में निकाला गया और इसमें "चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स दिवस" (1 जुलाई, 2004) की गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया । अंक में, विख्यात विशेषज्ञों द्वारा लिखित ग्यारह बजट उन्मुख लेख तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर उपस्थित तीन केन्द्रीय मंत्रियों के भाषण भी शामिल किए गए थे ।
- पत्रिका के अंतर्वस्तु पृष्ठ और अध्यक्ष पृष्ठ को पुनः डिजाइन किया गया है एवं लेखों के प्रस्तुतिकरण को, चित्रों, ग्राफिक्स और बाक्स को सम्मिलित कर और अधिक आकर्षक बनाया गया है । अंतर्वस्तु के फॉन्ट आकार को बड़ा किया गया और यह तय पाया है कि लेखों को 2 और 3 स्तंभों के मिश्रण में प्रकाशित किया जाए ताकि पढ़ने में अधिक सुविधा हो ।
- अनेक विषयों पर पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिनमें शामिल हैं :-

  I. वार्षिक रिपोर्ट (अक्तूबर, 2003 अंक) ;

  II. बजट पूर्व ज्ञापन (फरवरी, 2004 अंक) ;

  III. विलयन और अर्जन (मई, 2004 अंक)

  IV. बीमा (जून, 2004 अंक)
- अगस्त, 2004 से "संपादक को पत्र" स्तंभ प्रारंभ किया गया ।
- पत्रिका की प्रेषण तारीखों को 15 दिन पहले किया गया है जिससे कि पाठकों को पत्रिका प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाए और उन्हें अद्यतन जानकारी पहले की तुलना में शीघ्र मिले ।
- पत्रिका की जिल्द "परफेक्ट बाइंडिंग" द्वारा बांधी जाने लगी है जिससे यह अधिक बहतर दिखाई देने लगी है । यह प्रस्ताव किया गया हे कि पत्रिका को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बेहतर क्वालिटी का कागज और बेहतर मुद्रण को अपनाया जाए ।
- पत्रिका के पृष्ठों की संख्या और अन्य विशेषताओं में वृद्धि होने के कारण इसकी शुल्क दर में वृद्धि की गई ।
- मानार्थ सूची को पुनरीक्षित करके बढ़ाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि पत्रिका लेखांकन क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख व्यक्तियों तक पहुंचे ।

अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के प्रयास स्वरूप, संपादक मंडल की राय में उपरोक्त उपलब्धियां अभी मात्र प्रारम्भ हैं । भविष्य के लिए इसकी कार्य-सूची में अनेक सकारात्मक योजनाएं हैं ।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा 7046 नए सदस्यों को दर्ज किया गया जिससे 1 अप्रैल, 2004 को उसके कुल सदस्यों की संख्या 1,16,091 हो गई ।

पूर्व वर्ष में 2866 की संख्या की तुलना में, 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 3459 सहयोजित सदस्य फैलो के रूप में प्रविष्ट किए गए ।

1.4.2004 को सदस्यों की संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	*फैलो*	*सहयोजित*	*स्तम्भों का योग*
पूर्णकालिक व्यवसाय में	*43589*	*21981*	*65570*
अंशकालिक व्यवसाय में	*3624*	*8885*	*12509*
जो व्यवसाय में नहीं हैं	*5494*	*32518*	*38012*

9.2 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हितकारी निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हितकारी निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं, उनके आश्रितों को उनके पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 31 मार्च, 2003 को 47,752 से बढ़कर 31 मार्च, 2004 को 54,904 हो गई है । निधि की वित्तीय विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

	31.3.2003 को समाप्त वर्ष के दौरान	**31.3.2004 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान**
दी गई कुल वित्तीय सहायता	34,50,500	39,41,223
प्रशासनिक खर्चे	1,45,898	4,77,879
निधि अधिशेष	1,23,42,341	13,91,599
निधि का अतिशेष	1,45,75,676	1,59,67,275
कोरपस का अतिशेष	3,42,50,000	4,10,49,000

10. छात्र

10.1 छात्रों की संख्या

1 अप्रैल, 2003 और 31 मार्च, 2004 के दौरान पी.ई. I, पी.ई. II और फाइनल पाठ्यक्रम *के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्य निम्न प्रकार थी :*

पाठ्यक्रम	**2002-2003**	**2003-2004**
पी.ई. I	35,524	38,188
पी.ई. II	24,786	30,395
आर्टिकल सहित पी.ई. II	8,497	3,837
फाइनल	11,102	11,390

अध्ययन बोर्ड के रजिस्टर में प्रविष्ट 31 मार्च, 2004 को छात्रों की कुल संख्या (उन छात्रों को छोड़कर जो वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम I के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं), 31 मार्च, 2003 को छात्रों की कुल संख्या 2,80,399 की तुलना में, 3,07,462 थी ।

10.2 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम I) के छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने के लिए 75 संस्थाओं को (जिसमें 2 शाखाएं और 1 क्षेत्रीय परिषद् है) तथा (पाठ्यक्रम II) के लिए 31 संस्थाओं को (जिसमें 1 क्षेत्रीय परिषद् और 1 शाखा है) प्रत्यायन प्रदान किया गया । वर्ष के दौरान प्रत्यायन स्कीम, फाइनल पाठ्यक्रम को भी विस्तारित की गई और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए 7 संस्थाएं (एक शाखा सहित) प्रत्यायित की गई हैं । इस समय वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम I) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 165 और वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम II) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 89 है । नवम्बर, 2003 में होने वाली परीक्षा के छात्रों के फायदे के लिए 39 संस्थाओं ने वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम I) की कक्षाएं और मई, 2004 की परीक्षाओं के लिए 74 संस्थानों ने कक्षाएं आयोजित की । 19 संस्थानों ने वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम II) की कक्षाएं नवंबर, 2003 की परीक्षाओं के लिए और 32 संस्थानों ने मई, 2004 की परीक्षाओं के लिए आयोजित कीं ।

10.3 फाइनल पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी माध्यम की अध्ययन सामग्री जारी करना -

वर्ष के दौरान फाइनल पाठ्यक्रम सभी विषयों के लिए हिन्दी माध्यम की अध्ययन सामग्री जारी की गई ।

10.4 अध्ययन सामग्री की समीक्षा

समीक्षा की निरंतर प्रक्रिया के भागरूप में, अध्ययन सामग्री की समीक्षा अनेक विषय-विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और उनकी टिप्पणियों एवं सुझावों को, जहां कहीं समुचित समझा जाता है, सम्यक संपादन और सत्यापन के पश्चात् अध्ययन मॉड्यूल के अगले मुद्रण में सम्मिलित किया जाता है ।

10.5 छात्रों की सेवाएं

छात्रों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :

10.5.1 पी.ई.(पाठ्यक्रम I), पी.ई.(पाठ्यक्रम II) और फाइनल पाठ्यक्रम के प्रत्येक सत्र की परीक्षा के लिए पुनरीक्षण परीक्षण-पत्र और सुझाए गए उत्तर पुस्तक ।

10.5.2 फाइनल पाठ्यक्रम के लिए निगमित विधि और सचिवालय प्रेक्टिस पर अनुपूरक पठन सामग्री ।

10.5.3 फाइनल पाठ्यक्रम और अर्हतोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा सैद्धान्तिक शिक्षा अपेक्षाओं को सम्मिलित करके विवरणिका के रूप में एक पुनरीक्षित पुस्तक ।

10.6 फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए पात्रता परीक्षण स्कीम

वर्ष के दौरान फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए डाक द्वारा/रविवार परीक्षण पत्र स्कीम कार्यान्वित की गई ।

सैद्धान्तिक शिक्षा स्कीम की अपेक्षाओं के अधीन, डाक द्वारा/रविवार परीक्षण-पत्र स्कीम उन छात्रों को लागू की गई जो पी.ई. (परीक्षा II) उत्तीर्ण करके आबद्ध क्लर्क के रूप में रजिस्ट्रीकृत होंगे न कि अन्य विद्यमान छात्रों को जो आबद्ध क्लर्क के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं । तथापि, फाइनल पाठ्यक्रम के अन्य छात्र, अपने विकल्प के अनुसार स्कीम की अपेक्षाओं से लाभान्वित हो सकते हैं ।

10.7 250 घंटे का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :

पश्चिमी क्षेत्र	3493
दक्षिणी क्षेत्र	2865
पूर्वी क्षेत्र	1192
मध्य क्षेत्र	1748
उत्तरी क्षेत्र	2138

सर्वप्रथम, चार बड़े अग्रणी वर्ष के सेवा प्रदानकर्ताओं को, जिनके समस्त भारत में केन्द्र हैं, प्रत्यायन प्रदान किया गया । छात्रों को, उनके निवास-स्थान के समीप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए अध्ययन बोर्ड ने प्रत्यायन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया है और क्षेत्र/राज्य/नगर स्तर पर कार्य करने वाले 43 और संस्थाओं को पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रत्यायन प्रदान किया है ।

10.8 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर पाठ्यक्रम

साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रम, जिसे छात्रों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने पर और आई.सी.ए.आई. की सदस्यता के लिए आवेदन करने के पूर्व किया जाना अपेक्षित है, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा आयोजित किया गया । वर्ष के दौरान भाग लेने वाले 3800 व्यक्तियों के फायदे के लिए देश भर के 39 केन्द्रों पर पाठ्यक्रम के 155 बैच संचालित किए गए ।

10.9 संगोष्ठियां और सम्मेलन

वर्ष के दौरान, बोर्ड, ने एक दिवसीय संगोष्ठियां, वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताएं और प्रादेशिक/राज्य स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन को बढ़ावा देने की नीति जारी रखी । शाखा/प्रादेशिक स्तर पर वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी, 2004 में कोलकाता में हुआ ।

वर्ष के दौरान उप-क्षेत्रीय सम्मेलन गोवा शाखा में 26 से 28 जून, 2003 तक तथा राजकोट शाखा में 20 और 21 दिसंबर, 2003 को आयोजित किए गए जबकि राज्य स्तरीय सम्मेलन एर्नाकुलम शाखा में 5 और 6 जुलाई, 2003 को और कोयम्बटूर शाखा में 10 और 11 जनवरी, 2004 को आयोजित हुए ।

10.10 छात्रवृत्तियां

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान आई.सी.ए.आई. के कोष में से 127 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (14 गुणता एवं आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां, 42 गुणता छात्रवृत्तियां, 71 आवश्यक आधृत छात्रवृत्तियां) । इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए स्थापित विभिन्न विन्यासों से प्राप्त आय में से 40 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ।

10.11 छात्रों का संवादपत्र (स्टूडेंट्स न्यूजलैटर)

मासिक सी.ए. छात्र संवादपत्र - 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट' जिसमें उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, आलेख और अन्य सुसंगत उद्घोषणाएं हैं, छात्रों के लिए लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुई । यह प्रकाशन सदस्यों में भी लोकप्रिय रहा ।

सर्वोतम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार (2,000 रू0) श्री नितिन अग्रवाल को, पीयर रिव्यू के अधीन कार्यालय प्रबंध पर जिल्द VI में दिसंबर, 2002 के अंक में प्रकाशित उनके लेख के लिए प्रदान किया गया ।

दूसरा पुरस्कार (1,000 रू0) श्री रणजीत मणि को उनके लेख 'मूल्य वर्धित कर' के लिए दिया गया, जोकि एर्नाकुलम न्यूजलेटर की जिल्द में प्रकाशित हुआ था ।

10.12 ई लर्निंग मोड्यूल का विकास .

उपलब्ध होने वाली प्रौद्योगिकी की नई किस्मों के कारण शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं । वेब आधारित सिखाई, सी डी रोम प्रशिक्षण और परस्पर क्रियात्मक कम्प्यूटर प्रेरण, शिक्षा का भविष्य बदल रहे हैं । ई शिक्षा, अपने अनेक रूपों में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रणाली का अभिन्न अंग बन गया है । वर्ष के दौरान, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से तालमेल बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं । प्राथमिक स्तर पर आई.सी.ए.आई. एक विनिर्दिष्ट से सृजित ई-मेल id guidance@icai.org. के माध्यम से छात्रों से विचार-विमर्श कर रहा है । इसे फेकल्टी के एक परामर्शी समूह द्वारा मानिटर किया जाता है और छात्रों को आनलाइन सहायता प्रदान करता है । ऐसे छात्र, जिनके पास अपनी तैयारी के दौरान उत्पन्न विद्या संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं । "प्रोजेक्ट प्लानिंग एण्ड केपिटल बजटिंग" पर एक अन्योन्यक्रियात्मक सी डी निकाली गई है । बाद में पी.ई. II और/या फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के फायदे के लिए 4 और सी डी - लेखांकन मानक 1-3, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, गृह संपत्ति से आय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध पर जारी की गई थी ।

वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड ने छात्रों को मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा देने पर बल देना जारी रखा है ।

10.13 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहकर्मी की भावना विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से लगाने की दृष्टि से आई.सी.ए.आई. हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं खोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती रही है । इस प्रक्रिया में, अब तक छात्र संघों की 34 शाखांए पहले ही स्थापित हो चुकी है ।

10.14 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान, 200 रूपए प्रति छात्र प्रतिमास के मूल्य की 60 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी गई । निधि की सदस्यता 31 मार्च, 2003 को 340 के मुकाबले 31 मार्च, 2004 को 346 थी । निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2003 को 4,69,857 रूपए के मुकाबले 31 मार्च, 2004 को 6,86,834 रूपए थी ।

10.15 सी.ए. पाठ्यक्रम को पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर सम्पर्क करने के बाद वाणिज्य शिक्षा और कैरियर काउंसिल समिति पी.एच.डी./फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 4 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अलावा 76 विश्वविद्यालयों से सी.ए. पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रही है ।

11. प्रादेशिक परिषद् और उनकी शाखाएं

11.1 आई.सी.ए.आई. की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में है ।

11.1.1 प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 100 है ।

11.1.2 फिलहाल, भारत के बाहर संस्थान के 13 चैप्टर हैं ।

11.1.3 फिलहाल, पूरे भारत में 23 संदर्भ पुस्तकालय हैं ।

11.2 शाखाओं के लिए भवन

वर्ष के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रूचि दिखाते रहे हैं कुल मिलाकर 47 शाखाओं के अपने भवन हैं ।

11.3 चल शील्ड

1986-87 से आई.सी.ए.आई. सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड देता है । पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है । इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान की जाती है । पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है । अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सी.ए. छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड वर्ष 1999 से चलाई गइ है । वर्ष 2003 के लिए यह शील्डें 4 फरवरी, 2004 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थीं :-

- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् : उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद्
- प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा : पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद् की बड़ौदा शाखा
- सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ - दक्षिण भारत चार्टर्ड अकाउंटेंटस छात्र संघ
- छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :

पश्चिमी क्षेत्र -- डब्ल्यू.आई.सी.ए. एस.ए. की राजकोट शाखा

दक्षिण क्षेत्र - एस.आई.सी.ए.एस.ए. की एर्नाकुलम शाखा

उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से क्रमशः अत्यंत प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रमाणपत्र दिए गए थे :

(i) पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद् की नागपुर शाखा

(ii) दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की एर्नाकुलम शाखा

(iii) मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की जयपुर शाखा

11.4 नव विकेंद्रीकृत कार्यालय

प्रादेशिक स्तर पर कार्य/क्रियाकलाप की बढती मात्रा को ध्यान में रखकर और तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मानते हुए जो विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सके हैं, आई.सी.ए.आई. ने मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेंद्रीकृत कार्यालयों के अलावा दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में, मध्य क्षेत्र में जयुपुर में, 5 और विकेंद्रीकृत कार्यालय खोल चुकी है और परिषद् ने उन्हें और अधिक प्रभावकारी और उपयोगी बनाने के लिए हाल ही में कुछ नई पहल की है ।

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2004 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है ।

13. प्रशंसा

13.1 परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी हैं जिन्होंने संस्थान की समितियों पर सहयोजित सदस्य के रूप में कार्य किया है और उनका भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं है लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परिक्षाओं के संचालन में वर्ष 2003-2004 के दौरान परिषद् की सहायता की ।

13.2 परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2003-2004 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए ।

13.3 परिषद् उन गणमान्य व्यक्तियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने आई.सी.ए.आई. के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर उनकी शोभा बढ़ाई । परिषद्, राज्य स्तर पर अनेक कृत्यकारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने आई.सी.ए.आई. के अंगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई ।

13.4 परिषद्, आई.सी.ए.आई. द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है ।

13.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय हैं ।

सदस्यों के आंकड़े (1.4.1997 से)
सारणी - 1

वर्ष (को यथाअवमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1.4.1997	सहयुक्त	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	अध्येता	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	योग	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	सहयुक्त	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	अध्येता	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	योग	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	सहयुक्त	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	अध्येता	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	योग	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	सहयुक्त	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	अध्येता	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	योग	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	सहयुक्त	23194	14466	6374	6318	10287	60619
	अध्येता	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	योग	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091

सदस्यों के आंकड़े (1.4.1950 से)
सारणी - 2

	1.4.1950 को	1.4.1951 को	1.4.1961 को	1.4.1971 को	1.4.1981 को
अध्येता	569	672	1,590	3,326	8,642
सहयुक्त	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796
योग	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438

	1.4.1991 को	1.4.2001 को	1.4.2002 को	1.4.2003 को	1.4.2004 को
अध्येता	22,136	44,789	47,064	49,637	52,707
सहयुक्त	36862	51,603	54,666	60,619	63,384
योग	58,998	96,392	1,01,730	1,10,256	1,16,091

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट (31.3.1996 से)

	31.3.1996 को	31.3.1997 को	31.3.1998 को	31.3.1999 को
फाउंडेशन/पी.ई. (पाठ्यक्रम - I)	29,015	28,209	37,052	43,809
इंटरमीडिएट/पी.ई. (पाठ्यक्रम - II)	19,288	21,354	24,652	28,253
फाइनल	8,675	9,275	9,394	12,227
योग	56,978	58,838	71,098	84,289

	31.3.2000 को	31.3.2001 को	31.3.2002 को	31.3.2003 को	31.3.2004 को
फाउंडेशन/पी.ई. (पाठ्यक्रम - I)	44,180	35,999	34,215*	35,524	38,188
इंटरमीडिएट/पी.ई. (पाठ्यक्रम - II)	27,508	23,405	29,403**	33,283	34,232
फाइनल	10,787	9,026	11,524	11,102	11,390
योग	82,475	68,430	75,142	79,909	83,810

* 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पी.ई. (पाठ्यक्रम - I) के 5006 छात्र भी शामिल हैं ।

** 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पी.ई. (पाठ्यक्रम - II) के 11848 छात्र भी शामिल हैं ।

उन्नीसवीं परिषद् की रचना (2004-05)

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	अवधि
श्री. सुनील गोयल एफसीए	श्री कमलेश एस. विकामसे एफसीए	5 फरवरी, 2004 से आगे

सचिव

डा. अशोक हल्दिया

उन्नीसवीं परिषद् के सदस्य (2004-05)	
निर्वाचित सदस्य :	
श्री अभिजीत बंदोपाध्याय	कोलकाता
श्री अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
श्री अनुज गोयल	गाजियाबाद
श्री चरनजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
श्री जी. रामास्वामी	कोयम्बटूर
श्री एच.एन. मोतीवाला	मुम्बई
श्री हरिंदरजीत सिंह	नई दिल्ली
श्री जे.पी. गोखले	मुम्बई
श्री जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
श्री के.पी. खंडेलवाल	कोलकाता
श्री कमलेश एस. विकामसे	मुम्बई
श्री मनोज फेडनिस	इन्दौर
श्री पंकज इन्दरचंद जैन	मुम्बई
श्री आर.एस. अडूकिया	मुम्बई
श्री एस. गोपालाकृष्णन	हैदराबाद
श्री एस. संथानाकृष्णन	चैन्नई
श्री एस.सी. वासुदेवा	नई दिल्ली
श्री शान्ति लाल दागा	हैदराबाद
श्री सुनील गोयल	जयपुर
श्री सुनील तलाटी	अहमदाबाद
श्री टी.एन. मनोहरन	चैन्नई
श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
डा. वी. मुरली	चैन्नई
श्री वेद जैन	नई दिल्ली
मनोनीत सदस्य	
श्री जितेश खोसला	नई दिल्ली
श्री के.सी. पाराशर	जोधपुर
श्री पवन कुमार शर्मा	गुवाहाटी
श्री राकेश सिंह(25.8.2004 तक)	नई दिल्ली
श्री अखिलेश रन्जन (26.8.04 से)	नई दिल्ली
श्री एस. सत्यामूर्ति	नई दिल्ली
श्री सिद्धार्थ कुमार बिरला	नई दिल्ली

संपरीक्षक	
श्री राजीव कुमार रस्तोगी, एफसीए	नई दिल्ली
श्री शशी कुमार, एफसीए	नई दिल्ली

अट्ठारहवीं परिषद् की रचना (2003-04)

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	अवधि
श्री.आर.भूपति एफसीए	श्री सुनील गोयल एफसीए	4 फरवरी, 2004 तक

सचिव

डा. अशोक हल्दिया

अट्ठारहवीं परिषद् के सदस्य (2003-04)	
निर्वाचित सदस्य :	
श्री अभिजीत बंदोपाध्याय	कोलकाता
श्री अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
श्री अशोक चंडक	नागपुर
श्रीमती भावना जी. दोषी	मुम्बई
श्री गोपाल प्रसाद डोकानिया	कोलकाता
श्री जे.पी. गोखले	मुम्बई
श्री कमलेश एस.विकामसे	मुम्बई
श्री मनोज फेड़नीस	इंदौर
श्री एन. नित्यानंदा	बैंगलौर
श्री एन.डी. गुप्ता	नई दिल्ली
श्री एन.वी. अय्यर	मुम्बई
श्री निरंजन साहा	कोलकाता
श्री पी.पी. पारीक	जयपुर
श्री पंकज इन्दरचंद जैन	मुम्बई
श्री आर. भूपति	चैन्नई
श्री आर.एस. अडूकिया	मुम्बई
श्री एस. गोपालाकृष्णन	हैदराबाद
श्री एस. संथानाकृष्णन	चैन्नई
श्री सुनील तलाटी	अहमदाबाद
श्री शांतिलाल डागा	हैदराबाद
श्री सुनील गोयल	जयपुर
डा. सुनील गुलाटी	नई दिल्ली
श्री टी.एन. मनोहरन	चैन्नई
श्री विनोद जैन	नई दिल्ली
मनोनीत सदस्य	
श्री जी.सी. श्रीवास्तव	नई दिल्ली
श्री राजीव महर्षि	नई दिल्ली
श्री के.बी. शर्मा	जम्मू
श्री आर.सी. चांदीवाला	नई दिल्ली
श्री सुनील भार्गव	जयपुर
श्रीमती सुधा राजगोपालन (29.9.2003 से)	नई दिल्ली
श्री एस. सत्यमूर्ति (07.01.2004 से)	नई दिल्ली

संपरीक्षक	
श्री ए.सी. बब्बर, एफसीए	नई दिल्ली
श्री राजीव कुमार रस्तोगी, एफसीए	नई दिल्ली

संपरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2004 को यथा-विद्यमान भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के संलग्न तुलनपत्र और साथ ही उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसके साथ उपाबद्ध आय और व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, जिसमें अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के कार्यालयों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखा शामिल हैं, की संपरीक्षा की । ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबन्ध मंडल का उत्तरदायित्व है । हमारा उत्तरदायित्व अपनी संपरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत संपरीक्षा मानकों के अनुसार संपरीक्षा की । इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम अपनी संपरीक्षा योजना इस युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाएं और उसका पालन करें कि क्या वित्तीय विवरण अयथार्थ कथन से मुक्त हैं । परीक्षण के आधार पर, संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में समर्थकारी रकम और प्रकटन साक्ष्य की जांच शामिल होती है । संपरीक्षा में, उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांत और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन एवं समुच्चय वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हमारा विश्वास है कि, हमारी राय के लिए हमारे द्वारा की गई संपरीक्षा एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है ।

3. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :-

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

(ख) तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया, लेखा बहियों के अनुरूप हैं ;

(ग) हमारी राय में लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे गए हैं ;

(घ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबद्ध अनुसूचियों सहित और लेखांकन के भागरूप में लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणों के साथ पठित विवरण सही और उचित मत व्यक्त करते हैं :

(i) 31 मार्च, 2004 को यथा-विद्यमान कामकाज के तुलनपत्र के मामले में ; और

(ii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यय के मुकाबले आय के आधिक्य में आय-व्यय लेखा के मामले में ;

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह ।

ह/-
राजीव कुमार रस्तोगी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 83869
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 2 सितम्बर, 2004

ह/-
शशि कुमार
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 86492

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
31 मार्च, 2004 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र

(लाख रूपए में)

	अनुसूची		रकम 31.3.2004		रकम 31.3.2003
निधियों के स्त्रोत					
पूंजीगत आरक्षितियां	I		3800.12		3031.50
साधारण आरक्षितियां	II		2354.40		1609.96
अन्य आरक्षितियां	III		87.68		77.14
उद्दिष्ट निधियां	IV		5090.84		4543.05
	योग		11333.04		9261.65
निधियों का उपयोजन :					
स्थिर आस्तियां	V				
सकल ब्लाक		5051.98		3934.25	
न्यूनः अवक्षयण		(1866.69)		(1565.51)	
शुद्ध ब्लाक			3185.29		2368.74
निवेश :	VI				
उद्दिष्ट निधि निवेश		5090.84		4543.05	
अन्य निवेश		3644.40	8735.24	3399.28	7942.33
वर्तमान आस्तियां, उधार और अग्रिम :					
निवेश से प्राप्य ब्याज		797.91		998.77	
सूचियां	VII	270.87		218.76	
प्राप्य लेखे	VIII	185.98		133.29	
नकद और बैंक अतिशेष		605.22		142.70	
उधार और अग्रिम	IX	592.71		559.03	
	उप-योग	2452.67		2052.55	
न्यून : वर्तमान दायित्व और प्रावधान	X			2029.52	
अग्रिम प्राप्त शुल्क/आय		2034.61		574.06	
व्यय के लेनदार		539.99		179.68	
उपदान निधि के लिए प्रावधान		158.99		320.36	
अन्य दायित्व		306.57		3103.62	
	उप-योग	3040.16			
			(587.49)		(1051.07)
शुद्ध वर्तमान आस्तियां					1.65
विविध व्यय-साफ्टवेयर विकास (उस सीमा तक जो अवलिखित या समायोजित न हो)	XI				
	योग		11333.04		9261.65
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वक्तव्य	XV				
टिप्पणियां जो लेखाओं का अंग हैं	XVI				
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलनपत्र का अविभिन्न भाग हैं					

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
दीपक दीक्षित	जी.डी.खुराना	अशोक हल्दिया	कमलेश एस.दिकम्से	सुनील गोयल
संयुक्त सचिव	निदेशक	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
राजीव कुमार रस्तोगी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 83869

ह/-
शशि कुमार
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 86492

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 2 सितम्बर, 2004

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
आय और व्यय लेखा
31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रूपए में)

	अनुसूची		रकम 2003-2004		रकम 2002-2003
आय					
शुल्क	XII		6355.99		5466.83
प्रकाशन			444.60		533.56
संगोष्ठियां			813.18		513.05
निवेशों पर ब्याज			420.15		414.97
अन्य आय	XIII		365.51		381.44
पूर्व अवधि आय			16.00		2.87
योग			8415.43		7312.72
व्यय					
वेतन और भत्ते			1800.26		1636.41
मुद्रण और लेखा सामग्री			1036.12		1010.05
संगोष्ठी व्यय			709.59		575.70
डाक,तार और दूरभाष			408.23		394.70
किराया दरें और कर			250.15		212.82
यात्रा और वाहन-अंतर्देशीय			475.66		494.13
अंतरराष्ट्रीय संबंध :					
यात्रा		57.76		75.38	
विदेशी वृत्तिक निकायों का सदस्यता शुल्क		54.08		52.32	
अन्य व्यय		8.21	120.05	5.51	133.21
मरम्मत और रखरखाव			206.65		280.42
प्रकाशन			129.88		126.11
अन्य प्रचालन व्यय	XIV		1354.64		1152.06
निर्वाचन व्यय			118.64		--
राष्ट्रीय निगमित शासन प्रतिष्ठान में अंशदान			100.00		--
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश की बिक्री में हानि			25.35		74.08
अवक्षयण और अपाकरण			301.66		263.93
पूर्व अवधि व्यय			33.71		23.10
योग			7070.59		6376.72
शुद्ध अतिशेष			1344.84		936.00
निधियों/आरक्षितियों में विनियोजन					
शिक्षा निधि [नीति सं.III (ख)]			527.71		583.22
कर्मचारी हितकारी निधि[नीति सं.III (ग)]			9.65		9.21
साधारण आरक्षिति			807.48		343.57
योग			1344.84		936.00

महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों का वक्तव्य [illegible]

टिप्पणियां, जो लेखाओं के अंग हैं XVI

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां आय और व्यय [illegible]

ह/-
[illegible]
[illegible]

ह/-
कमलेश एस.विकमसे
उपाध्यक्ष

ह/-
सुनील गोयल
अध्यक्ष

[illegible]
[illegible]
सदस्यता संख्या [illegible]

ह/-
शशि कुमार
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 86492

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 2 सितम्बर 2004

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची I
पूंजीगत आरक्षितियां

(लाख रूपए में)

	रकम	31.3.2004	रकम	31.3.2003
(क) साधारण :				
आरंभिक अतिशेष		**1097.50**		1009.69
जमा :				
- सदस्यता शुल्क [नीति सं.III (क)]	**20.67**		23.73	
- भवनों के लिए संदान	**28.58**		119.93	
अन्तरण				
साधारण आरक्षितियों से अंतरित	**7.91**		6.82	
उद्दिष्ट निधियों से अंतरित-अन्य	**3.21**	**60.37**	2.70	153.18
न्यून :				
ई.आई.आर.सी./चंडीगढ़ की भूमि के मद्धे समायोजन		**(51.77)**		(65.37)
योग (क)		**1106.10**		1097.50
(ख) शिक्षा :				
आरंभिक अतिशेष		**1934.00**		1689.22
जमा : कम्प्यूटरीकरण निधि से अंतरित [नीति सं. III (घ)(i)]		**401.83**		—
जमा : शिक्षा निधि से अंतरित [नीति सं. III (घ)(iii)]		**358.19**		244.78
योग (ख)		**2694.02**		1934.00
सकल योग (क) + (ख)		**3800.12**		3031.50

अनुसूची II
साधारण आरक्षितियां

(लाख रूपए में)

	रकम	31.3.2004	रकम	31.3.2003
आरंभिक अतिशेष		**1609.96**		1294.09
जमा :				
आय-व्यय लेखा से विनियोजन	**807.48**		343.57	
अंतरण				
- अन्य आरक्षितियों से अंतरण	**--**	**807.48**	5.61	349.18
न्यून अंतरण :				
उद्दिष्ट निधियों में अंतरण-अनुसंधान	**1.97**		0.83	
उद्दिष्ट निधियों में अंतरण-पदक	**3.09**		—	
उद्दिष्ट निधि में अंतरण-अन्य	**44.25**		25.66	
अन्य आरक्षितियों में अंतरण	**5.82**		—	
पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण-साधारण	**7.91**	**(63.04)**	6.82	(33.31)
योग		**2354.40**		1609.96

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची III

अन्य आरक्षितियां*

(लाख रूपए में)

		रकम 31.3.2004		रकम 31.3.2003
आरंभिक अतिशेष		**77.14**		82.83
जमा अंतरण :				
- साधारण आरक्षितियों से अंतरण	**5.82**			
वर्ष के दौरान शुद्ध जमा	---	**5.82**		
न्यून अंतरण :				
- साधारणआरक्षितियों में अंतरण	--		5.61	
- उद्दिष्ट निधियों - अन्य में अंतरण	**0.05**	**(0.05)**	--	
वर्ष के दौरान शुद्ध जमा/ह्रास		**4.77**	0.08	(5.69)
योग		**87.68**		77.14

* अन्य आरक्षितियां वे आरक्षितियां हैं जैसे पुस्तकालय आरक्षितियां और कोचिंग कक्षा आरक्षितियां जैसा कि प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की बहियों में अंकित हैं ।

अनुसूची IV

उद्दिष्ट निधियां

(लाख रूपए में)

		रकम 31.03.2004		रकम 31.03.2003
अनुसंधान निधियां				
आरंभिक अतिशेष		**398.71**		361.07
साधारण आरक्षिति से अंतरण	**1.97**		0.83	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	**20.70**		6.86	
वर्ष के दौरान आय	**31.97**	**54.64**	29.95	37.64
न्यून : वर्ष के दौरान भुगतान		**(0.20)**		
उप-योग (क)		**453.15**		398.71
लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन और भवन निधि				
आरंभिक अतिशेष		**238.57**		220.33
वर्ष के दौरान आय		**19.20**		18.24
उप-योग (ख)		**257.77**		238.57
कम्प्यूटरीकरण निधि				
आरंभिक अतिशेष		**371.89**		343.45
आय-व्यय लेखा से विनियोजन				
वर्ष के दौरान आय	**29.94**	**29.94**	28.44	28.44
न्यून : पूंजीगत आरिक्षितियों में अंतरण - शिक्षा [नीति सं. III (घ)(i)]		**(401.83)**		---
उप-योग (ग)		---		371.89
शिक्षा निधि				
आरंभिक अतिशेष		**2308.50**		**1819.42**
आय-व्यय लेखे से विनियोजन [नीति सं. III (ख)]	**527.71**		583.22	
वर्ष के दौरान आय	**185.83**	**713.54**	150.64	733.86
न्यून : पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण-शिक्षा [नीति सं. III (घ)(iii)]		**(358.19)**		(244.78)
उप-योग (घ)		**2663.85**		2308.50

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

पदक और पुरस्कार निधियां		**57.48**		54.86
आरंभिक अतिशेष	**17.59**		0.95	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	**4.55**		4.62	
वर्ष के दौरान आय	**3.09**	**25.23**	—	5.57
साधारण आरक्षिति से अंतरण	**3.50**		2.56	
न्यून : वर्ष के दौरान भुगतान	**0.03**	(3.53)	0.39	(2.95)
समायोजन				
		79.18		57.48
उप-योग (ङ)				
विद्यार्थी छात्रवृत्ति निधियां		**25.34**		24.54
आरंभिक अतिशेष	**0.91**		—	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	**2.07**	**2.98**	2.03	2.03
वर्ष के दौरान आय		**(1.35)**		(1.23)
न्यून : वर्ष के दौरान भुगतान				
		26.97		25.34
उप-योग (च)				
पेंशन निधि		**613.85**		455.45
आरंभिक अतिशेष	**301.22**		161.59	
वर्ष के दौरान वृद्धियां	**49.41**	**350.63**	37.71	199.30
वर्ष के दौरान आय		**(44.45)**		(40.90)
न्यून : वर्ष के दौरान भुगतान				
		920.03		613.85
उप-योग (छ)				
छुट्टी नकदीकरण निधि		**278.12**		221.52
आरंभिक अतिशेष	**89.62**		72.49	
वर्ष के दौरान वृद्धियां	**22.39**	**112.01**	18.34	90.83
वर्ष के दौरान आय		**(33.82)**		(34.23)
न्यून : वर्ष के दौरान भुगतान				
		356.31		278.12
उप-योग (ज)				
कर्मचारी हितकारी निधि		**46.86**		36.02
आरंभिक अतिशेष	**9.65**		9.21	
आय-व्यय लेखे से विनियोजन [नीति सं. III (ग)]	**3.77**	**13.42**	**2.98**	12.19
वर्ष के दौरान आय		**(0.69)**		(1.35)
न्यून : वर्ष के दौरान भुगतान				
		59.59		46.86
उप-योग (झ)				
अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)		**203.73**		162.13
आरंभिक अतिशेष	**(0.22)**		(0.31)	
जमा/न्यून : समायोजन	**22.31**		9.61	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	**11.32**		11.96	
वर्ष के दौरान आय	**0.05**		—	
अन्य आरक्षितियों से अंतरण	**44.25**	**77.71**	**25.66**	46.92
साधारण आरक्षिति से अंतरण	**(3.21)**		(2.70)	
न्यून : पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण-साधारण	**(4.24)**	**(7.45)**	**(2.62)**	**(5.32)**
वर्ष के दौरान भुगतान				
		273.99		203.73
उप-योग (ञ)				
सकल योग		**5090.84**		4543.05

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची V
स्थिर आस्तियां

(रकम लाख रूपए में)

आस्तियां	सकल ब्लाक				अवक्षयण और अपाकरण ब्लॉक				शुद्ध ब्लाक	
	1.4.2003 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2004 को लागत	1.4.2003 तक	वर्ष के दौरान	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2004 तक	31.3.2004 को ह्रास के बाद लागत	31.3.2003 को ह्रास के बाद लागत
क. मूर्त आस्तियां										
1. भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली	141.53	73.17	--	**214.70**	0.00	--	--	**0.00**	**214.70**	141.53
2. भूमि पट्टाधृत (टिप्पण सं.2.3)	9.69	--	--	**9.69**	2.34	0.22	--	**2.56**	**7.13**	7.35
3. भूमि (ए.आर.एफ.) - पट्टाधृत	289.45	--	--	**289.45**	18.71	3.22	--	**21.93**	**267.52**	270.74
4. भवन	917.74	109.46	--	**1027.20**	322.48	35.24	--	**357.72**	**669.48**	595.26
5. विद्युत संस्थापन और फिटिंग	160.75	37.86	0.04	**198.65**	74.93	10.92	--	**85.85**	**112.80**	85.82
6. वातानुकूलन	136.14	66.63	(0.01)	**202.76**	67.50	14.03	(0.01)	**81.52**	**121.24**	68.64
7. फर्नीचर और फिक्सचर	383.13	119.17	(0.28)	**502.02**	174.47	27.60	(0.28)	**201.79**	**300.23**	208.66
8. लिफ्ट	59.68	20.95	--	**80.63**	16.99	5.32	---	**22.31**	**58.32**	42.69
9. कार्यालय उपकरण	290.46	23.75	(2.04)	**312.17**	147.17	23.00	(0.46)	**169.71**	**142.46**	143.29
10. यान	25.53	5.80	(0.03)	**31.30**	9.27	4.12	(0.02)	**13.37**	**17.93**	16.26
11. पुस्तकालय की पुस्तकें	247.60	31.34	---	**278.94**	247.60	31.34	---	**278.94**	**0.00**	0.00
12. कम्प्यूटर	545.39	419.36	0.27	**965.02**	484.05	104.98	0.29	**589.32**	**375.70**	61.34
उप-योग	3207.09	907.49	(2.05)	**4112.53**	1565.51	259.99	(0.48)	**1825.02**	**2287.51**	1641.58
ख. अमूर्त आस्तियां										
सॉफ्टवेयर		125.01	--	**125.01**	--	41.67	--	**41.67**	**83.34**	0.00
ग. प्रगति में पूंजी संकर्म										
अ. भवन परियोजना	706.21	176.31	(144.38)	**738.14**	0.00	---	--	**0.00**	**738.14**	706.21
ब. पूंजी अभिबंधन के विरूद्ध अग्रिम (वर्चुअल इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट)	20.95	--	55.35	**76.30**	---	---	--	**0.00**	**76.30**	20.95
योग	3934.25	1208.81	(91.08)	**5051.98**	1565.51	301.66	(0.48)	**1866.69**	**3185.29**	2368.74
पिछले वर्ष	3424.35	592.40	(82.50)	**3934.25**	1302.19	263.93	(0.61)	**1565.51**	**2368.74**	2122.16

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची VI
निवेश

(लाख रूपए में)

	रकम		रकम
		31.03.2004	31.03.2003
क. दीर्घकालीन निवेश (लागत पर)			
(I) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में यूनिटें			
(i) खैराती और धार्मिक न्यास रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां यूनिट योजना (सी.आर.टी. एस.-81)		114.36	
न्यून : निवेशों के मूल्य में ह्रास		28.96	85.40
(ii) यूनिट 2002/1964 योजना	0.61	15.29	
न्यून : निवेशों के मूल्य में ह्रास	---	2.80	
	0.61		12.49
(iii) संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना (आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 98)			442.09
		0.61	539.98
(II) भारत सरकार 8% (कराधेय) बांड - 2003		**1100.00**	
(III) अनुसूचित बैंकों में निश्चितकालीन निक्षेप		**5112.04**	6451.76
ख. चालू निवेश			
अनुसूचित बैंकों में निश्चितकालीन निक्षेप		**2522.59**	950.59
कुल निवेश		**8735.24**	7942.33
आबंटन :-			
उद्दिष्ट निधि निवेशों को आबंटित		**5090.84**	4543.05
अन्य निवेशों को आबंटित		**3644.40**	3399.28
योग		**8735.24**	7942.33

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची VII
सूचियां

(लाख रूपए में)

	रकम 31.03.2004	रकम 31.03.2003
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री	166.39	140.25
अध्ययन सामग्री और प्रकाशनों के लिए कागज (जिसमें मुद्रकों के पास कागज का भंडार - 78.94 लाख रू. पूर्व वर्ष 54.71 लाख रू. शामिल है)	83.88	59.22
लेखन सामग्री और अन्य मदें	20.60	19.29
योग	270.87	218.76

अनुसूची VIII
प्राप्य लेखे

(लाख रूपए में)

		रकम 31.03.2004		रकम 31.03.2003
अन्य प्राप्य	193.56		140.89	
न्यून : संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(7.60)	185.96	(7.60)	133.29
		185.96		133.29
योग				

अनुसूची IX
उधार और अग्रिम (प्राप्य-योग्य)

(लाख रूपए में)

	रकम 31.03.2004	रकम 31.03.2003
कर्मचारियों को अग्रिम (आवास, यान और अन्य ऋण)	230.23	190.59
कर्मचारियों के उधार से वसूलनीय ब्याज	77.39	68.36
प्रतिभूति निक्षेप	18.95	14.67
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान	266.14	285.41
योग	592.71	559.03

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची X
अग्रिम प्राप्त शुल्क/आय

(लाख रूपए में)

	रकम 31.03.2004	रकम 31.03.2003
परीक्षा शुल्क	843.38	742.80
पत्रिका अभिदान	0.53	11.25
सदस्यता शुल्क	269.50	252.01
छात्र शुल्क	89.29	41.96
ट्यूशन शुल्क	590.62	811.23
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	125.49	132.02
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	58.44	—
संगोष्ठी शुल्क और अन्य संग्रहण	57.36	38.25
योग	2034.61	2029.52

अनुसूची XI
विविध व्यय - साफ्टवेयर विकास
(उस सीमा तक जितना अवलिखित या समायोजित न हो)

(लाख रूपए में)

	रकम 31.03.2004	रकम 31.03.2003
आरंभिक अतिशेष	1.65	9.97
वर्ष के दौरान वृद्धियां	—	1.26
न्यून : वर्ष के दौरान आय-व्यय में प्रभारित	(1.65)	(9.58)
योग	----	1.65

अनुसूची XII
शुल्क

(लाख रूपए में)

	रकम 2003-2004	रकम 2002-2003
सुदूर शिक्षा शुल्क	2110.83	1815.25
परीक्षा शुल्क	1672.52	1685.54
सदस्यता शुल्क	1310.79	1265.01
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	647.77	479.31
सामान्य प्रबंध कौशल पाठ्यक्रम शुल्क	335.16	0.41
कोचिंग कक्षा आय (प्रादेशिक परिषद और शाखाएं)	192.08	178.51
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	58.89	—
छात्र पंजीकरण शुल्क	10.97	19.44
सी.ए.ए.टी. पाठ्यक्रम शुल्क	8.26	11.11
प्रवेश शुल्क	6.89	9.01
छात्र संघ शुल्क	1.83	3.24
योग	6355.99	5466.83

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची XIII
अन्य आय

(लाख रूपए में)

	रकम 31.03.2004	रकम 31.03.2003
छात्र सूचना पत्र	8.83	7.21
पत्रिका से आय-विज्ञापन	0.24	0.61
पत्रिका से आय-अभिदान	75.57	86.86
सूचना पत्र (प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	23.31	28.76
कम्प्यूटर केन्द्र	36.61	32.56
अनुशासन संबंधी मामले दाखिल करने का शुल्क	0.35	0.26
कैम्पस साक्षात्कार	51.70	36.04
विशेषज्ञ सलाहकार समिति शुल्क	5.45	7.55
कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज	15.21	15.54
अब अपेक्षित नहीं उपबंध प्रतिलिखित	35.88	86.79
अन्य	112.36	79.26
योग	365.51	381.44

अनुसूची XIV
साधारण और प्रशासनिक व्यय

(लाख रूपए में)

	रकम 31.03.2004	रकम 31.03.2003
परीक्षकों, परामर्शदाताओं और अन्य को शुल्क एवं व्यय	743.76	797.27
सामान्य प्रबंध कौशल पाठ्यक्रम	217.73	0.22
कोचिंग कक्षा व्यय (प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	110.46	96.63
विज्ञापन	63.42	44.88
कार्यालय बैठक व्यय	38.08	32.08
कम्प्यूटर केन्द्र	15.64	14.14
योग्यता छात्रवृत्ति	2.20	2.93
संपरीक्षा शुल्क :		
-- प्रधान कार्यालय	2.43	1.73
– अन्य कार्यालय	5.19	4.65
आस्थीगत राजस्व व्यय	1.65	9.58
प्रकाशन स्टाक के मूल्य में गिरावट के लिए उपबंध	---	20.92
अन्य व्यय	154.08	127.03
योग	1354.64	1152.06

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची XV
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विवरण

I. **लेखांकन कन्वेंशन**

लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

II. **राजस्व मान्यता**

(क) ट्यूशन शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और पत्रिका के लिए अभिदाय प्रथम वर्ष में प्रतिनिधित्व किए जाने की सीमा तक आय माने जाते हैं, अतिशेष प्राप्तियां आगामी वर्ष/वर्षों में अग्रणीत की जाकर सुसंगत वर्ष में तुल्य संकल्पना के आधार पर आय माने जाते हैं ।

(ख) निवेशों से आय

(i) यूनिटों में किए गए निवेशों पर लाभांश को प्राप्त करने के हकदारी के आधार पर आय माना जाता है ।
(ii) बैंकों में ब्याज धारित प्रतिभूतियों और निश्चितकालीन निक्षेपों पर ब्याज से आय को प्रोद्भूत के आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।
(iii) निवेशों से होने वाली आय को संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेषों पर भारित औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों में आबंटित किया जाता है ।

III. **पूंजीगत आरक्षिति और उद्दिष्ट निधि में आबंटन/अंतरण**

(क) अध्येता सदस्यों से प्रवेश शुल्क और सहयोजित सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे पूंजीगत आरक्षिति- साधारण में लिया जाता है ।
(ख) सुदूर शिक्षा शुल्क का 25% जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है ।
(ग) वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क (सहयोजित और अध्येता तथा प्रैक्टिस प्रमाणपत्र शुल्क) का 0.75% कर्मचारी हितकारी निधि में आबंटित किया जाता है ।
(घ) निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों में से पूंजीगत आरक्षिति-शिक्षा में अंतरण :-

(i) कम्प्यूटरीकरण निधि में से	विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना के संबंध में कम्प्यूटरों और संबंधित साधित्रों की क्रय लागत का 100% ।
(ii) लेखांकन अनुसंधान	स्थिर आस्ति फांउडेशन की और लेखांकन अनुसंधान निधि फाउंडेशन से संबंधित अन्य भवनों की लागत का 100%
(iii) शिक्षा निधि में से	अन्य स्थिर आस्तियों की अतिरिक्त लागत (कटौती के पश्चात् शुद्ध) का 50% ।

IV. **स्थिर आस्तियां/अवक्षयण**

(क) पट्टाधृत भूमि को छोड़कर स्थिर आस्तियां मूल लागत में से अवक्षयण घटाने पर वर्णित की जाती हैं ।
(ख) पट्टाधृत भूमि, पट्टा अधिकार अर्जित करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर वर्णित की जाती है । इस प्रकार संदत्त प्रीमियम का पट्टा अवधि के दौरान क्रमिक अपाकरण किया जाता है ।
(ग) वृद्धियों पर अवक्षयण का मासिक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है ।
(घ) अवक्षयण अवलिखित मूल्य पद्धति से संस्थान की कार्य समिति/परिषद द्वारा अनुमोदित दरों पर लगाया जाता है ।
(ङ) अमूर्त आस्तियों (साफ्टवेयर) की तीन वर्षों में समान रूप से क्रमिक अपाकरण किया जाता है ।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

V. **निवेश**

(क) एक वर्ष से अधिक की अवधि तक के लिए धारित या धारित किए जाने के आशयित निवेशों को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है और निवेशों का मूल्य लागत पर अवधारित किया जाता है । अस्थायी से भिन्न मूल्यों में कमी का उपबंध है ।

(ख) चालू निवेश उचित मूल्य या कमतर लागत पर निकाला जाता है ।

VI. **सूचियां**

कागज, लेखन सामग्री, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कमतर लागत पर या शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है । लागत एफ.आई.एफ.ओ. तरीके से अनुधारित की जाती है ।

VII. **सेवांत/सेवानिवृति प्रसुविधाएं**

(क) उपदान के मद्दे वर्ष का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है और इसके लिए जीवन बीमा को किया गया अंशदान आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है ।

(ख) पेंशन और छुट्टी नकदीकरण मद्दे वर्ष का दायित्व रजिस्ट्रीकृत बीमांकन पर आधारित है और इस प्रकार आधारित रकम आय और व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा इसके लिए पृथक उद्दिष्ट निधियां रखी जाती हैं ।

अनुसूची XVI
लेखाओं के भागरूप टिप्पणियां

1. **आकस्मिक दायित्व**

1.1 दो शाखाओं की बाबत सम्पत्ति/भवन कर संबंधी विवादग्रस्त रकम मद्दे 19.50 लाख रूपए की राशि (पूर्व वर्ष में 22.98 लाख रूपये) ;

1.2 विभिन्न पक्षकारों से दावों की बाबत 17.75 लाख रूपए (पूर्व वर्ष में 9.02 लाख रूपये) संस्थान द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं ।

2. **टिप्पणियां**

2.1 पूंजीगत प्रतिबद्धता की प्राक्कलित रकम (अग्रिमों के पश्चात् शुद्ध) -- 227.80 लाख रूपए है (पूर्व वर्ष में 274.13 लाख रूपए) ।

2.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन निर्धारण वर्ष 2002-03 तक आय-कर से छूट प्रदान की गई है । छूट के नवीकरण के लिए आवेदन कर-प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है ।

2.3 पट्टाधृत भूमि में मुकदमे के अधीन हुबली स्थित भूमि से संबंधित 2.51 लाख रूपए शामिल हैं । इस भूमि का कब्जा अभी संस्थान को दिया जाना शेष है ।

2.4 संस्थान, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति विनियमित करता है और भारत में प्रधान रूप से एक कारोबार खण्ड चलाता है ।

2.5 छात्रों से संबंधित कार्यकलापों से उद्भूत अधिशेष के 50% की दर से शिक्षा निधि के विनियोजन को बदलकर वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अनधिक रहते हुए सुदूर शिक्षा शुल्क का 25% कर दिया है । परिणामस्वरूप शिक्षा निधि 197.16 लाख रूपए तक कम विनियोजित हुई है और साधारण आरक्षिति के विनियोजन में तत्समानी वृद्धि हुई है ।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

2.6 वर्ष 2003-2004 से साफ्टवेयर के विकास और उपापन पर उपगत व्यय अमूर्त आस्तियों के रूप में दर्शित किया जा रहा है । इसे पहले " विविध व्यय - साफ्टवेयर विकास" शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाता था और उसका तीन वर्षों में समानतः क्रमिक उपाकरण किया जाता था, जैसाकि अब तक किया जाता रहा है ।

वर्ष के दौरान साफ्टवेयर अर्जित करने पर व्यय 125.01 लाख रूपए हुआ और वर्ष में इसका क्रमिक अपाकरण 41.67 लाख रूपए है ।

2.7 क्योंकि अप्रत्यक्ष व्यय का प्रभाजन परीक्षा, सुदूर शिक्षा, पत्रिका, सूचना पत्र और अर्हत्तोतर पाठ्यक्रमों की अनेक गतिविधियों के संबंध में युक्तियुक्त आधार पर नहीं किया जा सकता, अतः ऐसी गतिविधियों के लिए कृत्यकारी व्ययों के शीर्षों के अधीन व्यय शीर्षों को पुनः समूहित किया गया है ।

2.8 पूर्व वर्ष के आंकड़ो को जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित और पुनः वर्गीकृत किया गया है ।

31 मार्च, 2004 को समाप्त नकदी प्रवाह विवरण

(रकम लाख रूपए में)

	2003-2004		2002-2003	
क. क्रियाशील कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शुद्ध अधिशेष		**1344.84**		936.00
समायोजन :				
अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण	**301.66**		263.93	
आस्थगित राजस्व व्यय	**1.65**		8.32	
निवेशों की बिक्री पर हानि	**25.35**		74.08	
राष्ट्रीय निगमित शासन फाउंडेशन में अंशदान	**100.00**		—	
निवेशों पर ब्याज	**(420.15)**	**8.51**	(414.97)	(68.64)
		1353.35		867.36
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व क्रियाशील लाभ				
सूचियों में वृद्धि	**(52.11)**		(30.08)	
निवेशो से प्रोद्भूत ब्याज मे कमी/वृद्धि	**200.86**		(353.79)	
प्राप्य रकमों में वृद्धि/कमी	**(52.67)**		13.57	
ऋणो और अग्रिमो में कमी/वृद्धि	**(33.68)**		(95.93)	
अग्रिम रूप से प्राप्त शुल्क/आय में कमी/वृद्धि	**5.09**		(81.40)	
व्यय के लिए लेनदारों में वृद्धि/कमी	**(34.07)**		124.65	
उपदान निधि के प्रावधान में कमी/वृद्धि	**(20.69)**		81.73	
अन्य दायित्वों में कमी/वृद्धि	**(13.79)**	**(1.06)**	114.31	(226.94)
		1352.29		640.42
असाधारण मद के पूर्व नकदी प्रवाह		**(100.00)**		—
राष्ट्रीय निगमित शासन फाउंडेशन में अंशदान				
		1252.29		640.42
क्रियाशील कार्यकलापों से शुद्ध नकदी				
ख. निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
स्थिर आस्तियों का अर्जन	**(1117.73)**		(488.95)	
निवेशों का अर्जन	**(792.91)**		(1355.42)	
निवेशों पर ब्याज	**420.15**		414.97	
उद्दिष्ट निधि निवेशों से आय	**271.47**		304.30	
पूंजीगत प्राप्तियां	**454.60**		246.12	
निवेशों की बिक्री पर हानि	**(25.35)**		(74.08)	
निवेशकारी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी		**(789.77)**		(953.06)
नकदी/नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी		**462.52**		(312.64)
अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**142.70**		455.34
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**605.22**		142.70

डॉ. अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन III/IV/104/04-असा.]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2004

(Chartered Accounts)

No. 1-CA(5)/55/2004.— In pursuance of Sub-section(5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949 a copy of the Report and the Audited Accounts of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2004 is hereby published for general information.

55th ANNUAL REPORT

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has immense pleasure in presenting its 55th Annual Report for the year ended 31st March, 2004. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), which was set up by an Act of Parliament on 1st July, 1949, entered into its 55th year of existence during the year. The Council, at the outset, commends the members and students for the respect which the Chartered Accountancy Profession commands today in the Society. This has been achieved by *excellence, independence* and *integrity* displayed by the members and students all along.

The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The Report also covers the seminars and conferences organised, training programmes conducted, relevant statistics relating to members and students and also the accounts of the ICAI for the year 2003-2004. The important activities and major initiatives of the ICAI upto middle of August, 2004 have also been briefly mentioned.

1. THE COUNCIL

The term of the Eighteenth Council, which was constituted for a period of three years effective from 5th February, 2001 ended on 4th February, 2004.

The election to the Nineteenth Council was successfully held on 19th and wherever required, on 20th December, 2003 also. The Nineteenth Council composing of 24 elected members and 6 members nominated by the Central Government was constituted on 5th February, 2004 for a period of three years. The composition of the Eighteenth Council which held the Office up to 4th February, 2004 and that of the Nineteenth Council constituted on 5th February, 2004 are shown separately.

The Council records its deep sense of gratitude and appreciation for the valuable contributions made by the members of the Eighteenth Council, especially of those who have retired from the Council, in its deliberations and other professional development activities.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted on 5th February, 2004 three Standing, and various Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. Subsequently, a Committee on Electoral Reforms was also constituted, to review, inter alia, the existing system of elections of the Council and its Regional Councils and suggest appropriate reforms meeting the expectations and aspirations of the voters at large and of the candidates. During the year ended 31st March, 2004, 132 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 159 meetings held during the year ended 31st March, 2003.

3. AUDITORS

Shri Rajiv Kumar Rastogi, FCA and Shri Shashi Kumar, FCA were the Joint Auditors of the ICAI for the financial year 2003-2004. The Council

wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including opening of new Branches, opening of new Chapters and overseas offices and those connected with employees, maintenance of accounts etc.

Some of the important recommendations made by the Committee to the Council are on matters relating to:

- Part-time practice of members.
- Proposals on appointment of Brand Ambassadors of the ICAI and formation of an Advisory Council for the ICAI.
- Implementation of the Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation.
- Direction to all Regional Councils to invariably constitute a Continuing Professional Education Committee in the form of a non-Standing Committee, in terms of Regulation 137(7)(ii) (based on the recommendation of CPEC).
- Republication of the Newsletter by the Committee for Members in Industry (based on the recommendation of CMI).
- According recognition to old CPE Study Circles and CPE Chapters under new norms.
- Revision of para 5 of Schedules 'C', 'D' and 'E' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 relating to requirements for passing the Management Accountancy Course/Corporate Management Course/Tax Management Course (based on the recommendation of CPEC)
- Setting up of a Branch of Regional Council at Akola in Western Region.
- Setting up of a Branch of Regional Council at Karnal in Northern Region.
- Setting up of a Branch of Regional Council at Jabalpur in Central Region.
- Opening of a Chapter of the ICAI at Kuwait.
- Extension of date for registration of articles from 31st December, 2003 to 30th June, 2004 as well as waiver of 250 hours Compulsory Computer training for the Foundation Course passed students.
- Requests from students of Professional Education (Course –II) for not to count May 2003 Examination for the purpose of reckoning 5 attempts in terms of Regulation 28(B) (3).
- Guidelines for conducting the meetings of the Council, Standing/Non-Standing Committees, Sub-Groups/Sub-Committees, Study Groups, etc. through Tele-conferencing/Video-conferencing.
- Grant of exemption of fees to the physical handicapped students for undergoing course on General Management & Communication Skills.

Some of the important tasks accomplished/initiatives undertaken by the Committee during the period under Report are on matters relating to :

- Setting up of a reference library at Beawar in Central India Regional Council.
- Restarting of CPE Teleconferencing Programmes.
- Printing of Statutory Certificates using special Security Features.
- Setting of an overseas office of ICAI at Knowledge Village, Dubai.

- Private/Public Key Infrastructure needs of the ICAI for issuing and managing legally valid Digital Certificates to the members and employees of ICAI.
- Granting permission to reproduce from the publications of the ICAI for commercial and non-commercial purposes.
- Revision of existing guidelines/scope of enquiry for conducting enquiries under Regulations 66/67.
- Insurance benefits to members of the ICAI.
- Implementation of Enterprise e-mail System.
- Setting of an Office of ICAI at Muscat, Oman.
- Guidelines for publication of Newsletters by the Regional Councils and their Branches.
- Acceptance of certain Forms/Requests (which do not require any document/s to be accompanied for verification by the ICAI) from the members and Students through electronic mode with digital signatures authenticated by means of digital signature/s registered with appropriate registering authority.

4.2 Examination Committee

The Chartered Accountants Final, Professional Education - II and Professional Education – I Examinations were held in November, 2003 in 144, 152 and 130 centres respectively in 90 cities all over the country, in addition to those at Dubai and Kathmandu and in May, 2004 in 141,155 and 138 centres respectively spread over 90 cities, in addition to those at Dubai and Kathmandu.

The total number of candidates who appeared in the Final, Professional Education - II and Professional Education - I Examinations held in November 2003 were 31281,51453 and 13742 respectively and in May 2004 were 32318, 52788 and 21350 respectively.

Besides the aforesaid students examinations, during the year, the Post Qualification Course on Information Systems Audit Assessment Tests were also held in the months of June, September, December, 2003 and March 2004.

Further, examinations of Management Accountancy Course (Part I) were held in May 2003 and November 2003, apart from the Corporate Management Course (Part I), and Tax Management Course (Part I) examinations, which were also conducted along with the students examinations in May 2003 and May 2004. The first Post Qualification Course examination in Insurance and Risk Management was successfully held in May 2004.

All Post Qualification Courses Examination related tasks were brought under the jurisdiction of Examination Committee during the year under Report.

During the period under Report, for the convenience of the candidates, the following facilities with the help of National Informatics Centre (NIC) Website were continued to be provided:-

- Examination application forms in the OMR format and issuance of admit cards bearing the candidate's scanned photograph and specimen signature. This obviated the necessity of issuance of the identity card to the candidates separately.
- Examination application forms were continued to be made available, besides at all the Regional offices of the ICAI and branches of the Regional Councils, at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai. Candidates were extended the facility of downloading the admit card from the Website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by them in the OMR application form.
- Results were continued to be made available on the ICAI's IVR system. The results as well as the marks were also made available on the Website. Merit list was also displayed on the Website simultaneously with declaration of results

- Results as well as marks were hosted on the Website and the same continued to be made available simultaneously at different locations in the metropolis of Delhi and Mumbai

- Facility of down loading of the results as well as marks by the Regional offices of the ICAI and branches of Regional Councils was made available simultaneously with the declaration of results.

- Facility of on-line printing of the statement of marks by the candidates from the Website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by the candidates in the OMR/ICR application form was continued to be made available for the November, 2003 and May, 2004 Examinations as well.

- Facility of registering requests in advance for ascertaining results on declaration was continued and candidates registering for the same were provided with their results by e-mail immediately after declaration of results.

- Admit card for May 2004 examination through e-mail query was extended to the students, for the first time and more than 30,000 students made use of the new facility.

- Results of May 2004 examinations were made available on SMS mode also for the first time and it was a grand success.

Consultancy on examination systems and procedures continued to be provided to few foreign institutions. The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) successfully conducted its Foundation and Intermediate examinations with the continued technical expertise and support of the ICAI. The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka successfully conducted Information Systems Audit (ISA) Assessment Test with the ICAI technical expertise and support.

4.3 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the ICAI. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year 1st April, 2003 – 31st March, 2004, the Committee held its sittings on 20 occasions for a period spanning 34 days and at venues covering the various regions of the country. During the year under Report, the Committee concluded its enquiry in 84 cases, which included, cases referred to it in previous years.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Keeping in view the objectives of achieving and sustaining excellence, the Council continued to lay greater emphasis on technical research, professional development, continuing professional education of members and education and training of students, through its various non-standing Committees.

The Technical Committees set up by the Council continued its endeavour in the fields of accounting, auditing and allied areas.

While various research activities have been undertaken/identified, a large number of publications on accounting standards, accounting standards interpretations and announcements, auditing standards, expert opinions, background material for use in seminars, conferences and training programmes have also been brought out through the various Committees. These, inter alia, include the following :

5.1 Accounting Standards

The Accounting Standards Board (ASB) was established on 21st April, 1977 to formulate accounting standards with a view to bring about an overall improvement in the quality of financial reporting in the country. The ASB is committed to develop high quality Indian

Accounting Standards so as to ensure reporting of reliable, transparent and comparable information in general purpose financial statements. The ASB achieves its objectives primarily by developing Accounting Standards and promoting the use and adoption of those standards. The Standards set out recognition, measurement, presentation and disclosure requirements dealing with transactions and events that are important in general purpose financial statements. Effective standards make the language of reporting comprehensible and responsive to users' needs, make comparison possible, and restrict the attempt of those who wish to mislead or disguise. Over the period of its existence, the ASB has issued twenty-nine Accounting Standards. Besides this, it has also issued various Accounting Standards Interpretations and Announcements. During the year, the Board continued its endeavours in the direction of establishing high quality accounting standards and providing interpretations thereon, wherever required. A brief overview of the work done by the ASB during the year is as follows:

5.1.1 New Accounting Standard Released

Accounting Standard (AS) 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, had been issued.

5.1.2 Revision of the Preface to the Statements of Accounting Standards

All the Accounting Standards are required to be read in the context of the Preface to the Statements of Accounting Standards. Knowledge of the contents of the Preface is a pre-requisite for using any Accounting Standard. The pre-revised Preface to the Statements of Accounting Standards was issued in January 1979. Keeping in view the developments that have taken place in the area of accounting since 1979, the revision of the Preface had become imperative. In view of the above, the Preface to the Statements of Accounting Standards had been revised incorporating all the relevant developments.

5.1.3 Issuance of Accounting Standards Interpretations

22 Accounting Standards Interpretations (ASIs) on various accounting matters arising from the Accounting Standards, have been issued. The issuance of these interpretations ensures that the relevant accounting principles are interpreted in the same manner with a view to uniform application thereof by all concerned.

5.1.4 Applicability of Accounting Standards to Small and Medium Sized Enterprises

With the issuance of various Accounting Standards during recent years, a concern has been expressed by various sections of the Society, that the same set of accounting standards which are applicable to large enterprises should not be made applicable to Small and Medium sized Enterprises (SMEs), keeping in view the cost considerations and availability of expertise. The ASB addressed this concern by examining the applicability of accounting standards to SMEs and providing exemptions/relaxations from certain accounting standards to SMEs.

Besides the above, with a view to provide some more time to certain non-corporate enterprises for effective implementation of AS 22, Accounting for Taxes on Income, the applicability of the same has been deferred to 01.04.2006 instead of 01.04.2003.

5.1.5 Limited revisions to Accounting Standards

The ASB also made limited revisions to certain Accounting Standards wherever it was felt that the revised position is more appropriate in view of the changed thinking in respect of the matters involved and feedback received from various interest groups. During the period under Report, limited revisions have been made to the following Accounting Standards:

- Accounting Standard (AS) 14, Accounting for Amalgamations

- Accounting Standard (AS) 20, Earnings Per Share
- Accounting Standard (AS) 25, Interim Financial Reporting
- Accounting Standard (AS) 26, Intangible Assets; and
- Accounting Standard (AS) 27, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

5.1.6 Issuance of Announcements

With a view to address the matters of clarificatory nature raised by the members and others, the ASB issued Announcements on accounting matters arising from various accounting standards.

5.1.7 Responding to International Developments

The ASB took various initiatives to keep pace with the developments that are taking place internationally in the area of accounting. These initiatives include offering comments on various exposure drafts issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and International Federation of Accountants (IFAC), taking projects on new International Financial Reporting Standards (IFRSs) issued by the IASB, examination of revisions made to various IASs by the IASB for considering the same in the revisions of the corresponding Indian Accounting Standards.

5.1.8 Interaction with National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS)

The ASB considered various suggestions made by the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS) and addressed these suggestions in an appropriate manner.

5.1.9 Interaction with Regulatory Bodies

The ASB offered its views on various accounting matters referred to it by regulators such as Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), etc. from time to time. During the year, one of the important developments was that the RBI, vide its circulars, required the banks to comply with the Accounting Standards issued by the ICAI.

Besides the above, the World Bank is being assisted by the ICAI for preparation of the Report on Observance of Standards and Codes (ROSC) - Accounting and Auditing, in respect of India.

5.1.10 Projects in Progress

Substantial progress has been made on various projects, particularly, on accounting for financial instruments, employee benefits and tangible fixed assets.

5.1.11 Compendium of Accounting Standards

An updated edition of Compendium of Accounting Standards as on July 1, 2004, is under preparation and is likely to be released shortly along with a Compact Disk (CD).

5.2 Auditing Standards

The society poses tremendous faith in professions, be it chartered accountancy, medicine or engineering, which are backed by a firm, well defined and codified body of knowledge and standards, in addition to a visible commitment on part of the members of that profession to perform the best of their ability, continuously improve upon their performance and adhere to high ethical standards. It will probably not be an exaggeration to say that the ICAI has always been on the forefront so far as performance standards and ethical standards of its members are concerned. The ICAI established, among other Committees and Board, the Auditing and Assurance Standards Board. The Board was constituted as a technical organ of the ICAI in September 1982 as a non-Standing Committee.

5.2.1 Mission and Objectives

The foremost mission of the Board is to review the existing auditing practices in India and to issue Auditing and Assurance Standards. The Auditing and Assurance Standards represent a

codification of the best practices in the area of auditing. The Board also undertakes preparation of Guidance Notes on issues relating to auditing, whether generic in nature or industry specific. The Board has recently also undertaken the task of issuing Clarifications on issues arising from the Auditing and Assurance Standards. As on date, the Board has four Statements, thirty two Auditing and Assurance Standards and more than forty Guidance Notes, including four Industry specific Guidance Notes, to its credit.

5.2.2 Statement on the Companies (Auditor's Report) Order, 2003

The Department of Company Affairs had, in June 2003, notified the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, replacing the erstwhile Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report) Order, 1988. The 2003 Order contained a number of new reporting requirements for the auditors. The Board, with a view to assist the members in better understanding and appropriately complying with the reporting requirements of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, came out with the Statement on the Companies (Auditor's Report) Order, 2003. The said Statement contains extensive guidance and illustrations on complying with the requirements of the 2003 Order, including a number of Appendices, containing reference material.

5.2.3 Auditing and Assurance Standards

The Board, during the year, came out with three Auditing and Assurance Standards, *viz.*,

- Auditing and Assurance Standard (AAS) 30, External Confirmations
- Auditing and Assurance Standard (AAS) 31, Engagements to Compile Financial Information
- Auditing and Assurance Standard (AAS) 32, Engagements to Perform Agreed upon Procedures regarding Financial Information

5.2.4 Guidance Notes

The Board also issued a Guidance Note on Computer Assisted Audit Techniques for the benefit of members of the ICAI.

5.2.5 General Clarifications

The Board has issued following General Clarifications (GC):

- GC on Auditing and Assurance Standard 16, Going Concern
- GC on Auditing and Assurance Standard 26, Terms of Audit Engagements

5.2.6 Handbook of Auditing Pronouncements

The Board also brought out a revised Handbook of Auditing Pronouncements, which contained the text of the Statements on Auditing, Auditing and Assurance Standards and generic Guidance Notes on Auditing, in force as on July 1, 2003. The Handbook also contains a Compact Disc containing the text of all the Statements on Auditing, Auditing and Assurance Standards and generic Guidance Notes on Auditing, in force as on July 1, 2003.

5.2.7 Projects in Progress

Apart from the projects completed during the year, the Board has also undertaken a number of ambitious projects such as bringing out / revising existing Auditing and Assurance Standards to bring them at par with the International Standards on Auditing issued by the International Federation of Accountants (IFAC), formulating a number of generic but much relevant Guidance Notes. The Board is also planning to issue a booklet on issues relating to CARO, 2003, raised by various members and difficulties faced by users while implementing the same. Besides, the Board has already commenced the process for revision of a number of earlier Guidance Notes.

Global acceptance and competitiveness have always been on the forefront of the charter of growth and success of the ICAI. Accordingly, the Board, on its own, had also embarked upon a project to review all the Auditing and Assurance Standards issued by the ICAI *vis a*

vis the International Standards on Auditing, issued by the IFAC, in view of a number of significant revisions to the existing International Standards on Auditing and issuance of a number of new important International Standards on Auditing.

5.2.8 Other Activities

5.2.8.1 Insurance Regulatory and Development Authority

The Board had, last year, constituted a joint Committee with the IRDA to function as a common platform to consider important issues and share views on audit and other relevant issues in respect of the insurance industry. The representatives of the Board have had meetings with the representatives of the IRDA and a joint study group has been constituted to prepare a draft of the Long Form Audit Report pertaining to insurance companies, on the lines of the one applicable to banks.

5.3 Research

The Research Committee of the ICAI has been established with a view to provide guidance to the members of the ICAI in various areas of professional interest particularly, accounting and auditing, so that the highest of traditions and technical competence can be ensured in the services rendered by the profession. The Committee, since its inception in 1955, has been working vigorously towards achieving this objective and enhancing the value of services being rendered by the profession. As a part of this exercise, the Committee has brought out a number of publications in the form of guidance notes, research studies, technical guides on accounting and auditing in specific industries, guidelines on internal audit in respect of specific industries, monographs, etc. The Committee has also undertaken revision of these publications, from time to time, so as to make them upto date.

During the year, the Committee formulated the *Guidance Note on Accounting for Equity Index and Equity Stock Futures and Options*, which has been issued under the authority of the Council of the ICAI. The Guidance Note recommends accounting in the books of buyers and sellers of equity index futures, equity stock futures, equity index options and equity stock options. Besides the above, a *Technical Guide on Accounting and Auditing for Chit Fund Business* has been brought out by the Committee . The Technical Guide covers peculiar aspects relating to accounting and auditing besides the operational aspects of an entity engaged in the Chit Fund Business.

Apart from the above, drafts of certain other publications are at an advanced stage of completion and publications on the respective subjects are likely to be issued shortly. These publications include the Guidance Note on Accounting for Employee Share-based Payments. The accounting for employee share-based payments, for some time, has been an issue of debate even at the international level. The draft Guidance Note on the subject has already been formulated and the Guidance Note, after detailed consultation with various interest groups, will be issued shortly.

With a view to bring in more accountability in schools, the Committee has decided to bring out a Guidance Note on Accounting for Schools on a priority basis. The said Guidance Note would lay down an accounting and financial reporting framework for schools which is based on sound accounting principles and results in presentation of true and fair view of the state of affairs and the operating results of the activities in the financial statements. The Committee has also decided to look into the divergence of accounting treatments followed in the power sector on account of the tariff fixation norms decided by the Government and the ICAI Accounting Standards. The Committee has decided to develop a discussion paper on the subject in consultation with the regulators and the enterprises involved in the generation and distribution of electricity in the country.

With a view to provide reference facility to all the Guidance Notes on accounting aspects at one place, the Committee has started the practice of publishing the Compendium of Guidance Notes – Accounting, on an annual

basis. Continuing the practice, the Committee published a Compendium of Guidance Notes – Accounting (as on July 1, 2003), with a Compact Disk, which contains all guidance notes on accounting that have been issued upto July 1, 2003 and are in force as on that date. The Compendium of Guidance Notes – Accounting (as on July 1, 2004) is under preparation and is likely to be released shortly with a CD containing electronic copy of all the documents contained in the Compendium. Keeping in view the increasing importance of e-books, the Committee has also brought out a 'CD of Research Publications' (as on July 1, 2003). This CD contains electronic copy of nine research publications issued in recent years.

In order to recognise and encourage excellence in presentation of the financial information, the ICAI, through its Research Committee, has been holding an annual competition for the ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting (This Competition was earlier known as Competition for the Best Presented Accounts). The Competition for the year 2002-03 was held under three categories. Category I covered non-financial public and private sector enterprises; Category II covered financial institutions in public, private and co-operative sector, such as, banks, insurance companies, NBFCs, etc., and; Category III covered not-for-profit organisations including companies registered under section 25 of the Companies Act, 1956, educational and research institutions, and trusts. One hundred and nineteen enterprises participated in the Competition in different categories. The Panel of Judges, considered the entries received in detail and adjudged the Annual Report and Accounts of M/s Infosys Technologies Limited (for the year ended 31st March, 2003) as the best amongst the entries received from various non-financial public and private sector enterprises and, accordingly awarded the Silver Shield for Excellence in Financial Reporting to the company. The Copper Plaque for highly commended accounts for this category was awarded to Dr. Reddy's Laboratories Limited. None of the entries received for the Competition under the remaining two categories was found to meet the benchmark. The Panel, therefore, decided not to give any award under those two categories. The awards decided by the Panel were presented at a special Function of the ICAI, organised on January 21, 2004 at New Delhi.

5.4 Corporate Laws

The year 2003-04 was an era of significant achievements. Several projects undertaken by the Committee were completed successfully. The name of the Committee was changed from *Corporate Laws Committee* to *Corporate and Allied Laws Committee* to reflect the true nature of the Committee and also the scope of the Committee was enhanced to cover the wide range of activities. The Committee initiated the revision of Schedule VI to the Companies Act, 1956 and finalised the Amendments. The proposed amendments to Schedule VI to the Companies Act, 1956 are now under consideration of the Council. During the period under Report, several seminars and conferences were held covering a wide range of contemporary topics connected with the Corporate and Allied Laws. The Committee also organized a Training Programme for the officials of the then Department of Company Affairs.

5.5 Fiscal Laws

The Fiscal Laws Committee submitted the Post-Budget Memorandum – 2003 to the Government. Some of the suggestions contained in the Memorandum were accepted at the time of passing of the Finance Bill, 2003 into the Finance Act, 2003. There were two Pre-Budget Memoranda – 2004, one submitted in January, 2004 before the introduction of the Interim Budget by the outgoing Government and the other in May, 2004 which was submitted on the eve of the presentation of the Budget by the new Government. The President, Chairman of the committee and the Secretary of the ICAI met Hon'ble Union Finance Minister on 12th August, 2004 and submitted the Post-Budget Memorandum, 2004.

The Committee revised the Guidance Note on Report under Section 115JB of the Income-tax,

1961. The Committee brought out a landmark publication *Depreciation - accounting, taxation and company law issues - A Study.* This publication is a critical examination of the various facets of depreciation in accounting, taxation and company law areas.

The President and Chairman of the Committee met the Chairman, CBDT and discussed important matters such as outsourcing of services and assistance to the Department from chartered accountants and conduct of training sessions/joint seminars with senior officials of the Department. Persistent efforts are being made in coordination with the Central Board of Direct Taxes for inclusion of chartered accountants as e-return intermediaries. Considerable progress is being achieved in this direction.

The Committee organised an All India Seminar on Taxation at Chennai. Further, it organised a National Seminar at Mangalore on Fiscal and Allied Laws in collaboration with the Mangalore Branch of SIRC. An All India Conference on Fiscal and Corporate Laws was organized at Ahmedabad jointly by the Fiscal Laws Committee and the Corporate Laws Committee in co-operation with Ahmedabad Branch of the WIRC.

5.6 Financial Markets And Investors' Protection

Financial Markets and Investors' Protection are essentially built on the premise of trust, which has now become the core thinking of regulatory authorities and corporate entities. Markets, Institutions and Corporate entities are expected to look upon the Corporate Governance as a strategic measure for projection of their image. The driving force for the future millennium is establishing a code of Best Principles and Practices on Corporate Governance. During the year, the Committee focussed on its ambitious mission and vision primarily on the theme of Corporate Governance and Investor Protection. In furtherance of this focused initiative and desirable plan of action, the Committee is contemplating positive and pro-active dialogue with the various market regulators to provide its valuable assistance to them. Research studies on Corporate Governance, certified/modular/refresher courses on Financial Advisory Services for the members and conducting investor awareness campaign in various parts of the country will be the other focus of initiatives.

5.6.1 Interaction with the Government Regulatory Authorities

The Committee is contemplating a pro-active role with the Market regulators i.e. RBI, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the Ministry of Company Affairs (MCA). Steps are under way to identify the expectations of the regulators and with the help of these exercises, the Committee expects to narrow down the societal expectation gap on the profession in general.

5.7 Expert Opinions

The Expert Advisory Committee of the ICAI has been established to answer queries from members on issues involving accounting and auditing principles and other related areas.

In the past few years, the ICAI has issued a number of Accounting Standards, Auditing and Assurance Standards and Guidance Notes. By virtue of issuance of these pronouncements, the increased reporting and disclosure requirements and the dynamic environment in which a member discharges his professional duties has made the role of the Expert Advisory Committee even more significant since it replies to the queries of the members of the ICAI on wide ranging subjects involving interpretation and implementation of various principles enunciated by the Accounting Standards, Auditing and Assurance Standards, Guidance Notes, etc. During the year, the Committee finalised opinions on 24 queries on varied subjects like accounting for foreign currency transactions, segment reporting, revenue recognition, valuation of inventories, reserves arising on amalgamation, securitisation transaction, borrowing costs and intangible assets. The opinions of the Committee also help the members of the profession to discharge their professional duties by laying down the principles in those areas in respect of which no

authoritative pronouncements have been issued so far.

The opinions finalised during a year are published in a Volume of Compendium of Opinions. So far, 22 Volumes of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee upto January 2003 have been released for sale. Volume XXIII of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee between February 2003 and January 2004 is under compilation.

The opinions of the Committee represent the opinions of the Committee and not necessarily the opinions of the Council. The opinions are based on the facts and circumstances of the query as supplied by the querist, accounting/auditing principles and practices and the relevant laws applicable on the date the Committee finalises the particular opinion. While finalising the opinion, the Committee also considers not only the national developments in the areas concerned but also the relevant international literature including the emerging thoughts on the subject.

Some of the opinions finalised by the Committee are published in every issue of the Institute's Journal *The Chartered Accountant* and are also being hosted at the ICAI Website for information of members at large.

5.8 Continuing Professional Education

5.8.1 Overview

The reporting period is a landmark in the ICAI's endeavor to continue to maintain the status of Indian Chartered Accountants as a well-rounded professional comparable only with the best in the World. The ICAI has completed one full year of making the Continuing Professional Education (CPE) mandatory to members in practice with effect from 1st January 2003 by the issuance of the Statement on Continuing Professional Education. Every possible initiative has been taken and implemented by the Continuing Professional Education Committee (CPEC) to assist the members to maintain superior standards of professional services.

In line with the international best practices, the Statement on CPE has been revised so that:

- all members in practice (with certain exceptions) are required to obtain to their credit a minimum of 15 hours during the calendar year 2004 and 20 hours during the calendar year 2005.
- all members in service in industry, or engaged otherwise than in practice, are **recommended** to obtain to their credit a minimum 15 hours during the calendar year 2004 and **required** to obtain 10 hours during the calendar year 2005.
- the grant of CPE Credit has been made equivalent to the actual time spent on learning activity (subject to a minimum of two hours).

5.8.2 Augmentation of CPE Programme Delivery

The Committee has taken the initiatives to augment the CPE Programme delivery infrastructure throughout the country by way of establishing CPE Study Circles, CPE Chapters and CPE Study Groups. Towards this objective, the Committee had taken the initiative to issuance of the Norms for the formation and functioning of CPE Study Groups within India at places not falling under the jurisdiction of the Regional Councils / Branches to enable the members at remote places and geographically isolated areas for participating in the CPE Teleconferencing Programmes through the Gyan Darshan Channel and to earn the CPE Credit hours.

5.8.3 Empowering the POUs

With a dual object of maintaining uniformity in the subjects to be covered by the CPE POUs and to enable them to determine the CPE Credit hours, without approaching the ICAI, CPE Calendar has been released after due consultation process covering topics of practical relevance not only for the members in practice but also to the members in service. Due care was taken to address the CPE requirements of members at metros, big cities and moffussil and

remote places. Topics of contemporary and futuristic relevance have been included to make the CPE Calendar appealing to all the segments of members of the ICAI.

As in the early years, the CPE Calendar was divided into two parts viz., Obligatory Topics and Optional Topics. The CPE POUs with more than one thousand members of the ICAI have been required to conduct at least 2 topics from the Obligatory Topics and Optional Topics in each quarter. POUs with less than one thousand members have been required to conduct at least 1 topic from the Obligatory Topics and Optional Topics in each quarter.

5.8.4 Maintaining Quality of CPE Programmes

The Committee has formed Regional CPE Monitoring Committees, inter alia, to monitor the quality of the CPE Programmes being organised by the CPE POUs. Monitors and supervisors as required under the CPE Advisory on Monitors and Supervisors are being nominated for POUs for achieving the above stated objectives.

For achieving its objective of providing quality CPE Programmes, the Committee had organised the second batch of the *Training for Trainers* programme. This time participants for the programme covered the Northern, Central and Eastern Regions. This initiative also aims to develop CPE resource persons' base throughout the country to enable the members to get quality education through the programmes organised by the POUs of the ICAI. The Committee intends to organise more and more number of such programmes in the near future to augment the CPE Resource Persons base throughout India.

5.8.5 CPE Modular Training Programmes

The Committee has introduced the concept of CPE Modular Training Programmes for the first time. All Regional Councils and Branches have been requested to conduct at least one CPE Modular Training Programme, in each quarter starting from April 2004, on any of the topics contained in the CPE Calendar. These programmes have been introduced to enrich the learning experience for the participants – with restriction on the number of participants. Appropriate guidance have been given in this regard.

5.8.6 Management and Accounting Research

In order to encourage research in the area of accounting, auditing, management, economics and allied areas, the Committee continued to publish the quarterly research magazine *Management and Accounting Research*. The magazine includes technical contributions from experts, both in India and from abroad. The Committee has arranged for the revision of the honorarium payable to authors and reviewers in order to attract quality contribution by experts for this Journal.

5.8.7 Central CPE Database

The Committee has taken steps for the development and maintenance of Central CPE Database of members with possibilities for incorporating the CPE Credit in the Entry on Record of Individual members. Online verification of CPE Credit and the details of CPE Programmes attended by the members are being implemented along with the Virtual Institute Project of the ICAI.

5.8.8 Road Map to enable the ICAI to meet the IFAC requirement on minimum CPE Credit by 1st January 2006

The Committee has adopted a Road Map to enable the ICAI to meet the IFAC requirement on minimum CPE Credit by 1st January 2006. The strategies that have been decided to be adopted in this regard are given separately.

5.8.9 Other Initiatives of the CPE Committee

The CPE Committee has also been working on the following strategic initiatives:

- Conducting certificate courses on areas of super specialization for members of the ICAI.

- A time bound development of staff and physical infrastructure commensurate with the projected quality and quantum of Continuing Professional Education for members of the ICAI so as to enable the ICAI to serve its members more effectively.
- Organising more In House Executive Development Programmes to enable the members in Industry to meet the CPE requirements.
- Issuance of CPE Advisory on Unstructured Learning Activities
- Norms for the formation and functioning of Organisation level CPE Study Circles of members in Industry
- Conducting CPE Awareness Campaign
- Publication of CPE Background Materials in Electronic Form

5.9 Professional Development

The Professional Development Committee continued its journey towards achieving its Mission, i.e. to explore, derive, develop, assure and make available opportunities for the use of the professional talents and skills of Chartered Accountants in different sectors of the world of Business, Trade and Commerce, Service, Infrastructure Governance and Society as a whole and to ensure that such opportunities are available equitably to all Chartered Accountants with due regard to their professional abilities and attributes. As a part of the efforts made to achieve this Mission, the Committee is continuously interacting with various regulatory/empanelling authorities and users of services of the profession.

During the period under Report, the Professional Development Committee continued its dialogue with empanelling authorities/users of the services of the profession to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. The major achievements/endeavours of the Committee during the period under Report, are listed below:

- Increase in audit remuneration for Statutory Audits of Banks from the year 2003-04 onwards including on account of increase in the volume and extent of work.
- Constitution of a Central Sub-Committee on Concurrent Audit of banks.
- Discussions with the RBI on various matters relating to audit of banks.
- Various issues of direct interest to the members pursued with the Office of Comptroller and Auditor General of India (C&AG).
- NABARD's working group agreed in-principle to increase the audit fees for Central Statutory audit and Branch audit for their Regional Rural Banks and their branches by 20% with effect from the year 2003-04 audits.
- RBI recommended 40% to 45% increase in the audit fees of the seven financial institutions including the RBI itself.
- Representations being sent to various States/Union Territories regarding the introduction of VAT.
- RBI announced the revised norms for empanelment of statutory auditors of public sector banks/select all India Financial Institutions and RBI.
- A panel of ISA Qualified Chartered Accountants submitted to all Public Sector Banks, Private Sector Banks, All India Financial Institutions, Co-operative banks & Entities and Foreign Banks.
- Meetings held with the SEBI regarding the empanelment of Chartered Accountants for inspection/audit of Stock Brokers.
- Bank Branch Auditors' panel for the year 2003-04 hosted on the ICAI website for the first time.
- Information regarding allotment position for Bank Branch Audits for the year 2003-04,

also hosted on the ICAI website for the first time, this year.

- Applications for empanelment of auditors for Bank Branch Statutory Audit for the year 2004-05 invited on-line for the first time and the requirement of annexing the financial statements and Income Tax Returns done away with.

Besides the above, the Committee is continuously striving to achieve its Objectives, as detailed below:

- To explore and exploit all available and potential opportunities whereby newer avenues for professional development and growth may be assured for the ICAI members.
- To educate the users on matters affecting the profession.
- To conduct courses, seminars, workshops on various subjects in so far as these relate to the core mission of the Committee.
- To determine the manner and the form in which guidance should be provided to Chartered Accountants in regard to the possible avenues that are developed for them.
- To establish such linkages, including signing of Memoranda of Understanding with such bodies and agencies as may assist in the achievement of the overall mission.
- To improve the communication process with representative bodies of users of the services of the profession so that equal opportunity is given to all members of the profession with due regard to their professional abilities and attributes.
- To consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skills and talents of ICAI members (Basically, this will be in the form of recommendations to other Committees of the ICAI).
- Last but not the least, to ensure that existing opportunities of professional development are fully utilised and maintained at equitable and growth-oriented levels.

The Committee is of the firm belief that "We achieve only what we plan". In pursuance of this belief and in order to achieve its above objectives, the Committee is prioritizing to identify and nurture new areas of practice and this is proposed to be achieved by adopting the following areas as focus areas for professional development from the year 2004-05 onwards:-

- Infotech Consulting
- ERP implementations
- Mini ERP implementation support
- Risk management studies
- Corporate statutory audits/internal audits
- Management consultancy
- IT strategy / security / IS audits
- Systems study and BPR
- BPO operations for corporates / banks etc.
- Valuation / due diligence
- Compliance audits
- Corporate finance
- Indirect taxes – consultancy
- Software package implementation services
- Insurance
- Compliance audits
- Income tax / sales tax / VAT/ excise
- Tax audits
- Technical support / research in specialized areas - FEMA / Infotech / IS Audit / Security / Risk management / Insurance
- Accounting and book keeping services
- ATM controls review

The Committee is also cautious of its responsibility to educate members in the areas related to new avenues of professional opportunities. It is in view of this that the Committee has organized programmes/ seminars on the following areas :-

- Exim Policy and procedures & the role of Chartered Accountants
- Re-engineering of Small Accounting Firms

The Committee also proposes to keep organizing such programmes/seminars on various other areas also including the following:-

- Audit of Mutual Funds
- Audit of Stock Brokers
- Audit of Telecom Sector
- Audit of Municipalities including conversion of accounts to modified accrual system
- VAT Audit
- Conference of Bank Directors

5.10 Peer Review Board

The Peer Review Board constituted by the ICAI set the peer review process in motion, heralding a new era in the history of the accountancy profession in India to monitor and aim at enhancing the quality of attest functions performed by members of ICAI. Significant activities carried out in this regard during the period under Report are as under: -

- 16 Training Programmes for Reviewers empanelled with the Board have been organised between October, 2003 and August, 2004. The total number of participants at the programmes is 718, as per the following break-up.

Date	Place	No. of Participants
22nd October, 2003	New Delhi	39
02nd November, 2003	Jaipur	43
08th November, 2003	Chennai	52
10th November, 2003	Hyderabad	44
14th November, 2003	Kolkata	36
23rd November, 2003	Bangalore	39
28th November, 2003	Mumbai	48
29th November, 2003	Pune	21
01st December, 2003	Ahmedabad	85
14th December, 2003	Nagpur	33
12th January, 2004	Kanpur	38
13th February, 2004	Indore	35
26th March, 2004	Ludhiana	41
4th June, 2004,	New Delhi	57
30th July, 2004	Mumbai	62
	Total	**718**

- The Panel of Reviewers finalised and total number on the Panel is 1527.
- 241 Practice Units selected for undergoing review under Stage I, through Computerised Random Selection by means of specially developed software.
- 241 Practice Units selected from the database of 987 Practice Units covered under Stage I of Peer Review, firmed up on the date of selection.
- Letters sent to 241 Practice Units intimating them of their selection for review, followed by names of 3 Reviewers.
- Acceptance letters for carrying out review received from 187 Reviewers till middle of August, 2004.
- 5 Practice Units have been issued Peer Review Certificate based on the final reports received from the Reviewers and considered by the Board.
- 20 more final reports have been received and will be considered by the Board for issue of Peer Review Certificate.

A Tele-conference Programme on Peer Review under the aegis of CPE Committee was held in December, 2003.

A Booklet on FAQs released.

5.11 Committee for Members in Industry

5.11.1 Campus Interviews

Campus Interviews (introduced in September 1995) continued to receive an overwhelming response from both the employing organisations (public and private sectors including multi-nationals) and the newly qualified members interested to make their Post Qualification Career in Industry. During the year, 148 teams of employers had looked into the bio-data of about 4648 young Chartered Accountants. Encouraged by the response to the scheme, the ICAI through its Committee for Members in Industry, organised Orientation Programmes at various interview centres to train young members to attend the Interview Boards with greater confidence. Also, a booklet, *How to Face an Interview Board* and *Interview Candidate's Question Bank* were sent

to the candidates appearing in the Campus Interviews for their use and guidance.

5.12 Information Technology

5.12.1 ISA Registration/ET Pass/AT Pass Status:

The realization that the best way to capitalize on the emerging opportunities is to transform the traditional competencies in auditing and accounting into techno- based assurance skills has impelled the ICAI members to seek knowledge update by joining ISA Course in a big way. ISA Eligibility Tests (ET) and Assessment Tests (AT) are conducted every quarter. The following table summarizes the ISA Registration/ ET Pass/ AT Pass position for the period under Report :

Particulars	ISA Registration	ET Pass	AT Pass
As on 31/3/2003	9450	3998	1977
Between 1st April 2003 and 31st March 2004	6237	4903	3180
As on 31st March 2004	15687	8901	5157
Between 1st April 2004 to 14th August, 2004	1579	1350	2185
Total as on 14th August, 2004	17266	10251	7342

5.12.2 ISA Resource Persons/ Faculty Meet

A faculty meet was organised to review ISA Course, ISA Course Syllabus & Materials update and to have greater practical content.

5.12.3 IT Harmony Newsletter, the Voice of the ICAI on Technology:

Commencing from the month of January 2002, the Committee on Information Technology has been bringing out IT Harmony Newsletter 2003, which has been highly acclaimed for the contents, design, thematic treatment and thought provoking articles on high topics.. The themes of IT Harmony available at the ISA Portal at www.isaicai.org are given in the following table:

Month	Theme
May 2003	Data Warehousing
June 2003	Viruses
July 2003	E-Governance
August 2003	Virtual Private Network
September 2003	Legacy Systems
October 2003	Security Policy
December 2003	Post-Implementation Audits
March 2004	IT Management
April 2004	Identity Management
May 2004	Sarbanes-Oxley & Rebuilding Investor trust
June 2004	Convergence
July 2004	Business Continuity Planning

Apart from the Thematic and Contemporaneous coverage, other salient features covered in the Newsletter are Interview with leaders in Government, Business, Technology Institutions.

5.12.4 Online Test Practice Tests (OLPT) and Researched Online Study Material (ROSM) Twin Services through e-learning mode

The Committee provides an online facility on 24/7/365 days basis to provide Online Practice Test (OLPT) facility to enable members access their level of knowledge and get exposure to the type and level of questions being asked in the ISA ET & AT examinations. Another important component of this service is Researched Online Study Material (ROSM) that not only checks the level of understanding of ISA candidates, but also provides one page review material on the topic to better understand key concepts. Access to this service is through the ISA Portal at www.isaicai.org for specified periods.

5.12.5 CAAT course

The Computer Accounting & Audit Techniques Course organized by ICAI provides hands-on training on use of computers. The following table provides course registration and completion status for the period under Report :

No. of participants as on 31/3/2004	1450
No. of participants from 1/4/2004 to till 14th August 2004	1890
No. of centres where the course was conducted up to 31/3/2004	51
No. of CAAT Course Completion Certificates issued as on 14th August, 2004	697

5.12.6 ISA Course for Members of The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka

As an important International Initiative, the ICAI signed an MOU to offer ISA Course for the benefit of members of The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL). Two batches were organized in the year 2003. Third batch is scheduled from August, 2004. As a part of the MOU, the ICAI has extended course support for important components like professional training by faculties/ course materials/ practice test/ final assessment test. The course has been very well received leading to repeat batches.

5.12.7 Proof of Concept Laboratory (POCL)/ Centres of Excellence in Information Technology (CEIT):

POCL/ CEIT Centres pilot project is being started at Chennai to provide practical exposure to IS Auditing by providing requisite exposure to ISA Candidates. POCL/ CEIT centers at Delhi & Mumbai are also expected to be operational by January 2005.

5.12.8 Practical Training

Increasing emphasis is given towards provision for practical training through Seminars/ Workshops/ Conferences and Train-The-Trainer programs to provide practical content and training on use of CAAT Tools.

5.13 Public Relations Activities Undertaken

A proactive strategy was pursued to put forward the ICAI viewpoints, strength of accounting profession in India and its perspective on contemporary issues as also to address the concerns about the profession as indicated herein :-

- Public Relations Committee reconstituted after a gap of about two years to provide a thrust to the PR activities of the ICAI.
- A PR agency appointed to undertake the PR work of the ICAI.
- Council Members allowed to be media friendly subject to certain conditions.
- Press conferences (including with electronic media at the Head office, Regional offices and various other cities in the country on the initiatives taken/proposed to be taken, policies and programmes and also for responding to the issues concerning the profession) organised. This also included one to one meeting of the President with the leading journalists and TV Channels, on issues which confronted the profession.
- Focussed interaction with key journalists, press and electronic media, parliamentarians, Government officials, Regulators explaining the view point and initiatives being taken by the ICAI on the issues related to the profession nationally and internationally pursued.
- Emphasis on contemporary issues in public debate concerning the profession, in the programmes organised by the ICAI, its Regional offices and Branches with a view to develop communication link between the ICAI and its members for their feedback laid.
- Promotion of CA curriculum through structured articles as well as interactive meetings with the press in national as well as regional news papers.
- Building a press database for ensuring wide disbursal of ICAI news throughout the country.
- Proactive initiative for development of professional opportunities for members, creation of a positive image of the profession, highlighting the career prospects for CA students as also services rendered by the chartered accountants through

advertisements in leading newspapers and magazines including Khaleej Times of Dubai.

- Image building of the ICAI both professionally and socially and creation of general awareness through series of episodes on TV spots underway.

- Focussed attention on strengthening the quality of response to the members and students, in the offices of ICAI and through the internet; strengthening the grievance handling mechanism, and communication through the journals and student's newsletter for improving the quality of services.

- Continued publication of quarterly ICAI Patrika to inform and disseminate the important developments at ICAI level.

- Facelift to the ICAI Website, making it more informative and user friendly. Introduction of new section on photo gallery and important speeches.

- Meetings with Chief Ministers and Finance Ministers of various states.

- Meetings with Secretaries of various Departments of Govt. of India and other State Governments.

5.13.1 Media Events

- International Conference on the theme *Redefining the Accountancy Profession: A Measured Response to Global Challenge* from 11th-13th March at Birla Auditorium, Jaipur which was inaugurated by Hon'ble Shri Madan Lal Khurana, Governor of Rajasthan. The Conference was attended by about 150 distinguished personalities from at least 45 countries apart from about 2700 participants from all over the country. This included the President of IFAC, President of South Asian Federation of Accountants(SAFA), President of Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA), Presidents of Regional Accounting Bodies in different countries, Heads of accounting bodies from USA, Canada, Australia, South Africa, Japan, France and of other countries including those in the South Asia, Chairmen of SEBI, IRDA, CBDT, Bank of Baroda, SBI Life Insurance, Dy. C&AG, top industrialists like Shri Tejendra Khanna, Shri Subir Raha, Shri Satish Seth. In other words, all those associated with the responsibility of setting international standards in accounting, auditing, ethics, worldwide congregated in Jaipur.

- Celebration of the Chartered Accountants' Day on 1st July 2004 which was inaugurated by Shri H.R. Bhardwaj, Hon'ble Minister of Law & Justice. The function was also graced by Shri Prem Chand Gupta, Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Ministry of Company Affairs and Shri K. Rehman Khan, then Hon'ble Minister of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

- Organisation of the 54th Annual Function of the ICAI in which Shri N.R. Narayana Murthy, Chairman of the Board and Chief Mentor, Infosys Technologies Ltd. was the Chief Guest.

- ICAI and FICCI jointly organized the National Conclave on Accounting Standards and CARO 2003 on 24th August, 2004 at New Delhi.

- The ICAI organised a function for presentation of the *ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting* for the year 2002-03. Hon. Shri. Devanand Konwar, Minister for Power & Law, Government of Assam gave away the Awards to the representatives of the organizations declared to be the winners.

- Lecture meeting on Capital Markets organized by the ICAI at Mumbai. Shri Anandrao Adsul, then Hon'ble Minister of State for Finance was the Chief Guest.

- The ICAI also hosted in collaboration with Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB), India and the World Bank, one day International Symposium on

Standard setting for Government Accounts at New Delhi in December 2003. Experts from international accounting organisations and national standard-setting bodies participated in the Symposium.

- Signing of Agreement between Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) of the ICAI and Birla Sun Life Insurance (BSLI) to provide a Group Protection Solution for the members of the ICAI.

- Providing PR support for the programmes organised by the regional councils and their branches.

- Finalisation of PR policy of the ICAI is underway.

5.13.2 International

- Coinciding with the International Conference, India got the privilege for the first time to host the meeting of the Board of International Federation of Accountants (IFAC) which was held on March 10-12, 2004 at Jaipur. Officer Meeting of the IFAC was also hosted by the ICAI.

- Also coinciding with the International Conference and IFAC meetings, the ICAI also hosted the Committee meetings and Assembly meeting of the South Asian Federation of Accountants (SAFA), meeting of Accounting Standards Setters in South Asia, and a meeting of the International Regional Accounting Bodies which were held on March 10-11, 2004 at Jaipur.

- The CAPA meeting was hosted by the ICAI in New Delhi on November 3-5, 2003. This honour came to India almost after two decades, last being the tenth CAPA Conference held in New Delhi in 1983.

- The ICAI hosted the events of SAFA from 26th – 28th August, 2004 at New Delhi. Coinciding with these events the ICAI also organized a two day SAFA Conference on *Integrated Financial Sector in the SAARC Region* which was graced by Hon'ble Shri K. Rehman Khan, Dy. Chairman, Rajya Sabha, Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Minister of State for Company Affairs (Independent Charge) and Shri M.M.K. Sardana, Secretary, Ministry of Company Affairs.

- Two day Seminar on *Meeting the Challenges* at Muscat in December 2003 was attended by over 200 Chartered Accountants residing in Oman. The Chief Guest H.E. Sayyid Abdulla Bin Hamad Al Busaidy invited ICAI to organize many such conferences and training programmes. He suggested that the ICAI can collaborate with the Omani authorities in furthering the training and professional development of Omani youth.

- On the occasion of the SAARC Charter Day, the ICAI in collaboration with Shri Ram College of Commerce (SRCC) organised an inter-college Debate Competition on *The Cancun Talks: A Success for Developing Countries*. It saw wide participation of about twenty students from over ten colleges of Delhi University.

- The Institute of Chartered Accountants in England & Wales and also the Institute of Chartered Accountants of New Zealand have eased their membership for Indian Chartered Accountants.

- Meetings with the Institutes in other countries with whom ICAI has signed MOU for mutual co-operation and recognition of qualifications.

5.14 Trade Laws and WTO

The Committee on Trade Laws and WTO had been constituted with a mission to establish and assure the expertise and authority of the ICAI in all matters of conceptualisation, formulation, negotiation, implementation and redressal concerning Laws of Trade including Trade in Goods and Services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the ICAI through

such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfill national stated and unstated aspirations, concerns, and needs in all these regards.

The Committee on Trade Laws and WTO, since its creation in 2001 has been devoting itself to create awareness, education and prepare the ground work needed to develop professionals having specialised skills in the field of WTO, in the process of implementing continuing initiatives to contribute towards the process of India's economic development.

Currently, the Committee has been seeking to evaluate the changes taking place in the new world trade milieu and their ramifications for this prominent sector in order to adequately equip members of the ICAI to take advantage of the space created by the new world trading regime. In order that the Indian professionals do not remain insular to the winds of change that have been gathering around us at a mind boggling pace, the Committee has currently embarked upon to provide greater thrust, inter alia, to the pursuance of following:-

- Capability enhancement of Members of the ICAI in WTO Regime
- Identification and exploration of means for expanding export of services from Indian professionals
- Creation of professional avenues under WTO
- Dissemination of knowledge through various means
- Provision of level playing field for Indian professionals under WTO Regime by providing technical inputs to the Government for taking up at appropriate level at WTO.

5.14.1 Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation

As a proactive step towards developing specialised skills amongst the members of the ICAI, not only to meet the challenges posed by the WTO Regime but also to prosper from the opening up of the resultant opportunities, the Committee on Trade Laws and WTO had conceptualised to introduce this arena on *International Trade Laws and WTO* as a Post Qualification Course for the members of ICAI. This Course aims to provide the members with an insight into various phenomena that, in turn, could lead to new professional opportunities. The Course would impart a new direction to the careers of Chartered Accountants as it aims to acquaint members with the latest in international trade in order to enable to adjust to new realities. Upon obtaining acquiescence of the Central Government, the Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation was notified through the Gazette of India.

During the year, the Committee fervently strived to develop meaningful study material for the various Papers of the Course in order to elevate the entire learning experience of the candidates in the various WTO Agreements, the working of WTO and the domestic and international trading laws and environment. The Committee also took various initiatives towards concretising the preliminaries before the launch of the Course. The major ones included exploring the possibility of tie-ups with various commercial, industrial, governmental and other organisations/authorities for the grant of Practical Training to the Candidates for the Course, as envisaged in the scheme of the Course. Other initiatives revolved around associating with nationally and internationally renowned faculty/other infrastructure for facilitating in various stages of the Course. As the efforts of the Committee have started getting fructified, the stage is set for the launch of the Course for the membership of the ICAI in October 2004.

5.14.2 Knowledge Sharing

During the year, the Committee developed a comprehensive Knowledge Sharing Page, displayed at the ICAI Website under the link "KM". The page provides the basic understanding of WTO and the latest updates into the volatile field for keeping the concerned stake holders aware of the rapid developments

taking place in the global trading environment. In addition to this, the page also acts as a major resource provider for the vast reservoir of information in the field of WTO.

5.14.3 The WTO Pathfinder – A Technical Update on WTO Matters

The various issues of the publication being brought out by the Committee continued to provide meaningful technical update on WTO matters. During the year, one of the major initiatives of the publication involved an assessment of Post Cancun scenario of the international trading environment in the goods as well as services sector by bringing out a special Post Cancun centric issue of the publication with an exclusive Article on the experience of Cancun from the then Minister of Commerce & Industry, Government of India.

The various issues of the publication have also been made available at the ICAI Website for widespread dissemination of knowledge in such areas. Currently, while giving a total facelift to the publication, the Committee has also decided to publish the same on a quarterly basis.

5.14.4 WTO Technical Desk

The Committee, during the year, established a *WTO Technical Desk* to provide responses to technical queries on issues related to International Trade Laws and World Trade Organisation vis-a-vis the accounting profession in India and professional opportunities arising therefrom.

5.14.5 Provision of technical inputs to the Government

During the period under Report, the ICAI continued to render its technical support/ inputs to the Government on various matters touching upon the realm of the professional services sector, in general, and Accountancy profession, in particular during the on going negotiations under WTO.

5.14.6 Seeking creation of Professional Opportunities for Members under WTO

During the period under Report, the Committee also made a detailed representation before the Directorate General of Anti-dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Government of India recommending involvement of Chartered Accountants for certification and other work under Anti-dumping Application documentation required by the Directorate. The Committee has been making all out efforts to realise the objective in this direction.

5.15 Committee on Insurance

- The Committee launched the Post Qualification Course in Insurance and Risk Management (DIRM) for the benefit of members of ICAI in April 2003. The subjects cover the elaboration, *inter alia,* of the principles and practice of life and general insurance, insurance accounting and management, regulatory framework, asset and liability management, solvency margin, technical aspects related to various general and life insurance products, risk management measures, reinsurance, application of information technology tools in the management of insurance business and controls and the strategies on product formulation and ancillary areas. The Course has been framed with the vision to equip the members with the insurance industry-specific knowledge.

- The Committee organised a Round Table on Insurance Sector in the month of June 2003, which saw the participation of the Chief Executive Officers and Chief Financial Officers of the Indian insurance companies and insurance intermediaries, Chairman and members of the IRDA and other Government officials. A number of seminars on insurance related topics focusing primarily on the identification of professional opportunities for chartered accountants in the insurance sector were also organised all over the country.

- The Committee maintained close liaison with the IRDA on issues concerning the industry and the ICAI.

- The Course, being an industry-specific specialization course, has received tremendous response in terms of participation. Till 31st March 2004 & middle of August, 2004, 1947 & 2289 members respectively have been enrolled for the Course. The region-wise fragmentation of the candidates is as follows :

Region	As on 31st March 2004	As of mid August, 2004
Western	299	374
Southern	858	923
Central	171	409
Eastern	336	248
Northern	283	335
Total	**1947**	**2289**

- The supplementary course material developed by the ICAI has been distributed to 2105 candidates eligible for May & November, 2004 batches.

- The Eligibility Tests for the 1st batch (May 2004) for 1392 members registered upto 31st July 2003 were conducted between November, 2003 and January 2004.

- Henceforth, the candidates will be submitting ETPs through Postal Scheme. Valuation of ETPs has been outsourced.

- The first technical examination was held between 17th and 20th May, 2004 and 416 candidates appeared for the same. 90 candidates were declared successful at the first technical examination.

- The crash/contact courses for DIRM candidates were conducted on experimental basis at Hyderabad, Vijayawada and Bangalore in association with IIIF, Hyderabad for May, 2004 batch.

- Knowledge Portal (Gyan i) for insurance professionals and with industry specific focus has been launched since 23rd September, 2003. It contains News Section, Contemporary Quotient, Course Information/Announcements, Press Room and E-Newsletter. It is beneficial for members in practice & service associated with insurance sector and also for members pursuing DIRM Course.

- Text for Technical Guide on Inspection of Investment Function of Insurance Companies is under consideration.

- The Committee made various representations to the Regulatory Authority, IRDA for ensuring professional opportunities for members. The plethora of opportunities provide different avenues for CAs in practice and in service. While practising CAs can prove invaluable to corporates entering the market by offering services such as entry strategy and strategic planning, there are high growth-oriented career opportunities for CAs in service as well.

5.15.1 Modular Training Course for Surveyors and Loss Assessors

The Committee on Insurance also envisages launching the Modular Training Course for Surveyors and Loss Assessors, for which the in-principle approval had been received from the IRDA. During the year under Report, the Committee concentrated on conceptualization of the Modular Training Course and would come out with the Course in the near future. The Course comprises the professional study and training relating to the practical and technical aspects of the insurance survey departments for which the Chartered Accountants can presently render services. The Course would throw open ample professional opportunities for the ICAI members, as the successful completion of the Course would entitle the members to obtain the licence to act as Surveyors and Loss Assessors, from the IRDA.

6. INTERNATIONAL INITIATIVES

- A student exchange program with the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) was organised from 18th –

24th June, 2003 in which 9 students of ICASL participated. These students also attended the 16th All India CA Students Conference at Chennai.

- A Conference on the theme managing in turbulent times was organised at Bangalore with the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) from 9 – 10 August, 2003 wherein Hon'ble Shri Ravi Karunanayake, Minister of Commerce and Consumer Affairs, Govt. of Sri Lanka was the Chief Guest and presented a technical paper on *Networking amongst Accounting Firms in India and Sri Lanka* Shri Azim Premji, Chairman, WIPRO Corporation delivered the inaugural address, while Shri Som Mittal, President NASSCOM delivered the keynote address at the inaugural session. Shri Pradeep Baijal, Chairman, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was the Chief Guest at the valedictory session of the Conference.

- The ICAI hosted the sub committee meetings, excom/ board meeting, Annual General Meeting and all members meeting of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) from 3rd – 5th November, 2003 at New Delhi which were attended by 26 foreign delegates from 12 countries. On the side lines of the said meeting, interaction with the delegations from the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA), the Institute of Certified Public Accountants of Singapore (ICPAS) and CPA Australia in the areas of mutual interest in general and furtherance of the process of evaluation for establishing equivalence between qualifications in particular, were taken up.

- In tandem with the initiatives of globalising its brand equity, the ICAI opened its branch office in the Knowledge Village at Dubai to act as a gateway to promote the chartered accountancy profession in the Gulf Region and also Worldwide. The office was inaugurated by Hon'ble Shri Suresh P. Prabhu, former Union Minister of Power, and the then Chairman, Inter linking of Rivers Project of the Govt. of India. The programme which followed the inauguration was also graced by Hon'ble Dr. Mohammed Khalfan bin Kharbash, UAE Minister of State for Finance and Industry and Shri Yash Sinha, Hon'ble Consul General of India in Dubai.

- MOU was signed with the Chinese Institute of Certified Public Accountants during the visit of Chinese delegation in November, 2003 wherein issues of mutual interest and cooperation between the two institutes were discussed. Arising out of the said MOU, a study tour encompassing the study of capital market regulations, banking and insurance industry, University education system is on anvil in later part of 2004.

- The ICAI conducted a seminar on *Meeting the Challenges* 4th – 5th December, 2003 under the aegis of Indian Embassy. The program was graced by His Excellency Mr. Abdulla Bin Hamad Al Busaidy, President, State Audit Institution. The program was attended by his excellency, Mr. Talmiz Ahmed, the Ambassador of India to Oman, Mr. Hamood Sangour Al Zadjali, the Chairman of Muscat Securities Market and the Executive Vice President of the Government State Audit Institution, Mr. Nazer Al Rawahi and the Under Secretary of the Minstry of Finance His Excellency Darwish Ismail Al Balushi. The program was well participated and brought the activities of the ICAI to the fore.

- The delegation from State Audit Institution, Sultanate of Oman headed by his excellency Mr. Nasser H. Al-Rawahy, Dy. President visited the institution in December, 2003 and the deliberation focused on identification of support areas towards the institutionalization of accountancy profession and technical contribution, guidance in research matters.

- Active interaction with the office of President, State Audit Institution, Sultanate of Oman is on with regard to ICAI undertaking institutionalization of

accountancy profession in Oman and as a first step efforts are being undertaken to establish a proposed branch office at Oman for which State Audit Institution has been requested to sponsor the Institute's proposal.

- The purpose code for import and export of services in accountancy sector has been allotted by the RBI to capture details on trade in accountancy and allied services.

- The ICAI hosted the meetings of the board of International Federation of Accountants, USA at Jaipur from 9th – 10th March, 2004.

- The ICAI hosted the Committee Meetings and the Assembly of South Asian Federation of Accountants from 10th – 11th March, 2004 at Jaipur.

- An International Conference on *Redefining the Accountancy Profession: A Measured Response to Global Challenge* was organised from 11th – 13th March, 2004 at Jaipur which was attended by over 2700 delegates. The Conference was inaugurated by His Excellency Shri Madan Lal Khurana, Governor of Rajasthan and the Valedictory Session was graced by Hon'ble Shri K Rehman Khan, Member of Parliament. The Conference was graced by the special addresses of the Regulators, Shri G.N. Bajpai, Chairman, SEBI, Shri C.S. Rao, Chairman, IRDA, Shri N. Rangachari, Financial Advisor to Andhra Pradesh Government and Shri Jitesh Khosla, Joint Secretary, DCA. The Conference had a historic significance in as much as it was addressed by Mr. Rene Ricol, President – IFAC, Mr. Michael Cartor, Country Director, World Bank India, Mr. John Kellas, Chairman, IAASB, Mr. Bill Connell, Chairman, IFAC Committee on Professional Accountants in Business, Mr. Stephen Gauthier, Director, GFOA of United States and Canada, Mr. Ian Ball, Chief Executive, IFAC, Mr. Ignatius Sehoole of South Africa. Shri Subhir Raha, Chairman and Managing Director, ONGC, Shri Y.H. Malegam, Chairman, NACAS, Shri Satish Seth, Vice President, BSES and Shri Tajinder Khanna, Chairman, Ranbaxy Laboratories also addressed the gathering.

- The program also had break out sessions on professional opportunities abroad in which the member bodies from SAFA Region, Singapore, China and ICAI Chapter of Kenya, Dubai, UAE, UK discussed on the emerging professional opportunities.

- The ICAI participated in the ongoing negotiations on India – Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement with the Institute of Certificate Public Accountants of Singapore and Public Accountants Board, Singapore towards initiation of a dialogue entering into a mutual recognition agreement. Both the Institutes examining the reciprocal evaluation at their end with regard to Education, Training, CPE and other requirements.

- The professional opportunities available through multilateral agencies mainly World Bank and Asian Development Bank have been provided details of at the ICAI Website so that the members are aware of such emerging opportunities.

- Shri Sunil Goyal, President, ICAI has been elected on the board of Confederation of Asia and Pacific Accountants (CAPA).

- It has been decided to permit ICAI students to undertake articles training upto a maximum period of three months from any of the eligible member of the other bodies of South Asian Federation of Accountants (SAFA). For the purpose, a student of a member body can take training from any of the eligible member of any other SAFA member body and the training so taken outside the country will be treated as equivalent to the training required to be served by such students under their respective statute for becoming members. This decision will come into operation after necessary amendment(s) in the respective

Act/ Regulations is/ are carried out by the concerned member bodies.

- General permission has been granted to Member Bodies of the South Asian Federation of Accountants (SAFA) for reprinting/ reproduction and sale of ICAI publications, CDs, audio/ video cassettes, etc. without charging royalty therefore subject to conditions prescribed.

- The ICAI has entered into MOU with the Institute of Chartered Accountants of Nepal focusing on technical support for establishment and implementation of accounting, auditing and assurance standards, CPE mechanism and alike.

- MOU with Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka has been signed for conduct of Information system on Audit course in particular relating to professional training, background material, facility of research online study materials, online practical test and alike.

- The Committee continues to pursue its dialogue with ICA England and Wales, New Zealand, Australia, Canadian Institute of Chartered Accountants, CPA Australia, ICA Australia, AICPA USA for mutual recognition of qualification.

- His Excellency Lord Mayor of Birmingham visited ICAI along with his delegation in February, 2004 and bilateral discussions on possible areas of mutual cooperation was discussed.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

7.1.1 HRD Training Programme

The ICAI organised training programmes on following areas / subjects to enhance knowledge & skill and to bring attitudinal changes to provide better services to its members & students and also to all concerned in general:

- Management Development Programmes / Training Programmes / Workshops for officers & staff of the Institute covering areas like Improvement of Overall Efficiency & Morale of Employees, Public Relations, HR Perception & Communication, Interpersonal Relationship, Leadership, Motivation etc.
- Workshop on Individual Empowerment for the Middle Level Officers.
- Programme on Organisation Excellence for the Top Executives of the Institute.
- Workshops on Workplace Etiquette for lower rung of employees.
- Off-Institute Trademenship Training for the Electricians & GTMs.
- Regular Intensive Computer courses on MS Office, LAN, WAN and Virtual Institute Project (VIP) covering employees at all levels.
- User Acceptance Training on 'VIP' for officers in phased manner at multiple locations.
- Programme on Yoga Therapy for dealing with yoga in daily routine, solutions for physical problems and stress management.
- Workshop on Harmonious Industrial Relations & Negotiation Skills, to office bearers of ICAI Employees Association.
- Special Training Course for lowest rung employees aiming at moving into the Mainstream Career ladder.

Thus, the regular HR training programmes were held spanning more than 13,826 man hours at the headquarter and regional office levels.

7.1.2 Human Resources - Welfare Measures

The ICAI has always recognised that its Human Resources are the most important asset for all its success in past and also strongly believe that this asset may overcome all hurdles for all times to come and place the ICAI as a *Guiding Star*. It has not only provided various welfare schemes for its employees but also granted benefits to ex-employees as well such as enhancement in minimum pension.

7.2 Use of Information Technology in Member's and Student's Services

The focus has been on enterprise solutions to achieve the objective of consolidation. The ICAI believes that the future growth impetus is predominantly IT driven. In the context of an overriding thrust on Technology driven approach, the role IT becomes significant. The thrust has to be market and technology driven. The Virtual Institute initiative is targeted towards introducing e-regulation concepts.

- Virtual Institute is an enterprise wide system with web interface and a central database aiming at consolidation of students, members and firms records facilitating a knowledge, meeting as well as workflow management.

- The system has a country-wide network aiming to generate online MIS. The system takes the services of the ICAI to the doorstep of members and students and thereby become a Home Institute/ Any Where-Any Time Institute with 24 X 7 X 365 services. The project is first of its kind in the Indian Academic Sector.

- The system has three phases and is built on an ERP architecture (ORION). In the 1st Phase Unified Centralised System (similar to Core Banking Solution) is established bringing together all regional offices, regional councils and branches online with integrated database instantaneously addressing consolidation issues. This phase has been productionised at Southern Region in the month of July, 2004. Currently, the data migration of balance regions is on the way and the 1st phase will be productionised by end of October, 2004 in all the balance regions.

- 2nd Phase will bring a paradigm shift in functioning of the ICAI by providing services at doorsteps by way of Home Institute (similar to Home/ Internet Banking).

- In the 3rd Phase, all the support/balance functions get computerised achieving total computerisation. There will be a meeting & knowledge management portal for knowledge dissemination and regulatory committees functioning. The functionality of the new system was arrived by combining the functionalities of the existing systems and adding enhancements to it.

- The Infrastructure in terms of Data Centres (Main & DR sites) Level 3 standards, Server Farm with High Availability Cluster, Corporate Network for the ICAI, and an enterprise e-mail system have been put in place. The system has OCR/ ICR interface for mass data handling, smart card interface for capturing attendance of members for compulsory professional education programmes.

- Payment Gateway/Electronic Clearing System (ECS) systems have been implemented to enable members to pay fees online. PKI and Digital Signature initiative under a Sub-CA framework made a significant stride towards digitising ICAI operations. *ICAI is the 1st Institution to acquire a digital certificate issuing capability as a sub-certifying authority.*

- The selection of Technology is as per the Industry standards and world-class solutions have been implemented. The ICAI is introducing the concepts of advertising on its Website by way of sponsored banners and advertisement banners.

The ICAI is setting up Open Standard based Web Services development laboratories as reference sites for IT enabled web services for the financial and accounting community in the country. ICAI is coming out with its 1st Laboratory focussing on Sun Technology at Chennai. The members and students will have web-based training curriculum on major software technologies. ICAI is in the process of development of IBM, HP, and Microsoft focussed laboratories at various centres across the country. The proposed labs will be the incubation and testing/ development centers for the Accounting Profession future needs.

7.3 Audit Committee

The Audit Committee was constituted by the Council in the year 2001-2002 with its avowed objectives, among others, of overviewing the ICAI's reporting process and disclosure practices in respect of financial information to ensure the true and fair nature thereof, reviewing the annual financial statements before submission thereof to the Council focussing primarily on the adherence to the accounting policies, compliance with accounting standards and applicable legal requirements, and reconciliation, etc., weighing the adequacy of internal control systems and efficacy of the data security, integrity and financial & risk management policies.

The Committee continued to function within the framework of its terms of reference and placed greater emphasis on the compliance with the prudent and propriety-oriented governance procedures underlying the functioning of the ICAI and its arms and for the purpose, it facilitated the pre-audit and post-audit reasoned discussions of the ICAI auditors with the management. Measures were also implemented to ensure the prolific contribution of the audit committees functioning at regional level.

The Committee has, during the year, committed itself to function in pursuance of its Action Plan for the year 2004-2005 and conducted regional audit committee meetings at ICAI's various office locations to take a view of their activities and recommend system improvement measures to enhance operational efficiency thereof and act as an invariably independent mechanism to facilitate the recognition and addressal to the system control issues including those in relation to information, integrity and security.

7.4 Financial Reporting Review Board

7.4.1 This is the second year of the functioning of the Financial Reporting Review Board ("the Board"). The Council of the ICAI constituted the Board for reviewing the general-purpose financial statements of certain enterprises with a view to determine, to the extent possible:

- Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of financial statements;
- Compliance with the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
- Compliance with the reporting obligations of the enterprise as well as the auditor.

7.4.2 Like the first year, this year also was undoubtedly an extremely significant year for the Board. During the year, the Board sought the general-purpose financial statements of the top 500 companies in India (selected on the basis of annual turnover), including those in banking, insurance, and mutual funds business for the financial year ending March 31, 2003. Reviews of financial statements of certain companies out of the above-mentioned 500 companies have already begun.

7.4.3 The above-mentioned reviews have been conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained for the purpose. The review reports submitted by the Technical Reviewers have also been considered by the Financial Reporting Review Group constituted for the purpose. The results of these reviews, apart from strengthening the confidence of the users of financial statements, would also provide valuable inputs and experience to the Board in increasing its efficiency and effectiveness. The results of the reviews might also point out issues requiring a clarification or guidance from the ICAI.

7.4.4 The Board is also considering seeking nominations from certain regulators. It has felt that the presence of representatives of the regulators would be advantageous for the efficient and effective functioning and wider perspective of the Board. The envisaged composition would facilitate the Board to obtain information about the companies and take follow-up action against the erring ones.

7.4.5 The Board has also commenced certain *suo motu* reviews based upon irregularities in the general-purpose financial statements of certain enterprises.

7.5 Committee for Review of Education and Training (CRET)

7.5.1 The profession of chartered accountants has been one of the most successful and important professions all along. The chartered accountants continue to play a pivotal role in maintaining the country's economic order and stability. The education and training system of the ICAI has been central to its success in the past. It has safeguarded the value of the qualification by ensuring that only those who demonstrate high levels of ability and aptitude can become members. It is widely, and rightly, believed that becoming a chartered accountant is a challenging task evolving steadily over the years, the features of ICAI education, training, and examination process have served us well.

7.5.2 The respect that the title "Chartered Accountant" has consistently commanded over the last more than five decades is a major singular achievement which can be attributed to the responsiveness of the education and training system. The responsiveness of the ICAI is clearly reflected from the periodic review exercises undertaken by the Council.

7.5.3 A periodic review of the system of education and training of the ICAI in the context of the changing socio-economic environment is essential if accountancy profession has to remain in tandem with the expectations of the Society. Accordingly, the ICAI has been, as a matter of policy, conducting periodic review about the nature, content and efficacy of its system of education and training.

7.5.4 As a matter of policy to review periodically the system of Education and Training, the Council of the ICAI constituted the Committee for Review of Education and Training (CRET).

7.5.5 According to Introduction to International Education Standards, "the goal of accounting education and practical experience is to produce competent professional accountants capable of making a positive contribution over their lifetimes to the profession and society in which they work. In the face of the increasing changes that accountants meet, it is essential that accountants develop and maintain an attitude of learning to learn, to maintain professional competence." The CRET is conscious of this overall goal, namely, to produce competent professional accountants and accordingly, to work out an optimum combination of different parts of the education programme to achieve the desired goal. The objective behind this exercise, is to keep ICAI education relevant and updated so as to fulfil the expectation of the Society on a sustained basis and to safeguard the value of ICAI qualification.

7.5.6 The Committee adopted a multi-pronged strategy to assess the present system of education and training in terms of its strengths and weaknesses in an objective manner before formulating any new scheme of education and training. The components of methodology are as under:

- Commissioning separate study groups to prepare concept papers on significant aspects of the system and to consider the desirable changes in the curriculum in the following areas:
  - Entry requirements
  - Theoretical Education and Syllabus
  - Practical Training including industrial training
  - Examination System
  - Post-qualification Courses/ CPE requirements
- Designing and issue of questionnaires to five identifiable segments of the Society connected with the profession, viz., members, students, users of professional services, academicians and regulators.

- Analysis of responses to questionnaires in terms of statistical tabulations – question-wise as well as issue-wise.
- Dialogue with a select category of persons such as Regulators, Chambers of Commerce, etc.
- Study of international trends in accountancy education with particular reference to the pronouncements of the IFAC.

7.6 Committee on Internal Audit

7.6.1 Mission

The mission of the Committee on Internal Audit, constituted for the first time during the year, as defined in its Terms of Reference, is "to reinforce the primacy of the Institute of Chartered Accountants of India as a promoter, source and purveyor of knowledge relating to internal audit and other aspects related to it in the Society so as to enable its members to provide more effective and efficient value added services related to this field to the Industry and others and help the latter to systematise and strengthen their governance process by systematising and strengthening their control and risk management process."

7.6.2 Objectives

The objectives of the Committee have been defined in its terms of reference. The basic objective of the Committee is to review the existing internal audit practices in India and to develop Standards on Internal Audit (SIAs) so that these may be issued under the authority of the Council of the ICAI.

7.6.3 Finalisation of the Terms of Reference

During the year, the Committee finalised its Terms of Reference, containing the mission and objectives of the Committee and aimed at determining the scope of the work to be performed by the Committee as well as its duties and responsibilities.

7.6.4 Preface to the Standards and Guidance Notes on Internal Audit

During the year, the Committee considered the Proposed Preface to the Standards and Guidance Notes on Internal Audit. The proposed Preface is intended to serve as a foundation as well as a benchmark to important issues such as the scope and functions of the Committee on Internal Audit, definition of the term "internal audit", the procedure for formulation and issuance of the Standards and Guidance Notes on Internal Audit, applicability of the Standards and Guidance Notes on Internal Audit, implications of the non-adherence to these Standards and Guidance Notes, disclosures w.r.t. these Standards and Guidance Notes etc., effective date of the Standards etc. The Exposure Draft of the proposed Preface has been issued for comments from members and public.

7.6.5 Modular Training Programme on Internal Audit

The Committee is also in the process of organising a modular training programme on Internal Audit at Kodaikanal in Tamilnadu.

7.6.6 Knowledge Page

During the year, the Committee also hosted its Knowledge Page on the ICAI Website. The Knowledge Page currently contains such information as Terms of Reference, Frequently Asked Questions about the Committee, Exposure Draft of the proposed Preface etc. The Committee would widen the coverage of its Knowledge Page in the due course.

7.6.7 Frequently Asked Questions

The Committee has also identified certain Frequently Asked Questions (FAQs) about itself, which would be included in a Public Relations Department's booklet containing FAQs about certain Committees/Boards of the ICAI. These FAQs are also available on the Committee's Knowledge Page on the ICAI Website.

8. OTHER MATTERS

8.1 Annual Function of the ICAI

The 54th Annual Function of the ICAI was held on 4th February, 2004 at New Delhi. Shri N.R. Narayana Murthy, Chairman of the Board and Chief Mentor, Infosys Technologies Ltd. was the Chief Guest. Prizes and medals to the meritorious students in the examinations

conducted by the ICAI, shields and certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI, were awarded. The Function was attended by a very large number of invitees including senior Government Officers, members, students, officers and staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered Accountants.

8.2 Chartered Accountants' Day

In commemoration of the Chartered Accountants Day, a Function was organised on 1st July, 2004 at New Delhi. Hon'ble Shri H.R. Bhardwaj, Union Minister of Law & Justice was the Chief Guest. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister of State (Independent Charge), Ministry of Company Affairs and Hon'ble Shri K. Rehman Khan, then the Union Minister of State for Chemicals and Fertilisers graced the Function and delivered special addresses. Besides the above, the Branches at various places also organised the Function locally in a befitting manner.

8.3 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988

A. Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949

As reported in the last annual report, the Council of the ICAI finalised the recommendations of the Working Group on the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 and submitted the same to the Central Government on 3rd August, 2002 for its consideration. Meanwhile, the Central Government came out with The Chartered Accountants (Amendment) Bill, 2003 in December, 2003. The same was placed before the Rajya Sabha by the Central Government which has been subsequently referred to the Parliament Standing Committee on Finance. The ICAI's response to the said Bill had been submitted. The Council of the ICAI at its meeting held in June, 2004 has reconstituted the Working Group on Amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 and the Regulations framed thereunder to consider amendments that may be required in the Chartered Accountants Regulations, 1988 arising out of the final outcome of the Chartered Accountants (Amendment) Bill, 2003 or otherwise, and recommend the same, wherever considered appropriate.

B. Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

(i) Amendments approved by the Central Government

During the year, the Central Government accorded its final approval to amendments in Regulation 204 enabling the ICAI to introduce the following new post qualification course :

- Post-Qualification Course on International Trade Laws and WTO.

(ii) Amendments proposed

The Council of the ICAI has proposed the following amendments/approval of the Central Government to the Chartered Accountants Regulations, 1988 :

- Schedule 'G' relating to the Post Qualification Course in Insurance and Risk Management - application of gracing formula and moderation factor to bring the said provision at par with that of other post qualification courses (Para 6).

- Schedules 'C', 'D' and 'E' relating to Post Qualification Course in Management Accountancy, Post Qualification Course in Corporate Management, Post Qualification Course in Tax Management respectively – changes in requirements for passing the Management Accountancy Course/ Corporate Management Course/Tax Management Course (Para 5).

- Schedule 'H' relating to the Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation - certain amendments to remove the difficulties being faced in implementing the said course.

- Regulation 192 for the purpose of enabling members in practice to charge fee, based on percentage basis.

- Format of the Certificates to be issued to the successful candidates of the Professional Education (Examination I) and Professional Education (Examination II).

- Regulation 38A(5) - further extension of three years upto and inclusive of November 2006 examination in the new syllabus in the group to those candidates who had passed one of the groups as per para 3 of Schedule-BB to the Chartered Accountants Regulations, 1964 (two groups scheme applicable from 1st January, 1985) or para 3 of Schedule-B to the Chartered Accountants Regulations, 1988, who were granted exemption in the relevant group passed by them under Para 3A of Schedule-B to the Chartered Accountants Regulations, 1988.

- Chapter VIII relating to Meetings and Proceedings of the Council - conducting the meetings of the Council, Standing/Non-Standing Committees, Sub-Groups/Sub-Committees, Study Groups, etc. through Tele-conferencing/Video-conferencing

- Regulations 6 and 19 - increase in Entrance fee, Fellow admission fee, Certificate of Practice fee and Restoration fee.

8.4 Past Presidents' Meet

Pursuant to the introduction of the Chartered Accountants (Amendment) Bill, 2003 in the Rajya Sabha as also considering the significance of the proposals contained in the said Bill, it was felt most appropriate to have the benefit of the wisdom and vast experience of the Past Presidents of the ICAI in the matter. Accordingly, a meeting between the President, the Vice-President & Secretary and the Past Presidents of the ICAI was held on 12th January, 2004 at New Delhi.

At the said meeting, invaluable inputs were received on some of the specific issues/proposals contained in the Chartered Accountants (Amendment) Bill, 2003. It was also decided, *inter alia,* that an issue paper based on the deliberations taken at the meeting be prepared and circulate among the Past Presidents so as to enable them to take up the matter appropriately at their level.

8.5 Central Council Library

The Central Council Library provides Books, Journals, Newspapers and Reference facilities to Members, Students and Faculties of different Directorates of the ICAI, alongwith a list of Articles compiled from various Professional Journals and Newspapers, a list of which is published every month in the ICAI Journal under the title Reference - Accountant's Browser. Reference service is also provided to the Researchers and Scholars from different Universities and PE-I/PE-II Course Students as a special case. Noida office of the ICAI and Vishwas Nagar Student Library have also been provided with Library facilities by the Central Council Library. Nucleus Libraries have also been provided to different Directorates at H.Q. Networking through Delnet, a Network of Libraries in India & abroad is Operational and the Computerization of Library material including Books, Journals, Articles, Members record is available on Enquiry & Webmodule as – "Mail.icai.org". A strong base of more than 10,000 articles including articles from ICAI Journal "Chartered Accountant" are also available in Library Software.

Besides above, Library facilities are also provided at the Regional Centers and Branches throughout the Country. Efforts are on to link different Regional Libraries to Central Council Library Database. Library is also downloading/ acquiring the important Publications from IASB, IFAC, AICPA, ICAE&W & other International Professional Bodies for the reference of Members & Faculties at Central & Regional Libraries and others cocnerned.

8.6 Editorial Board

Moving ahead with its mission to keep the members updated on various aspects, areas and challenges of the profession in today's jet

age of globalisation, the Editorial Board has hit many landmarks this year through the journal `The Chartered Accountant'.

Aiming to develop the core competencies of the members and to arm them with the latest information, the journal has grown bigger and better – be it in terms of designing, presentation, quality content or special features.

Having maintained high professional standards with a number of new features, the journal was well received throughout the period of the report if the number of the letters of appreciation is any indication. With its monthly circulation figure touching 1,60,000 mark, the journal is now not only being read by professionals but by a cross section of the business community also.

During the period under Report, following were the key achievements of the Editorial Board:

- The July 2004 issue was brought out as a special issue on the theme `Budget 2004' which also included `Chartered Accountants Day' activities (1st July 2004). Eleven Budget- oriented articles authored by renowned experts and the speeches delivered by three Union Ministers present on the occasion of `CA Day'.

- The `Content Page' and the President's Page of the journal were re-designed while the presentation of articles was made more attractive with inclusion of pictures, graphics and boxes. The font size of the content was increased and it was decided to publish articles in a mix of 2 and 3 columns for better readability.

- Publication of the journal on various themes including:

    i. Annual Report (October 2003 Issue);
    ii. Pre-Budget Memorandum (February 2004 Issue);
    iii. Merger and Acquisitions (May 2004 Issue);
    iv. Insurance (June 2004 Issue);

- The `Letters to the Editor' column was introduced from August 2004 Issue.

- The despatch dates of the journal were advanced by 15 days so that the readers get it in the first week of every month and get to know the latest much earlier than before.

- The journal switched over to `perfect binding' thereby acquiring a better overall look. It has been proposed to go for a better quality paper and better printing to bring the journal at par with global standards.

- Corresponding to the increase in the number of pages and other features, the subscription rates were hiked.

- The complimentary list was revised upwards so as to ensure that the journal reaches all the prominent voices connected to accounting field.

In its quest to match the international standards, the Editorial Board sees the above achievements as just a beginning. Its agenda for future is full of a number of constructive plans.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2004, 7046 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 1,16,091 as on 1st April, 2004.

During the year ended 31st March, 2004, 3459 associates were admitted as fellows, compared to the figure of 2866 in the previous year

Total Members as on 1.4.2004

Category of Members	Fellow	Associate	Total of Columns
In Full Time Practice	43589	21981	65570
In Part-time Practice	3624	8885	12509
Not in Practice	5494	32518	38012

9.2 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants' Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The number of life members of the fund increased from 47752 as on 31st March, 2003 to 54904 as on 31st March, 2004. The financial particulars of the Fund are as follows :

	During the year ended 31.3.2003	During the year ended 31.3.2004
1. Total Assistance provided	34,50,500	39,41,223
2. Administrative Expenses	1,45,898	4,77,879
3. Surplus of the Fund	1,23,42,341	13,91,599
4. Balance of the Fund	1,45,75,676	1,59,67,275
5. Balance of Corpus	3,42,50,000	4,10,49,000

10. STUDENTS

10.1 Students Statistics

The total number of students enrolled for the PE-I, PE-II and Final Course during 1st April, 2003 and 31st March, 2004 are as under :

Course	2002-03	2003-2004
PE-I	35524	38188
PE-II	24786	30395
PE-II with articles	8497	3837
FINAL	11102	11390

The total number of students on the rolls of the Board of Studies as on 31st March, 2004 (excluding those students who were registered for PE-I Course) was 3,07,462 as against 2,80,399 as on 31st March, 2003.

10.2 Accreditation Scheme

During the year ended 31st March, 2004 accreditation was granted to 75 Institutions (including 1 Regional Council and 2 branches) for organising the classes for students of PE (Course-I) and 31 institutions (including 1 Regional Council and 1 Branch for PE (Course-II)). During the year, the scheme of accreditation was also extended to Final Course and 7 institutions (including 1 branch) have been accredited for Final Course. As of now, the total number of accredited Institutions for PE (Course-I) is 165 and for PE (Course-II) is 89. 39 Institutions organised classes for the benefit of students of PE (Course-I) for November 2003 Examinations and 74 Institutions organised the same for May, 2004 Examinations. 19 Institutions organised classes for the PE (Course- II) students for November, 2003 examinations and 32 Institutions for May, 2004 Examinations.

10.3 Release of Hindi Medium Study Material for the Final Course

The Hindi version study materials for all the subjects of Final Course have been released during the year.

10.4 Review of Study Material

As a part of continuous process of review, the study materials are reviewed by various subject experts and their comments and suggestions whenever considered appropriate are incorporated in the next print of the study module after due editing and verification.

10.5 Students' Services

Following publications were brought out for the benefit of students:

10.5.1 The Revision Test Papers and Suggested Answers Volumes for each term of examination of PE (Course - I), PE (Course – II) and Final Course.

10.5.2 A supplementary reading material on Corporate Laws and Secretarial Practice for the Final Course.

10.5.3 A revised book in the form of Prospectus incorporating practical training and theoretical education requirements for the Final Course as well as post qualification courses.

10.6 Eligibility Test Scheme for students of the Final Course

The Postal/Sunday Test Papers Scheme for Final Students were implemented during the year.

Under the requirements of Theoretical Education Scheme, Postal/Sunday Test Papers Scheme was made applicable to those students who will be registering as articled clerks after passing PE (Examination II) and not to other existing students who are registered as articled clerks. Other students of Final Course may, however, at their option take advantage of the requirements of the scheme.

10.7 Computer Training Course of 250 hours

The number of students registered for computer training course of 250 hours in different regions during 1st April, 2003 - 31st March, 2004 are as follows:

Western Region	3493
Southern Region	2865
Eastern Region	1192
Central Region	1748
Northern Region	2138

In the first instance, the four major top class service providers having their centres all over India were granted accreditation. To make the training available to the students in the vicinity of their residence, the Board of Studies widened the scope of accreditation and 43 more institutions operating at regional/state/city level were granted accreditation for conducting the course.

10.8 Course On General Management and Communication Skills

The 15 days Course on General Management and Communication Skills that the students are required to undergo on completion of their practical training before applying for ICAI Membership was organized by Regional Councils and their Branches. During the year, 155 batches of the Course were conducted at 39 Centres across the country for the benefit of 3800 participants.

10.9 Seminars and Conferences

During the year, the Board continued its policy of promoting organisation of One Day Seminars, Elocution/Quiz Contests and Regional/State Level Conferences. Elocution/Quiz Contests were held at branch/Regional levels and Final Contest was held at Kolkata in January, 2004.

During the year, Sub-Regional Conferences were held at Goa Branch from 26th to 28th June, 2003, Rajkot Branch from 20th & 21st December, 2003 and State level Conference was held at Ernakulam Branch from 5th and 6th July, 2003, Coimbatore Branch from 10th & 11th January, 2004.

10.10 Scholarships

During the year ended 31st March, 2004, Scholarships were granted to 127 students out of the ICAI funds [14 Merit-cum-Need based scholarships, 42 Merit Scholarships, 71 Need-based scholarships]. Further, scholarships were awarded to 40 students out of the income from various endowments set up for the purpose.

10.11 Students' Newsletter

The monthly C.A. students' Newsletter – 'The Chartered Accountant Student' containing useful articles, academic updates, write-ups and other relevant announcements continued to be popular and proved useful to the students. The publication proved to be popular among the members too.

The first prize (Rs.2000/-) for the best article was awarded to Shri Nitin Agarwal for his article on Office Management under Peer Review published in December, 2002 issue of volume 6.

The second prize (Rs.1000/-) was awarded to Shri Ranjit Mani for his article Value Added Tax published in Ernakulam Newsletter Volume.

10.12 Development of E-Learning Module

The area of education and training is undergoing a sea change due to the many new forms of technology that are becoming available. Web-based learning, CD-ROM training and interactive computer simulations are transforming the future of education. E-education in its various forms is becoming an integral part of the educational system internationally. During the year, steps have been taken to be in tandem with the international developments. At the preliminary level, the ICAI is interacting with the students through a specifically created e-mail id guidance@icai.org. This is monitored by a consultative group of faculty and provides on-line help to students. Students who do not have the facility to get the guidance for solving their academic problems arising in the course of their preparation have been taking advantage of the scheme. Also, an interactive CD on "Project Planning and Capital Budgeting" has been brought-out. Subsequently, 4 more CDs on Accounting Standards 1-3, Foreign Exchange Management Act, 1999, Income from House Property and International Financial Management were also released for the benefit of PE-II and /or Final Course students.

During the year, the Board of Studies continued to focus itself in imparting education to its students mainly through distant education mode.

10.13 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of a spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the ICAI has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 34 branches of Students' Association have already been set up.

10.14 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2004, 60 scholarships of the value of Rs. 200 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course. The membership of the Fund was 346 as on 31st March, 2004 as against 340 as on 31st March, 2003. The balance in the credit of the Fund was Rs. 6,86,834/- as on 31st March, 2004 as against Rs. 4,69,857/- as on 31st March, 2003.

10.15 Recognition of CA Course for Ph. D. Programme

With constant follow-up with various Universities, the Committee on Commerce Education & Career Counselling has been successful in obtaining recognition for CA Course from 76 Universities besides the 4 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of PHD/Fellow Programme.

11. Regional Councils and their Branches

11.1 The ICAI has five Regional Councils, namely, Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

11.1.1 The total number of branches of Regional Councils is 100.

11.1.2 Currently, there are 13 Chapters outside India.

11.1.3 Currently, there are 23 Reference libraries all over India.

11.2 Branch Building

During the year, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 47 branches have their own premises.

11.3 Rotating Shield

Since 1986-87, the ICAI awards each year Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded to the Best Branch each year. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best Chartered Accountants Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional basis have been instituted from the year 1999. For the year 2003, these shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2004 to the following winners:-

- Best Regional Council - Northern India Regional Council
- Best Branch of Regional Council - Baroda Branch of Western India Regional Council
- Best Students' Association - Southern India Chartered Accountants Students' Association
- Best Branch of Students' Association

Western Region - Rajkot Branch of WICASA

Southern Region - Ernakulam Branch of SICASA

Considering their good performance, the following branches were separately awarded certificates for highly commended performance:-.

i. **Nagpur Branch of Western India Regional Council**
ii. **Ernakulam Branch of Southern India Regional Council**
iii. **Jaipur Branch of Central India Regional Council**

11.4 New Decentralised Offices

Considering the increasing volume of work/activities at the regional level and recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the ICAI has already set up five more decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad and Pune in Western Region and Jaipur in Central Region, besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi and new initiatives have been recently taken by the Council to make them more effective and useful.

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2004 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13. APPRECIATION

13.1 The Council is grateful to all members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees and to the non-members who assisted the Council during the year 2003-2004 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

13.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2003-2004.

13.3 The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to the dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced the programmes organised by the organs of the ICAI.

13.4 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

13.5 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2003 - 2004 by all officers and staff of the Institute.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS (FROM 1.4.1997)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1.4.1997	Associate	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	Fellow	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	Total	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	Associate	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	Fellow	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	Total	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	Associate	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	Fellow	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	Total	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091

MEMBERS (FROM 1.4.1950)

TABLE II

	As on 1.4.1950	As on 1.4.1951	As on 1.4.1961	As on 1.4.1971	As on 1.4.1981	As on 1.4.1991	As on 1.4.2001
Fellows	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789
Associates	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
Total	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96,392

	As on 1.4.2002	As on 1.4.2003	As on 1.4.2004
Fellows	47064	49637	52707
Associates	54666	60619	63384
Total	101730	110256	116091

STUDENTS GROWTH PROFILE (FROM 31.3.1996)

	As on 31.3.96	As on 31.3.97	As on 31.3.98	As on 31.3.99	As on 31.3.2000	As on 31.3.2001	As on 31.3.2002
Foundation/ PE (Course I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	34,215*
Intermediate /PE (Course II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	29,403**
Final	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524
Total	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

	As on 31.3.2003	As on 31.3.2004
Foundation/ PE (Course I)	35524	38188
Intermediate /PE (Course II)	33283	34232
Final	11102	11390
Total	79909	83810

* includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006
** includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848

COMPOSITION OF NINETEENTH COUNCIL (2004 – 2005)

PRESIDENT	VICE-PRESIDENT	PERIOD
Shri Sunil Goyal, FCA	Shri Kamlesh S. Vikamsey, FCA	5th February, 2004 onwards

SECRETARY

Dr. Ashok Haldia

MEMBERS OF THE NINETEENTH COUNCIL (2004 – 2005)

ELECTED MEMBERS:

Shri Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
Shri Amarjit Chopra	New Delhi
Shri Anuj Goyal	Ghaziabad
Shri Charanjot Singh Nanda	New Delhi
Shri G. Ramaswamy	Coimbatore
Shri H.N. Motiwalla	Mumbai
Shri Harinderjit Singh	New Delhi
Shri J.P. Gokhale	Mumbai
Shri Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
Shri K.P. Khandelwal	Kolkata
Shri Kamlesh S. Vikamsey	Mumbai
Shri Manoj Fadnis	Indore
Shri Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
Shri R. S. Adukia	Mumbai
Shri S. Gopalakrishnan	Hyderabad
Shri S. Santhanakrishnan	Chennai
Shri S.C. Vasudeva	New Delhi
Shri Shanti Lal Daga	Hyderabad
Shri Sunil Goyal	Jaipur
Shri Sunil Talati	Ahmedabad
Shri T. N. Manoharan	Chennai
Shri Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
Shri V. Murali	Chennai
Shri Ved Jain	New Delhi

NOMINATED MEMBERS:

Shri Jitesh Khosla	New Delhi
Shri K.C. Parashar	Jodhpur
Shri Pawan Kumar Sharma	Guwahati
Shri Rakesh Singh (upto 25.08.04)	New Delhi
Shri Akhilesh Ranjan (w.e.f. 26.08.04)	New Delhi
Shri S. Sathyamoorthy	New Delhi
Shri Sidharth Kumar Birla	New Delhi

AUDITORS

Shri Rajiv Kumar Rastogi, FCA	New Delhi
Shri Shashi Kumar, FCA	New Delhi

COMPOSITION OF EIGHTEENTH COUNCIL (2003 – 2004)

PRESIDENT	VICE-PRESIDENT	PERIOD
Shri R. Bupathy, FCA	Shri Sunil Goyal, FCA	Up to 4th February, 2004

SECRETARY

Dr. Ashok Haldia

MEMBERS OF THE EIGHTEENTH COUNCIL (2003 – 2004)

ELECTED MEMBERS:

Shri Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
Shri Amarjit Chopra	New Delhi
Shri Ashok Chandak	Nagpur
Smt. Bhavna G. Doshi	Mumbai
Shri Gopal Prasad Dokania	Kolkata
Shri J. P. Gokhale	Mumbai
Shri Kamlesh S. Vikamsey	Mumbai
Shri Manoj Fadnis	Indore
Shri N. Nityananda	Bangalore
Shri N.D. Gupta	New Delhi
Shri N.V. Iyer	Mumbai
Shri Niranjan Saha	Kolkata
Shri P.P. Pareek	Jaipur
Shri Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
Shri R. Bupathy	Chennai
Shri R.S. Adukia	Mumbai
Shri S. Gopalakrishnan	Hyderabad
Shri S. Santhanakrishnan	Chennai
Shri Sunil Talati	Ahmedabad
Shri Shanti Lal Daga	Hyderabad
Shri Sunil Goyal	Jaipur
Dr. Sunil Gulati	New Delhi
Shri T.N. Manoharan	Chennai
Shri Vinod Jain	New Delhi

NOMINATED MEMBERS:

Shri G.C. Srivastava	New Delhi
Shri Rajiv Mehrishi	New Delhi
Shri K.B. Sharma	Jammu
Shri R.C. Chandiwala	New Delhi
Shri Sunil Bhargava	Jaipur
Smt. Sudha Rajagopalan (w.e.f. 29.09.03)	New Delhi
Shri S. Sathyamoorthy (w.e.f. 07.01.04)	New Delhi

AUDITORS

Shri A.C. Bubber, FCA	New Delhi
Shri Rajiv Kumar Rastogi, FCA	New Delhi

AUDITOR'S REPORT

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2004 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on the date incorporating the accounts of the Institute's offices, Regional Councils and their branches audited by other auditors. These financial statements are the responsibility of the management of the Institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We further report that :-

   a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit;

   b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;

   c) In our opinion the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;

   d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts, give a true and fair view:

      i) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at 31st March, 2004 and

      ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date:

      iii) in the case of the cash flow statement, of the cash flows for the year ended on that date.

KUMAR MANDAL & COMPANY NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

RAJIV KUMAR RA[illegible]
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 83869

SHASHI KUMAR
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 86492

Place : New Delhi
Date : 2nd September, 2004

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2004

Rs. in lacs

	Schedule		Amount 31-03-2004		Amount 31-03-2003
SOURCES OF FUNDS:					
Capital Reserves	I		**3800.12**		3031.50
General Reserve	II		**2354.40**		1609.96
Other Reserves	III		**87.68**		77.14
Earmarked Funds	IV		**5090.84**		4543.05
TOTAL			**11333.04**		9261.65
APPLICATION OF FUNDS:					
Fixed Assets:	V				
Gross Block		**5051.98**		3934.25	
Less: Depreciation and Amortisation		**(1866.69)**		(1565.51)	
Net Block			**3185.29**		2368.74
Investments:	VI				
Earmarked Fund Investments		**5090.84**		4543.05	
Other Investments		**3644.40**	**8735.24**	3399.28	7942.33
Current Assets, Loans & Advances :					
Interest Accrued on Investments		**797.91**		998.77	
Inventories	VII	**270.87**		218.76	
Accounts Receivables	VIII	**185.96**		133.29	
Cash & Bank Balances		**605.22**		142.70	
Loans & Advances	IX	**592.71**		559.03	
Sub - Total		**2452.67**		2052.55	
Less: Current Liabilities & Provisions					
Fees/Income Received in Advance	X	**2034.61**		2029.52	
Creditors for Expenses		**539.99**		574.06	
Provision for Gratuity		**158.99**		179.68	
Other Liabilities		**306.57**		320.36	
Sub - Total		**3040.16**		3103.62	
Net Current Assets			**(587.49)**		(1051.07)
Miscellaneous expenditure--Software Development (To the extent not written off or adjusted)	XI				1.65
TOTAL			**11333.04**		9261.65

Statement of significant accounting policies XV

Notes forming part of Accounts. XVI

Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.

DEEPAK DIKSHIT	G.D KHURANA	ASHOK HALDIA	KAMLESH S.VIKAMSEY	SUNIL GOYAL
JOINT SECRETARY	DIRECTOR	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

RAJIV KUMAR RASTOGI
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 83869

SHASHI KUMAR
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 56492

Place : New Delhi
Date: 2nd Sep 2004

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2004

Rs.in lacs

	Schedule		Amount 2003-2004		Amount 2002-2003
INCOME					
Fees	XII		6355.99		5466.83
Publications			444.60		533.56
Seminars			813.18		513.05
Interest on Investments			420.15		414.97
Other Income	XIII		365.51		381.44
Prior Period Income			16.00		2.87
TOTAL			8415.43		7312.72
EXPENDITURE					
Salaries & Allowances			1800.26		1636.41
Printing & Stationery			1036.12		1010.05
Seminar Expenses			709.59		575.70
Postage, Telegrams & Telephones			408.23		394.70
Rent, Rates & Taxes			250.15		212.82
Travelling & Conveyance-Inland			475.66		494.13
Overseas Relations:					
-Travelling		57.76		75.38	
-Membership Fee of Foreign Professional Bodies		54.08		52.32	
-Other Expenses		8.21	120.05	5.51	133.21
Repairs & Maintenance			206.65		280.42
Publications			129.88		126.11
Other Operating Expenses	XIV		1354.64		1152.06
Election Expenses			118.64		-
Contribution to National Foundation for Corporate Governance			100.00		-
Loss on sale of Investments in Units of Unit Trust of India			25.35		74.08
Depreciation and Amortisation			301.66		263.93
Prior Period Expenses			33.71		23.10
TOTAL			7070.59		6376.72
NET SURPLUS			1344.84		936.00
Appropriation to Funds / Reserves :					
Education Fund [Policy No. III (b)]			527.71		583.22
Employees Benevolent Fund [Policy No.III (c)]			9.65		9.21
General Reserve			807.48		343.57
TOTAL			1344.84		936.00

Statement of significant accounting policies XV

Notes forming part of Accounts. XVI

Schedules referred to above form an Integral Part of the Income and Expenditure Account

DEEPAK DIKSHIT, JOINT.SECRETARY — G.D.KHURANA, DIRECTOR — ASHOK HALDIA, SECRETARY — KAMLESH S.VIKAMSEY, VICE-PRESIDENT — SUNIL GOYAL, PRESIDENT

As per our Report of even date attached

RAJIV KUMAR RASTOGI
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 83869

SHASHI KUMAR
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 86492

Place: New Delhi
Date : 2nd Sep 2004

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE I
CAPITAL RESERVES

Rs. in lacs

	Amount 31.03.2004		Amount 31.03.2003	
(A) General:				
Opening balance		1097.50		1009.69
Add:				
-Membership Fees [Policy No III (a)]	20.67		23.73	
-Donations for Buildings	28.58		119.93	
Transferred from:				
- General Reserves	7.91		6.82	
- Earmarked Funds - Others	3.21	60.37	2.70	153.18
Less:				
- Adjustments towards EIRC/Chandigarh land		(51.77)		(65.37)
TOTAL (A)		1106.10		1097.50
B) Education:				
Opening balance		1934.00		1689.22
Add: Transfer from Computerisation Fund [Policy No. III (d) (i)]		401.83		
Add: Transfer from Education Fund [Policy No. III (d) (iii)]		358.19		244.78
TOTAL (B)		2694.02		1934.00
GRAND TOTAL (A) + (B)		3800.12		3031.50

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE II
GENERAL RESERVES

Rs.in lacs

	Amount 31.03.2004		Amount 31.03.2003	
Opening balance		1609.96		1294.09
Add:				
Appropriation from Income and Expenditure Account	807.48		343.57	
Transfer from:				
-Other Reserves	-	807.48	5.61	349.18
Less transfer to:				
- Earmarked Funds -Research	1.97		0.83	
- Earmarked Funds -Medals	3.09			
-Earmarked Fund - Others	44.25		25.66	
-Other Reserves	5.82		-	
-Capital Reserves -General	7.91	(63.04)	6.82	(33.31)
TOTAL		2354.40		1609.96

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE III

OTHER RESERVES*

Rs in lacs

	Amount	31.03.2004	Amount	31.03.2003
Opening balance		77.14		82.83
Add transfer from:				
- General Reserves	5.82		-	
Net Addition during the year		5.82	-	
Less transfer to:				
- General Reserves	-		5.61	
- Earmarked Funds -Others	0.05	(0.05)	-	
Net Addition/Depletion during the year		4.77	0.08	(5.69)
TOTAL		87.68		77.14

* Other Reserves are reserves such as Library Reserves and Coaching Classes Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches

SCHEDULE IV

EARMARKED FUNDS

Rs. in lacs

	Amount	31.03.2004	Amount	31.03.2003
RESEARCH FUNDS				
Opening Balance		398.71		361.07
Transfer from General Reserve	1.97		0.83	
Contribution received during the year	20.70		6.86	
Income during the year	31.97	54.64	29.95	37.64
Less:Payments during the year		(0.20)		
SUB-TOTAL (A)		453.15		398.71

ACCOUNTING RESEARCH FOUNDATION AND BUILDING FUND			
Opening Balance	238.57		220.33
Income during the year	19.20		18.24
SUB-TOTAL (B)	257.77		238.57

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

COMPUTERISATION FUND					
Opening Balance			371.89		343.45
Appropriation from Income & Expenditure Account		-			
Income during the year		29.94	29.94	28.44	28.44
Less: Transfer to Capital Reserves - Education	[Policy No.III(d)(i)]		(401.83)		
	SUB-TOTAL (C)		-		371.89
EDUCATION FUND					
Opening Balance			2308.50		1819.42
Appropriation from Income & Expenditure Account	[Policy No. III(b)]	527.71		583.22	
Income during the year		185.83	713.54	150.64	733.86
Less: Transfer to Capital Reserves - Education	[Policy No.III(d)(iii)]		(358.19)		(244.78)
	SUB-TOTAL (D)		2663.85		2308.50
MEDALS AND PRIZES FUNDS					
Opening Balance			57.48		54.86
Contribution received during the year		17.59		0.95	
Income during the year		4.55		4.62	
Transfer from General Reserve		3.09	25.23	-	5.57
Less:Payments during the year		3.50		2.56	
Adjustements		0.03	(3.53)	0.39	(2.95)
	SUB-TOTAL (E)		79.18		57.48

contd...

SCHEDULE IV

EARMARKED FUNDS (Contd)

Rs. in lacs

		Amount 31.03.2004*		Amount 31.03.2003
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS				
Opening Balance		25.34		24.54
Contribution received during the year	0.91			
Income during the year	2.07	2.98	2.03	2.03
Less:Payments during the year		(1.35)		(1.23)
	SUB-TOTAL (F)	26.97		25.34

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

PENSION FUND				
Opening Balance		**613.85**		455.45
Additions during the year	**301.22**		161.59	
Income during the year	**49.41**	**350.63**	37.71	199.30
Less:Payments during the year		**(44.45)**		(40.90)
SUB-TOTAL (G)		**920.03**		613.85
LEAVE ENCASHMENT FUND				
Opening Balance		**278.12**		221.52
Additions during the year	**89.62**		72.49	
Income during the year	**22.39**	**112.01**	18.34	90.83
Less:Payments during the year		**(33.82)**		(34.23)
SUB-TOTAL (H)		**356.31**		278.12
EMPLOYEES BENEVOLENT FUND				
Opening Balance		**46.86**		36.02
Appropriation from Income & Expenditure Account [Policy No.III (c)]	**9.65**		9.21	
Income during the year	**3.77**	**13.42**	2.98	12.19
Less:Payments during the year		**(0.69)**		(1.35)
SUB-TOTAL (I)		**59.59**		46.86
OTHER FUNDS (Regional Councils & Branches)				
Opening Balance		**203.73**		162.13
Add/Less: Adjustements	**(0.22)**		(0.31)	
Contribution received during the year	**22.31**		9.61	
Income during the year	**11.32**		11.96	
Transfer from Other Reserves	**0.05**		-	
Transfer from General Reserve	**44.25**		25.66	
		77.71		46.92
Less:Transfer to Capital Reserves- General	**(3.21)**		(2.70)	
Payments during the year	**(4.24)**	**(7.45)**	(2.62)	(5.32)
SUB-TOTAL (J)		**273.99**		203.73
GRAND TOTAL		**5090.84**		**4543.05**

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "V"
FIXED ASSETS

Rs in lacs

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION AND AMORTISATION BLOCK				NET BLOCK	
	Cost as at 1.4.2003	Addition during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2004	Upto 1.4.2003	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2004	W.D.V as on 31.3.2004	W.D.V as on 31.3.2003
A.Tangible Assets:										
1. Land - Free Hold	141.53	73.17	-	**214.70**	0.00		-	**0.00**	**214.70**	141.53
2. Land -Lease Hold (Note No. 2.3)	9.69		-	**9.69**	2.34	0.22	-	**2.56**	**7.13**	7.35
3. Land (A.R.F) - Lease Hold	289.45		-	**289.45**	18.71	3.22	-	**21.93**	**267.52**	270.74
4. Buildings	917.74	109.46	-	**1027.20**	322.48	35.24	-	**357.72**	**669.48**	595.26
5. Electric Installations & Fittings	160.75	37.86	0.04	**198.65**	74.93	10.92		**85.85**	**112.80**	85.82
6. Air Conditioning	136.14	66.63	(0.01)	**202.76**	67.50	14.03	(0.01)	**81.52**	**121.24**	68.64
7. Furniture & Fixtures	383.13	119.17	(0.28)	**502.02**	174.47	27.60	(0.28)	**201.79**	**300.23**	208.66
8. Lifts	59.68	20.95		**80.63**	16.99	5.32		**22.31**	**58.32**	42.69
9.Office Equipments	290.46	23.75	(2.04)	**312.17**	147.17	23.00	(0.46)	**169.71**	**142.46**	143.29
10.Vehicles	25.53	5.80	(0.03)	**31.30**	9.27	4.12	(0.02)	**13.37**	**17.93**	16.26
11.Library Books	247.60	31.34		**278.94**	247.60	31.34		**278.94**	**0.00**	0.00
12.Computers	545.39	419.36	0.27	**965.02**	484.05	104.98	0.29	**589.32**	**375.70**	61.34
SUB-TOTAL	3207.09	907.49	(2.05)	**4112.53**	1565.51	259.99	(0.48)	**1825.02**	**2287.51**	1641.58
B.Intangible Asset: Software		125.01	-	**125.01**		41.67	-	**41.67**	**83.34**	0.00
C.Capital Work in progress:										
A. Building Project	706.21	176.31	(144.38)	**738.14**	0.00	-	-	**0.00**	**738.14**	706.21
B. Advance against Capital Commitments (Virtual Institute Project)	20.95		55.35	**76.30**		-	-	**0.00**	**76.30**	20.95
TOTAL	3934.25	1208.81	(91.08)	**5051.98**	1565.51	301.66	(0.48)	**1866.69**	**3185.29**	2368.74
Previous Year	3424.35	592.40	(82.50)	3934.25	1302.19	263.93	(0.61)	1565.51	2368.74	2122.16

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "VI"
INVESTMENTS

		Amount 31-03-2004		Rs in lacs Amount 31-03-2003
A.LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)				
(I) Units with Unit Trust of India:				
(i) Unit Scheme for Charitable & Religious Trust Registered Societies (CRTS - 81)			114.36	
Less: Decline in Value of Investments			28.96	85.40
(ii) Units 2002/1964 Scheme	0.61		15.29	
Less: Decline in Value of Investments		0.61	2.80	12.49
(iii) Institutional Investors Special Fund Unit Scheme(IISFUS- 98)				442.09
		0.61		539.98
(II) Government of India-8% (taxable)Bonds-2003		1100.00		
(III) Fixed Deposits with scheduled Banks		5112.04		6451.76
B.CURRENT INVESTMENTS				
Fixed Deposits with scheduled Banks		2522.59		950.59
Total Investments		8735.24		7942.33
ALLOCATED TO:-				
Earmarked Fund Investments		5090.84		4543.05
Other Investments		3644.40		3399.28
Total		8735.24		7942.33

SCHEDULE VII:

INVENTORIES

	Amount 31.03.2004	Rs.in lacs Amount 31.03.2003
Publications and Study Materials	**166.39**	140.25
Paper for Study Materials & Publications (Including Stock of Paper with Printers - Rs.78.94 lacs Previous year Rs.54.71 lacs)	**83.88**	59.22
Stationery & Other Items	**20.60**	19.29
Total	**270.87**	**218.76**

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VIII:

ACCOUNTS RECEIVABLE

		Amount 31.03.2004		Rs.in lacs Amount 31.03.2003
Other Receivables	**193.56**		140.89	
Less: Provision for doubtful receivables	**(7.60)**	**185.96**	(7.60)	133.29
	Total	**185.96**		133.29

SCHEDULE IX:
LOANS & ADVANCES (Considered Good)

	Amount 31.03.2004	Rs.in lacs Amount 31.03.2003
Advances to Staff (Housing, Vehicle & Other loans)	**230.23**	190.59
Interest Recoverable from Staff Loans	**77.39**	68.36
Security Deposits	**18.95**	14.67
Other - Advances & Pre-payments	**266.14**	285.41
Total	**592.71**	559.03

SCHEDULE X:
FEES/INCOME RECEIVED IN ADVANCE

	Amount 31.03.2004	Rs.in lacs Amount 31.03.2003
Examination Fees	**843.38**	742.80
Journal Subscription	**0.53**	11.25
Membership Fee	**269.50**	252.01
Students' Fee	**89.29**	41.96
Tuition Fee	**590.62**	811.23
Information System Audit Course Fee	**125.49**	132.02

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Insurance and Risk Management Course	**58.44**	-
Seminar Fees & Other Collections	**57.36**	38.25
Total	**2034.61**	2029.52

SCHEDULE XI:
MISCELLANEOUS EXPENDITURE -- SOFTWARE DEVELOPMENT
(To the extent not written off or adjusted)

	Amount 31.03.2004	Rs.in lacs Amount 31.03.2003
Opening balance	**1.65**	9.97
Addition during the year	-	1.26
Less:Charged to Income & Expenditure during the year	**(1.65)**	(9.58)
TOTAL	**-**	1.65

SCHEDULE XII

FEES :

	Amount 2003-2004	Rs.in lacs Amount 2002-2003
Distant Education Fee	**2110.83**	1815.25
Examination Fee	**1672.52**	1685.54
Membership Fee	**1310.79**	1265.01
Information System Audit Course Fee	**647.77**	479.31
General Management Skill Course Fee	**335.16**	0.41
Coaching Class Income (Regional Councils & Branches)	**192.08**	178.51
Insurance and Risk Management Course	**58.89**	

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Students' Registration Fee	**10.97**	19.44
CAAT Course Fee	**8.26**	11.11
Entrance Fee	**6.89**	9.01
Students' Association Fee	**1.83**	3.24
TOTAL	**6355.99**	**5466.83**

SCHEDULE XIII

OTHER INCOME

Rs.in lacs

	Amount 2003-2004	Amount 2002-2003
Students' Newsletter	**8.83**	7.21
Income From Journal -- Advertisement	**0.24**	0.61
Income from Journal -- Subscription	**75.57**	86.86
News Letters (Regional Councils & Branches)	**23.31**	28.76
Computer Centres	**36.61**	32.56
Fees for filing Disciplinary Cases	**0.35**	0.26
Campus Interview	**51.70**	36.04
Expert Advisory Committee Fee	**5.45**	7.55
Interest on Staff Loans	**15.21**	15.54
Provisions no longer required written back	**35.88**	86.79
Others	**112.36**	79.26
Total	**365.51**	381.44

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIV

OTHER OPERATING EXPENSES

Rs.in lacs

	Amount 2003-2004	Amount 2002-2003
Fees & Expenses to Examiners,Consultants and Others	**743.76**	797.27
General Management Skill Course	**217.73**	0.22
Coaching Class Expenses (Regional Councils & Branches)	**110.46**	96.63
Advertisements	**63.42**	44.88
Office Meeting Expenses	**38.08**	32.08
Computer Centres	**15.64**	14.14
Merit Scholarship	**2.20**	2.93
Audit Fee		
- Head Office	**2.43**	1.73
- Other Offices	**5.19**	4.65
Deferred Revenue Expenditure	**1.65**	9.58
Provision for decline in value of Publication Stock	-	20.92
Other Expenses	**154.08**	127.03
Total	**1354.64**	1152.06

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XV

STATEMENT ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

I ACCOUNTING CONVENTION

The accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards.

II REVENUE RECOGNITION

a) Tuition Fee, Course Fee, Examination Fee and Subscription for Journal is recognised in the first year to the extent it represents income of the year on the basis of matching concept, the balance receipt is carried to succeeding year/years and recoginsed in the relevant year based on the matching concept.

b) Income from Investments

i) Dividend on investments in units is recognised as income on the basis of entitlement to receive.

ii) Income on Interest bearing securities and fixed deposits with banks is accounted for on accrual basis.

iii) Income from investments is allocated to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of weighted average method.

III ALLOCATIONS/TRANSFER TO CAPITAL RESERVE AND EARMARKED FUND

a. Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from Associate Members are directly taken to Capital Reserve - General.

b. 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.

c. 0.75% of Membership Fee (Associate and Fellow and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Funds

d. Transfer to Capital Reserve - Education from the following earmarked funds:-

i)	From Computerization Fund	100% of the cost of purchase of computers and related accessories in relation to Decentralised Offices and Head Office Computerization Project.
ii)	From Accounting Research	100% of the cost of Fixed Assets Foundation & other Building relating to Accounting Research Fund Foundation.
iii)	From Education Fund	50% of the cost of additions (net of deductions) to other Fixed Assets.

IV FIXED ASSETS/DEPRECIATION

a. Fixed Assets excluding leasehold land are stated at historical cost less depreciation

b. Leasehold land is stated at the amount of premium paid for acquiring the lease rights. The premium so paid is amortized over the period of the lease.

c. Depreciation on additions is provided on monthly pro-rata basis.

d. Depreciation is provided on the Written Down Value Method at the rates approved by the Executive Committee/ Council of the Institute.

e. Intangible Assets (Software) is amortized equally over three years.

V INVESTMENTS

a. Investments held or intended to be held for a period of more than one year are considered long term investments and are carried at cost. Diminution in value other than temporary is provided for.

b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.

VI INVENTORIES

Inventories of paper, Stationery, Publications and Study Material are valued at lower of cost or net realisable value. The cost is determined on FIFO Method.

VII TERMINAL/RETIREMENT BENEFITS

a) Year's liability towards gratuity is based on actuarial valuation and the contribution made to LIC on this account is charged to Income and Expenditure Account.

b) Year's liability towards pension and leave encashment is based on the report of registered actuary and the amount so determined is charged to income and expenditure account and separate earmarked funds are maintained for the same.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XVI
NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1) *CONTINGENT LIABILITIES*

1.1) Rs.19.50 Lacs towards disputed amount for Property/Building Tax in respect of two branches. (previous year Rs.22.98 Lacs).

1.2) Rs.17.75 Lacs in respect of claims (Previous year Rs.9.02 Lacs) from various parties not acknowledged by the Institute.

2) *NOTES*

2.1 Estimated amount of capital commitment (net of advances) - Rs.227.80 lacs (Previous year Rs. 274.13 Lacs).

2.2 Exemption in respect of Income Tax is granted under Section 10 (23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 upto the Assessment Year 2002-03. Application for renewal of exemption is under consideration of the tax authorities.

2.3 Leasehold Land includes Rs.2.51 lacs relating to the Land at Hubli which is under litigation. Possession of this land is yet to be handed over to the Institute.

2.4 The Institute regulates the profession of Chartered Accountancy in India and operates in one business segment predominantly in India.

2.5 The appropriation to Education Fund @ 50% of the surplus arising out of students related activities has been changed to 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year. This has resulted into lower appropriation to the Education Fund by Rs.197.16 Lacs and corresponding increase in appropriation to General Reserve.

2.6 Expenditure incurred on development and procurement of software is being shown as intangible assets from the year 2003-04 which was earlier shown under the head "Miscellaneous Expenditure – Software Development" and amortized equally over a period of three years as done hitherto.

The expenditure on acquisition of software during the year is Rs.125.01 Lacs and amortisation thereon for the year is Rs. 41.67 Lacs.

2.7 As the apportionment of indirect expenditure could not be done on a rational basis to various activities of Examination, Distant Education, Journal,Newsletter and Post Qualification Courses, expenditure heads have been re-grouped under the functional heads of expenditure for such activities.

2.8 Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary.

CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2004

	(Amount Rupees in Lakhs)			
	2003-2004		2002-2003	
A.Cash flows from operating activities				
Net Surplus		1344.84		936.00
Adjustments for:				
Depreciation and Amortisation	301.66		263.93	
Deferred Revenue Expenditure	1.65		8.32	
Loss on Sale of Investments	25.35		74.08	
Contribution to National Foundation for Corporate Governance	100.00		-	
Interest on investments	(420.15)		(414.97)	
		8.51		(68.64)
Operating profit before working capital changes		1353.35		867.36
Increase in Inventories	(52.11)		(30.08)	
Decrease/Increase in Interest accrued on Investments	200.86		(353.79)	
Increase/Decrease in Amounts Receivables	(52.67)		13.57	
Decrease/Increase in Loans & advances	(33.68)		(95.93)	
Decrease/Increase in Fees/Income received in advance	5.09		(81.40)	
Increase/Decrease in Creditors for Expenses	(34.07)		124.65	
Decrease/Increase/ in Provision of Gratuity Fund	(20.69)		81.73	
Decrease/Increase in Other Liabilities	(13.79)		114.31	
		(1.06)		(226.94)
Cash flow before extrordinary item		1352.29		640.42
Contribution to National Foundation for Corporate Governance		(100.00)		-
Net cash from operating activities		**1252.29**		**640.42**
B.Cash flows from investing activities				
Acquisition of Fixed Assets	(1117.73)		(488.95)	
Acquisition of Investments	(792.91)		(1355.42)	
Interest on investments	420.15		414.97	
Income from Earmarked Funds Investments	271.47		304.30	
Capital Receipts	454.60		246.12	
Loss on Sale of Investments	(25.35)		(74.08)	
Net Cash from Investing Activities		(789.77)		(953.06)
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents		462.52		(312.64)
Cash and Cash equivalents at the beginning of period		142.70		455.34
Cash and Cash equivalents at the end of period		**605.22**		**142.70**

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[Advt. III/IV/104/04-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.